तृतीय माला, खंड 33, अंक 1 सोमवार, 7 सितम्बर, 1964/16 भाद्र, 1886 (शक)

Series, Vol. XXXIII, No. 1 Monday, September 7, 1964/Bhadra 16, 1886 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
21-5-92
Fumigated
On 17-12-83
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1—10]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025.
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी-अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1045 (Ai) LSD—1.

विषय-सूची

[तृतीय माला, खंड 33—नवां सत्र, 1964]

अंक 1—सोमवार 7 सितम्बर, 1964/16 भाद्र 1886 (शक)

	विषय	पृष्ठ
	सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
	प्रश्नकर्त्ता सदस्यों के नामों को एक साथ दिखायें जानें के बारें में	1–2
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	3—28
*तारांकित प्रश्न संख्या		
1	पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन	3—8
2	बर्मा से भारतीयों का स्वदेश लौटना	8—10
16	बर्मा में भारतीय	10—15
3	नागालैंड में शान्ति स्थापना	15—24
4	दक्षिण अफ्रीका में आबादी की अदला बदली	24—26
5	विदेशों से प्रतिरक्षा संबंधी सहायता	26—28
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	28—81
तारांकित प्रश्न संख्या		
6	ध्वनि राकेट	28–29
7	राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति	29—32
8	बोनस आयोग	32–33
9	भारत-चीन सीमा विवाद	33–34
10	जंजीबार में भारतीय	35
11	गिलगिट में पाकिस्तानी हवाई अड्डा	35
12	नेफा में बर्मा के शरणार्थी	36
13	तिब्बत में चीनी सेना का जमाव	37
15	भारतीय वायु सेना के लिये अमरीका लड़ाकू विमान	38
17	द्वितीय अफ्रीकी शिखर सम्मेलन	39
18	डाक और तार अधिकारियों का अमरीका का दौरा	39–40
19	लंका में भारतीय	40

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

[Third Series, Vol. XXXIII—Ninth Session, 1964]

No. 1—Monday, September 7, 1964/Bhadra 16, 1886 (Saka)

	Subject	Page
Member Sworn		
Re: Clubbing of Names of Members who Table Questions .		1-2
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		3—28
**Starred Questions Nos.*		
1.	Violations of Cease-fire Line by Pakistan . . .	3—8
2.	Repatriation of Indians from Burma	8—10
16.	Indians in Burma	10—15
3.	Peace in Nagland	15—24
4.	Exchange of Population in South Africa	24—26
5.	Defence Aid from Aboad	26—28
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		28—81
Starred Ouestions Nos.		
6.	Sound Rockets	28—29
7.	Communique of Commonwealth Prime Ministers' Conference	29-32
8.	Bonus Commission	32-33
9.	India China Border Dispute	33-34
10.	Indians in Zanzibar	35
11.	Pak Airfield in Gilgit	35
12.	Burmese Refugees in NEFA	36
13.	Chinese Build-up in Tibet	37
15.	U. S. Fighters for Indian Air Force	38
17.	Second African Summit Conference	39
18.	P. & T. Officials' Visit to U.S.A.	39-40
19.	Indians in Ceylon	40

*The sign+marked above the name of a member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
20	शक्तिशाली ट्रांसमीटर . .	41–42
21	भारत-चीन विवाद संबंधी पुस्तकें . .	42
22	अभ्रक खान श्रमिकों में बेरोजगारी	42
23	प्रशासनिक सुधार . . .	43
24	गैर-सरकारी उद्यम का कार्य . .	43–44
25	प्रतिरक्षा मंत्री की अमरीका यात्रा . .	44–45
26	त्रावनकोर मिनरल्ज . .	45
27	बर्मा में निरुद्ध भारतीय व्यापारी . .	45–46
28	नागा विद्रोही	46–47
29	आक्सफोर्ड डिक्शनरी में पाकिस्तान की परिभाषा .	47
30	ब्रिटेन में शस्त्र सहायता	47–48

अतारांकित प्रश्न संख्या		
1	"आई० एन० एस० वरक्कल" . . .	48
2	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड . . .	48
3	उड़ीसा में टेलीफोन कार्यालय	48–49
4	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	49
5	रायगाडा-जैपुर टेलीफोन सर्किट .	49
6	कांगों में भारतीय सैनिक दस्ता . .	50
7	साईप्रस के लिये भारतीय फौजी दस्ता . . .	50
8	पूर्व अफ्रीकी देशों में भारत-विरोधी प्रचार .	50–51
9	फ्रांस के लिये भारतीय श्रमिक . .	51
10	सैलिसबरी में भारतीय मिशन . . .	51–52
11	मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका पर गोली चलाना	52
12	भारत-नेपाल दूर संचार करार	52–53
13	नेहरू स्मारक टिकट	53
14	थुम्बा में राकेट छोड़ने वाला केन्द्र . . .	53–54
15	नागा विद्रोही	54

Starred Questions Nos.	Subject	PAGE
20.	High Power Transmitter	41–42
21.	Studies on India -China Dispute	42
22.	Unemployment among Mica Miners	42
23.	Administrative Reforms	43
24.	Role of Private Enterprise	43–44
25.	Defence Minister's Visit to U.S.A.	44–45
26.	Travancore Minerals	45
27.	Indian Traders under Detention in Burma	45–46
28.	Naga Hostiles	46–47
29.	Definition of Pakistan in Oxford Dictionary	47
30.	Arms Aid from U. K.	47–48
Unstarred Questions Nos.		
1.	"I.N.S. Varakkal"	48
2.	Hindustan Aircraft Limited	48
3.	Telephone Exchanges in Orissa	48–49
4.	National Sample Survey	49
5.	Rayagada-Jaypore Telephone circuit	49
6.	Indian Contingent in Congo	50
7.	Indian Contingent for Cyprus	50
8.	Anti-Indian Propaganda in East African Countries	50–51
9.	Indian Labour for France	51
10.	Indian Mission in Salisbury	51–52
11.	Firing on Indian Fishing Boat	52
12.	Indo-Nepal Tele-communication Pact	52–53
13.	Nehru Memorial Stamp	53
14.	Thumba Rocket Launching Station	53–54
15.	Naga Hostiles	54

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
16	अखबारी कागज संबंधी नीति	54–55
17	भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण	55
18	नागालैंड में ट्रांसमीटर	55
19	प्रेस सूचना कार्यालय से समाचारपत्र संबंधी फाइलों की चोरी	56
20	टेलीप्रिंटर	56
21	प्रेस सूचना कार्यालय के संवाददाता	57
22	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन	57–59
23	श्री नेहरू की स्मृति में विशेष डाक टिकट	59
24	राष्ट्रपति अयूब को निमंत्रण	60
25	भूतपूर्व सैनिक	61
26	उड़ीसा के लिये डाक और तार सर्किल	61
27	सुरक्षा पदक	61–62
29	टेलीविजन स्टेशन	62
30	घाना से भारतीयों का देश निष्कासन	62–63
31	अफ्रीकी-एशियाई स्थायी सचिवालय की बैठक	63
32	आगरा में ब्रिटिश इलैक्ट्रानिक उपकरण	63–64
33	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट	64
34	संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्था	64
35	उड्डयन दुर्घटनायें	65
36	नेफा में प्रशासनिक सुधार	65
37	भारतीय श्रम सम्मेलन, बंगलौर	65–66
38	इराक को भारतीय वायु सेना का प्रतिनिधिमंडल	66
39	बांधों के लिये नौसेना के गोताखोरों की सहायता	66–67
40	भर्ती के मामले में भेदभाव	67
41	ब्रिटिश गायना से भारतीयों का स्वदेश लौटना	67
42	आयुधागार से हथगोलों की चोरी	67–68
43	पत्तनों तथा गोदियों के लिये मजूरी बोर्ड	68–69
44	भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बी	69

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGE
16.	Newsprint Policy	54-55
17.	Indian Air Space Violations	55
18	Transmitter in Nagaland	55
19.	Theft of Newspaper files from P. I. B.	56
20.	Teleprinters	56
21.	Correspondents in PIB	57
22.	International Labour Conference	57—59
23.	Special Stamps of Mr. Nehru	59
24.	Invitation to President Ayub Khan	60
25.	Ex-Servicemen	61
26.	P. and T. Circle for Orissa	61
27.	Security Medals	61-62
29.	Television Stations	62
30.	Deportation of Indians from Ghana	62-63
31.	Afro-Asian Permanent Sectt. Meeting	63
32.	British Electronic Equipment at Agra	63-64
33.	Staff Artists in A.I.R.	64
34.	U.N. Training and Research Institute	64
35.	Flying Accidents	65
36.	Administrative Reforms on NEFA	65
37	Indian Labour Conference, Bangalore	65-66
38.	Air Force Delegation to Iraq	66
39.	Navy Divers' help for Dams	66-67
40.	Discrimination in Recruitment	67
41.	Repatriation of Indians from British Guiana	67
42.	Theft of hand -grenades from Ordnance Depot	67-68
43.	Wage Board for Ports and Docks	68-69
44.	Submarine for Indian Navy	69

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
45	अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह	70
46	कार्य-दिवसों की हानि	70–71
47	अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	71
48	काजू उद्योग	71–72
49	उत्तर प्रदेश में शुष्क शीतक संयंत्र	72
50	रूसी मालवाहक विमान	72
51	केन्स फिल्म समारोह	72–73
52	अस्पृश्यता संबंधी चलचित्र	73
53	"संगम"	73
54	प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद	74
55	गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता	74
56	लोक संचार केन्द्र	75
57	लंका से परिसम्पत का प्रत्यावर्तन	75
58	पंजाब में डाकखाने	75–76
59	विदेशी एजेंट	76–77
60	इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध	77
61	चीन में पाकिस्तानी सैनिक प्रशिक्षणार्थी	77
62	सशस्त्र सेना के लिए मंहगाई भत्ता	77–78
63	केरल में गोला बारूद का कारखाना	78
64	अन्तर्राष्ट्रीय शांति सेना	78–79
65	बीड़ी तथा सिगार उद्योग के लिए विधान	79–80
66	डाकघरों और रेलवे डाक सेवा के निरीक्षक	80
67	डाकघरों और रेलवे डाक सेवा के निरीक्षकों के रिक्त स्थानों का भरा जाना	80
69	कलकत्ता में फुटबाल स्टेडियम	80–81
	निधन संबंधी उल्लेख	81
	मंत्रियों का परिचय	81

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGE
45.	International Film Festival	70
46.	Loss of Working Days	70–71
47.	Scheduled Caste Officers	71
48.	Cashew Industry	71–72
49.	Dry Freeze Plant in U. P.	72
50.	Soviet Transport Planes	72
51.	Cannes Film Festival	72–73
52.	Film on Untouchability	73
53.	Sangam	73
54.	Praga Tools Limited, Secunderabad	74
55.	Garden Reach Workshop, Calcutta	74
56.	Mass Communication Centre	75
57.	Repatriation of assets from Ceylon	75
58.	Post Offices in Punjab	75–76
59.	Foreign Agents	76–77
60.	Deplomatic Relations with Israel	77
61.	Pak Militaty Tranineees in China	77
62.	D.A. for Armed Forces	77–78
63.	Ordnance Factory in Kerala	78
64.	International Peace Force	78–79
65.	Legislation for Bidi and Cigar Industry	79–80
66.	Inspectors of Post Offices and R.M.S.	80
67.	Filling of Vacancies of P.O. and R.M.S. Inspectors	80
69.	Football Stadium in Calcutta	80–81
Obituary References		81
Introduction of Ministers		81

श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन पर विदेशी संसदों तथा संसदीय संस्थाओं से प्राप्त संवेदना सन्देश 82

श्री महेश्वर नाथ कौल की सेवानिवृत्ति तथा श्री श्यामलाल शकधर की लोक-सभा के सचिव के पद पर नियुक्ति . . 82—84

स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न तथा प्रक्रिया) . . . 85

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . 85—92

संसदीय समितियां

कार्यवाही सारांश . . 92

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति 92–93

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1964–65 . 93

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक . . . 93

(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . 93

(2) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य 93

तारांकित प्रश्न संख्या 1310 के उत्तर में शुद्धि . . 93

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर मशीनों के बारे में 93

मुरुड में दो विदेशियों के एक विमान द्वारा अवैध रूप से उतरने के बारे में वक्तव्य 94

श्री हाथी 94

मंत्रि परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव 94—97

विधेयक पुरःस्थापित . . . 97–98

(1) समवाय (संशोधन) विधेयक 97–98

(2) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . . 98

अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

श्री ब० रा० भगत 98

लोक सभा के लिये मध्याह्न अवकाश में बारे में . . 98–99

खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . . 99—111, 114—16

श्री चि० सुब्रह्मण्यम 99

श्री ही० ना० मुकर्जी . . . . . 99—102

श्री मी० रु० मसानी . . . . . 102—06

Subject	PAGE
Messages of Condolence from Parliaments and Parliamentary Associations on the Demise of Shri Jawaharlal Nehru . .	82
Retirement of Shri M. N. Kaul and appointment of Shri S. L. Shakdher as Secretary, Lok Sabha	82—84
Re. Motions for Adjournment (Queries and Procedure) .	85
Papers Laid on the Table	85—92
Parliamentary Committees Summary of Work . . .	92
President's Assent to Bills	92-93
Demands for Supplementary Grants (General), 1964-65. . .	93
Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill— . . .	93
(1) Report of Joint Committee; (2) Evidence before Joint Committee.	93
Correction of answer to Starred Question No. 1310 . . .	93
Re: Hindustan Teleprinter Machines	93
Statement re: unauthorised landing of two foreigners in a Plane at Murud.	
Shri Hathi	94
Motions of No-Confidence in Council of Ministers . . .	94—97
Bills Introduced	97-98
1. Companies (Amendment) Bill	97-98
2. Representation of the People (Amendment) Bill Statement re: Ordinance	98
Shri B. R. Bhagat	98
Re. Lunch Break for Lok Sabha	98-99
Motion re: Food situation	99—111, 114—16
Shri C. Subramanium	99
Shri H.N. Mukerjee	99—102
Shri M. R. Masani	102-106

खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

श्री अ० प्र० जैन . . . 106–07
श्री पु० र० पटेल 107–08
श्री लहरी सिंह 108–09
श्री महताब . . . . 109—11
श्री स० मो० बनर्जी . . 111, 114–15
श्री श्यामलाल सर्राफ 115–16
डा० मा० श्री० अणे 116

राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के बारे में वक्तव्य

श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . . . . 111—114

Subject	Page
Shri A. P. Jain	106-07
Shri P. R. Patel	107-08
Shri Lahri Singh	108-09
Shri Mahatab	109—11
Shri S. M. Banerjee	111, 114-15
Shri Sham Lal Saraf	115-16
Dr. M. S. Aney	116
Statement re: Communique of Commonwealth Prime Ministers' Conference .	
Shri Lal Bahadur Shastri	111—14

(लोक-सभा वाद-विवाद संक्षिप्त अनुदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

खंड ३३] तीसरी लोक-सभा के नवें सत्र का पहला दिन [अंक १

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, ७ सितम्बर, १९६४ / १६ भाद्र, १८८६ शक

Monday, September 7, 1964/Bhadra 16, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

{**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the chair.*}

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

अध्यक्ष महोदय : सचिव उन सदस्य का नाम पुकारें जो संविधान के अन्तर्गत शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने आये हैं।

सचिव : **श्री नारायण दांडेकर** :

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमन्, मुझे आपको और आपके द्वारा सभा को श्री नारायण दांडेकर का परिचय कराते हुए बड़ा हर्ष अनुभव हो रहा है। निर्वाचन न्यायाधिकरण ने श्री दांडेकर को उत्तर प्रदेश के गोंडा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया है और उस निर्वाचन क्षेत्र से श्री राम रतन गुप्त के चुनाव को अवैध घोषित किया है।

श्री नरायण दांडेकर (गोंडा)

प्रश्नकर्ता सदस्यों के नामों को एक साथ दिखाये जाने के बारे में

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न। श्री सुरेन्द्रपाल सिंह।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : प्रश्न संख्या 1।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा एक औचित्य प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यही न, कि प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा एक सीधा सा औचित्य प्रश्न है और वह यह कि क्या सदस्य द्वारा दिये गये प्रश्न की भाषा और विषय-वस्तु, में सदस्य की सम्मति के बिना परिवर्तन किया जा सकता है । अब जब कि अनेक सदस्य एक मिलते जुलते प्रश्न की सूचना देते हैं प्रायः ऐसा होता है कि केवल भाषा ही नहीं अपितु विषय वस्तु और जिस भावना से सदस्यों ने प्रश्नों की सूचना दी होती है वह भी समाप्त हो जाती है ।

कुछ समय पहले आपके सचिवालय में ऐसी प्रक्रिया थी कि प्रत्येक संबंधित सदस्य को इस बात की सूचना दी जाती थी कि क्या उनका नाम इस प्रकार संशोधित किये गये प्रश्न में जोड़ा जा सकता था । इस बार ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है यद्यपि, जैसा कि आप देखते हैं, बहुत सारे सदस्यों के नाम एक प्रश्न के साथ जोड़े हुए हैं । यह मेरे प्रश्न का व्यक्तिगत मामला नहीं है, परन्तु यह एक सदस्य के अधिकार का प्रश्न है कि क्या किसी प्रश्न की बदली हुई भाषा और भावना के बारे में उसे सूचना दिये बिना ही उनका नाम जोड़ा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : हम ने यह तारीका सुविधा के लिये अपनाया है । पहले बहुत अधिक सदस्यों के नाम नहीं जोड़े जाते थे । जब एक सदस्य से अथवा एक से अधिक सदस्यों से एक प्रश्न प्राप्त होता था और उसको स्वीकार कर लिया जाता था तो उसके बाद ऐसे किसी प्रश्न की स्वीकृति नहीं दी जाती थी जिसका विषय पहले वाले प्रश्न में वस्तुतः शामिल था । इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न नामंजूर हो जाते, अतः अध्यक्ष को प्रश्न में संशोधन करने और उसे एक सामान्य रूप देने का अधिकार है । हां, उस प्रश्न पर उन सदस्यों के नाम अवश्य होंगे । मैं सदस्य को एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा और उस समय वह अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं, परन्तु यदि उस के बाद उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता तो वह नई सूचना दे सकते हैं । क्योंकि दूसरों की सूचनाओं को जो बादमें आई हैं अस्वीकार भी किया जा सकता है । परन्तु सुविधा के लिये हमने ऐसा तरीका अपनाया है जिस से कि अधिक प्रश्न अस्वीकृत न होने पायें । अन्यथा अध्यक्ष को उन सभी प्रश्नों में, जो एक ही विषय पर हों, परिवर्तन करने और उन्हें संघटित करने का अधिकार है । कोई नई बात नहीं की गई है । वह इस विषय पर मुझ से चर्चा कर सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरी एक मात्र आपत्ति सदस्यों को सूचित न करने और उनकी सम्मति न लेने के बारे में थी । मुझे प्रश्न में परिवर्तन करने के आपके विवेक और शक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रायः हम उन से सलाह करते हैं, परन्तु कुछ अवसरों पर ऐसा करना संभव नहीं होता । मैं इस पर विचार करूंगा ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन

\+

*1. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बागड़ी :
श्री हुकुमचन्द कछवाय :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री बड़े :
श्री हेम राज :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री दे० जी० नायक :
श्री बासप्पा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बै० ना० कुरील :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बालगोविन्द वर्मा :

श्री गुलशन :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री म० रं० कृष्ण :
श्री प्र० के० देव :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री रामहरख यादव :
श्री शशिरंजन :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पाकिस्तानियों द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य में युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन की घटनाओं में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो जून 1964 के प्रारम्भ से लेकर अब तक पाकिस्तानियों द्वारा कितनी बार सीमा का उल्लंघन किया गया है ;

(ग) पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा किये गये इन अचानक हमलों तथा उन के द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप जनधन की कितनी हानि हुई है ; और

(घ) ऐसी घटनाओं को भविष्य में होने देने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) पिछले कई महीनों में युद्धविराम समझौते का पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन करने की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(ख) 1 जून, 1964 से 29 अगस्त, 1964 तक की अवधि में जम्मू काश्मीर में, युद्ध-विराम रेखा/सीमा संबंधी 426 घटनाएं हुई हैं ।

(ग) इस अवधि में 22 भारतीय मारे गये और 32 घायल हुए । सम्पति की कितनी क्षति हुई मालम नहीं है ।

(घ) इस संबंध में रोकथाम के यथासंभव सभी उपाय किए गए हैं । इस के अतिरिक्त सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कई विरोधपत्र भेजे हैं । गम्भीर उल्लंघनों का सुरक्षा परिषद् को भी उल्लेख कर दिया गया है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमें समाचार पत्रों के समाचारों से पता लगा है कि युद्धविराम रेखा के उल्लंघन के बारे में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध अनेक निर्णय दिये गये हैं । इन निर्णयों का क्या महत्व है और हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखने में इन से कहां तक सहायता मिलती है ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर यहां अनेक बार चर्चा हो चुकी है । क्या कोई अन्य प्रश्न है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि युद्धविराम रेखा के पास हमारी सीमा में अवैध प्रवेश पाकिस्तान की सेना द्वारा किए गए थे अथवा उस देश की असैनिक कमांडों द्वारा किये गये थे ?

श्री अ० म० थामस : ऐसे संकेत मिले हैं कि असैनिक वस्त्रों में सेना जैसी टुकड़ियां, जैसे मुजाहिद और रजाकार, अवैध रूप से हमारे प्रदेश में घुस आईं और युद्ध विराम रेखा पर घूमती रहीं । वास्तव में इन कच्ची पलटनों की कार्यवाहियां हमारे लिये गम्भीर चिंता का विषय बनी रही हैं और इन में से अनेक घटनाएं इन व्यक्तियों के रजाकार, मुजाहिद आदि के नाम से अवैध प्रवेश करने के कारण हुई हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: Are Government aware that ever since Sheikh Abdulla was released, such incidents have been on the increase?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): No Sir, this is not Correct.

श्री स० मो० बनर्जी : हाल ही में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा पांच जवान मारे गये थे और हाल ही में रजाकारों ने भी दो व्यक्तियों को मारा जिस में एक पांच साल का बच्चा भी था । मैं जानना चाहता हूं कि सावधानी बरतने के अतिरिक्त, पाकिस्तान द्वारा जानबूझ कर किये गये इस हमले का जबाब देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में इन अवैध प्रवेशों के बारे में हम भी जवाबी कार्यवाही करते रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे देश में घुस आते हैं हम उनका पीछा करते हैं और वास्तव में हम उनको हताहत करने में भी सफल हुए हैं।

श्री प्र० चं बरुआ : गत 6 महीनों में संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा कितने मामलों में युद्ध विराम उल्लंघन के निर्णय पाकिस्तान के विरुद्ध दिये गये और कितनों में भारत के विरुद्ध ?

श्री अ० म० थामस : 1964 में पाकिस्तान के विरुद्ध दिये गये युद्ध विराम निर्णयों की संख्या लगभग 70 है . . . (अन्तर्बाधाएं) ।

एक माननीय सदस्य : भारत के विरुद्ध कितने ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने बारे में इतनी चिंता क्यों है ?

Shri Yashpal Singh: Have Government claimed from Pakistan any compensation in respect of our soldiers killed ?

श्री अ० म० थामस : हम ने मुआवजा देने के लिये नहीं लिखा है । हम ने पाकिस्तान को विरोध प्रकट किया है । गम्भीर मामलों में हम ने संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय का भी ध्यान आकृष्ट किया है। वहां पर हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को इन मामलों की सूचना दी है।

Shri Prakash Vir Shastri: Is it a fact that these incidents are taking place in greater number at those places where Jawans of Kashmir Militia are posted ?

Shri Lal Bahadur Shastri: No, Sir, not at all.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान ने हाल ही में यह कहा कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिये गये शस्त्र और युद्ध सामग्री का प्रयोग भारत के विरुद्ध किया जायेगा, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारी सरकार ने युद्ध विराम रेखा के पार पाकिस्तानी हमलावरों से जब्त किये गये शस्त्रों और युद्ध सामग्री की इस बीच जांच कर ली है और इनके बारे में किसी परिणाम पर पहुंची है ?

श्री अ० म० थामस : हम ने जो शस्त्र और युद्ध सामग्री जब्त की है उस में बहुत सा सामान ऐसा है जो विभाजन के समय से पहले से मौजूद था; उन से हमें यह पता नहीं चलता कि वे अमेरिका के हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : क्या यह सच है कि युद्ध-विराम अतिक्रमणों के दौरान बड़ी संख्या में पाकिस्तानी व्यक्ति अवैध रूप से भारतीय प्रदेश में घुस आये और यदि हां, तो उनके कारण विधि और व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो सर्वथा भिन्न प्रश्न है ।

श्री स्वैल : क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह सीमा पर ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये भारत से करार करने के लिये तैयार है, और यदि हां, तो क्या इस घोषणा के पश्चात् सीमा स्थिति सुधर गई है और क्या सरकार ....

अध्यक्ष महोदय : इतने अधिक प्रश्न नहीं—केवल एक प्रश्न ।

श्री अ० म० थामस : माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख की गई बातों के होने के पश्चात् स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । परन्तु ऐसी बातें हुई हैं और हम आशा करते हैं कि युद्ध विराम रेखा पर शांति स्थापित करना संभव हो सकेगा । ये घटनायें हमारे लिये चिंता का विषय हैं और इन से जन-धन की व्यर्थ हानि होती है । हम इन घटनाओं को रोकना चाहते हैं । हम ने पहल भी की है और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही बातचीत आरम्भ होगी ।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : क्या सरकार बता सकती है कि इन सीमा की घटनाओं में कितने पाकिस्तानी हताहत हुए ?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में पाकिस्तान के व्यक्ति भी हताहत हुएहैं । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं वहां पर नागरिक वस्त्रों में बहुत सी कच्ची पलटनों के व्यक्ति कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह संख्या बता सकते हैं ?

श्री अ० म० थामस : मेरे पास संख्या नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन के पास संख्या नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : ये गम्भीर अतिक्रमण हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शिकायतों की संख्या का पता लग सकता है ; परन्तु हताहतों की संख्या का नहीं । कुछ व्यक्ति सीमा के दूसरी ओर मारे गये होंगे । जिन के बारे में हमें जानने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बासप्पा : यह कहा गया है कि गम्भीर अतिक्रमणों की संयुक्त राष्ट्र आयोग को सूचना दी गई है। गम्भीर अतिक्रमणों की संख्या क्या है और इन गंभीर अतिक्रमणों का क्या अर्थ है—क्या इस का अर्थ यह है कि वे दो तीन मील तक हमारे प्रदेश में घुस आये थे ?

श्री अ० म० थामस : गम्भीर अतिक्रमणों में युद्ध विराम रेखा का पार करना और गोली चलाना शामिल है । वास्तव में इस आधार पर पाकिस्तान के विरुद्ध अनेक निर्णय

दिये गये हैं। हम ने 21 अगस्त को सुरक्षा परिषद् को गंभीर अतिक्रमणों की सूचना दे दी थी। हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् को एक पत्र लिखा है जिसमें इन सब मामलों का उल्लेख किया गया है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Have Government tried to as certain the effect of Pakistani intrusions on the people of Kashmir ?

Shri Lal Bahadur Shastri : So far as the people of Kashmir are concerned, they are facing these intrusions bravely and nourish no fear what so ever.

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि पाकिस्तान की तुलना में भारत के अधिक व्यक्ति हताहत हुए हैं और पाकिस्तान के समाचार पत्रों के अनुसार हमारे 11 सैनिक मारे गये और . . . .

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार यह कह कि वह इस जानकारी को नहीं दे सकती...

श्री अ० म० थामस : माननीय सदस्य को हमारे द्वारा दिये गये आंकड़ों पर भरोसा करना चाहिये।

श्री नाथपाई : राज्य मंत्री द्वारा मानी गई इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी सीमा पर पाकिस्तानी अतिक्रमणों में वृद्धि हो रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि प्रधान मंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रचनात्मक रुख का किस आधार पर मूल्यांकन करते हैं; इन अतिक्रमणों की कठोर वास्तविकताओं और रचनात्मक रवैये की वांछित कल्पना में समन्वय कैसे हो सकता है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इन दोनों बातों में कुछ अन्तर है और इस समय हमारी सीमा पर जो कुछ हो रहा है वह कोई नई बात नहीं है। वे युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन करते रहे हैं और भारत भी प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही करता रहा है। गत कुछ महीनों में हम बहुत प्रभावशाली रहे हैं। जहां तक रचनात्मक रवैये का सम्बन्ध है राष्ट्रपति अयूब ने भी कहा है कि ये अतिक्रमण और झगड़े समाप्त होने चाहिये। अतः वह इस बात के बहुत इच्छुक थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों बैठ कर सभी विभिन्न समस्याओं का, जो हमारे सामने इस समय है, हल निकालने का प्रयत्न करें। उन में से एक विषय यह भी होगा।

Shri Bade : Is it a fact that the Indian Citizens there have not so far been supplied with arms though they have been asking for them ? Is it not a fact that our military arrives at the scene only after the attack has been made and the intruders have gone back? Do Government propose to supply arms to those people ?

Shri Lal Bahadur Shastri : Something has already been done in this direction and we are also in favour of supplying arms, but we want to ascertain certain other things from Jammu and Kashmir Government.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जहां तक पाकिस्तान के बढ़ते हुए आक्रमणों का सम्बन्ध है हमारा ख्याल था कि संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों के दल की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। क्या मैं जान सकता हूं कि संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक दल की संख्या बढ़ा देने से इन अतिक्रमणों को रोकने

में कहां तक सहायता मिली है और यदि वे इसके बावजूद भी बढ़ रहे हैं तो इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही करने के विषय में हमारी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अ० म० थामस : हम ने सुझाव दिया है कि वहां के संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक दल की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये और हमें आशा है कि इस पर विचार किया जायेगा, परन्तु सभा एक बात को ध्यान में रखें कि यह केवल प्रेक्षक दल है। युद्ध विराम रेखा को बनाये रखने अथवा स्थिति का प्रभावशाली ढंग से मुकाबिला करने के लिये उन के पास सेना नहीं है। वास्तव में उनकी उपस्थिति मात्र से ही काफी अच्छा असर पड़ सकता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे जिस स्थिति को उचित समझते हैं उसको लाने के लिये उनके पास कोई सेना है।

Shri Gulshan : Have the Government, of India brought to the notice of the Security Council the attacks made by Pakistan on Jammu and Kashmir border as also the losses sustained by India and if so, the result thereof ?

श्री अ० म० थामस : मैं पहले ही बता चुका हूं कि संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि द्वारा इन घटनाओं का उल्लेख किया जा चुका है और सुरक्षा परिषद् सचिवालय को इनकी जानकारी दे दी गई है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, 21 अगस्त, 1964 को हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद के प्रधान को इस मामले में लिखा है।

श्री नि० चं० चटर्जी : क्या हमारी सरकार पाकिस्तान सरकार को यह स्पष्ट करेगी कि राष्ट्रपति अयूब के साथ प्रधान मंत्री की भेंट इस शर्त पर होगी कि युद्धविराम रेखा पर युद्ध पूर्ण रूप से बन्द होना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है। अगला प्रश्न।

श्री कपूर सिंह : प्रश्न संख्या 2 और 16 एक साथ ले लिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इस बात के लिये सहमत हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : ये प्रश्न एक साथ ले लिये जायें।

बर्मा से भारतीयों का स्वदेश लौटना

\+

श्री सेझियान :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :

†*2. श्री बड़े :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री च०. का० भट्टाचार्य :
श्री सोलंकी :
श्री महानन्द :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री हेम राज :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दे० जी० नायक :
श्री बासप्पा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० के० देव :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बागड़ी :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री कजरोलकर :
श्री स्वैल :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री रामहरख यादव :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री ह० च० सोय :
श्री धर्म लिंगम :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जनवरी, से लेकर अब तक कितने भारतीयों को स्वदेश वापस लौटाया गया है ;

(ख) उनकी कितनी परिसम्पत्ति भारत को लौटाई गई है ;

(ग) क्या बर्मा के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिये केन्द्र द्वारा कोई योजना तैयार की गई तथा क्रियान्वित की गई है; और

(घ) सरकार ने उनके पुनर्वास के लिये कितना रुपया निर्धारित किया है तथा अब तक कितना व्यय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--2985/64]।

बर्मा में भारतीय

+

†*16. श्री लक्ष्मी दास :
श्री प० कुन्हन् :
श्री नम्बियार :
डा० सारादीश राय :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री रामानाथन् चेट्टियार :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सोलंकी :
श्री महानन्द :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री द्वारका दास मन्त्री :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का बर्मा के ऐसे भारतीयों के भविष्य के बारे में जो अभी भी बर्मा छोड़ने के इच्छुक हैं बर्मा सरकार के साथ कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी०–२९८६/६४]

श्री सेझियान : क्या इन प्रत्यावर्तित व्यक्तियों से बर्मा सरकार द्वारा ली गई उनकी सम्पत्ति और परिसम्पत के मूल्य का कोई अनुमान लगाया गया है और क्या इन व्यक्तियों के लिये कम से कम कुछ अन्तरिम प्रतिकर दिलाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री दिनेश सिंह : बर्मा में छोटी गई सम्पत्ति का सही मूल्यांकन करना सम्भव नहीं हो सका है। इस मामले पर हम बर्मा सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ?

श्री सेझियान : क्या बर्मा से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को भी [उतनी ही सहायता तथा सुविधायें दी जायेंगी जितनी कि पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दी गई हैं ?]

श्री दिनेश सिंह : बर्मा से आने वाले व्यक्तियों को जो सुविधायें दी जा रही हैं उनका उल्लेख मैंने विवरण में किया है। मैं समझता हूं कि वे पर्याप्त हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार ने अपने को इस बात से आश्वास्त कर लिया है कि इन स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में बर्मा सरकार ने जो नियम और विनियम लागू किये हैं उस मामले में अन्य विदेशी राष्ट्रजनों की तुलना में भारतीयों के साथ विशेष रूप से कोई भेद-भाव नहीं कर बरता जा रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां ।

श्री हेम बरुआ : जब हमारे विदेश सचिव रंगून गये थे तो इस बात पर सहमति दी गई थी कि जो भारतीय बर्मा छोड़ना चाहते हैं उनकी कठिनाइयों को दूर कर दिया जायेगा। परन्तु उस आश्वासन के पश्चात् जो भारतीय भारत में आये हैं वे बताते हैं कि कठिनाइयां दूर नहीं की गई हैं अपितु और भी अधिक कड़ाई कर दी गई है। क्या हमारे विदेश मंत्री ने जो कि हाल ही में रंगून गये थे, इस बारे में बातचीत की थी और क्या वे इस बारे में संतुष्ट हैं कि बर्मा सरकार हमें जो भी आश्वासन देती है वह उसको क्रियान्वित करने के लिये तैयार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि बर्मा सरकार ने जो भी आश्वासन दिया है अथवा देने के लिये तैयार हैं, वे उसे क्रियान्वित करेंगे। परन्तु कठिनाई यह है कि अब तक जो कुछ भी व्यवस्था करने के लिये उन्हें राजी किया गया है वह प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के सामने आने वाली अनेक कठिनाइयों से उन्हें पूर्नतया मुक्त नहीं कर सकती ।

श्री हेम बरुआ : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर क्या है ? जब हमारे विदेश सचिव बर्मा गये थे तो उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि बर्मा में रहने वाले भारतीयों को जिन कष्टों (हार्डशिप्स) का सामना करना पड़ रहा है उन्हें दूर कर दिया जायेगा और उन्हें सुविधायें प्रदान की जायेंगी, जब कि उन लोगों को वे सुविधायें नहीं दी गई हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य को यह याद दिला दूं कि शब्द "हार्डशिप" का किसी भी स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया है।

श्री हरिविष्णु कामत : हर कोई इसे समझता है।

श्री स्वर्ण सिंह : इससे हमारा अभिप्राय उन कठिनाइयों से है जो कि उनके सामने आ रही हैं। जिन मामलों के बारे में समझौते हो गए हैं उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। परन्तु प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के अपनी परिसम्पत को लाने के सम्बन्ध में अभी तक समझौता नहीं हुआ है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये कि विशष रूप से भारतीयों के साथ कोई भद-भाव नहीं बरता जा रहा है भारत के विदेश मंत्री ने किस प्रकार इस बात की जांच की थी, जब कि अन्य देशों के वे राष्ट्रजन बहुत ही थोड़े हैं जिन पर बर्मा की इस नीति का प्रभाव पड़ा है और प्रभावित व्यक्तियों में अधिकांश भारतीय हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : जो व्यापार संस्थान बर्मा सरकार ने अपने हाथ में ले लिये हैं वे भारतीयों, बर्मियों, पाकिस्तानियों और चीनियों के हैं। व्यापार संस्थान के स्वामी की राष्ट्रीयता को ध्यान में न रखते हुए एक ही कानून अथवा विनियम सब पर लागू किया गया है। यह कहना ठीक नहीं है कि ये अधिकांश व्यापार संस्थान भारतीयों के हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : भारतीय उद्भव के बर्मा में रहने वाले व्यक्तियों से, जो कि भारत आने के लिये उत्सुक हैं, हमारे बर्मा स्थित भारतीय राजदूत अथवा भारत सरकार के पास कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : बहुत सारे भारतीय भारत आने के लिये इच्छुक हैं। प्रार्थनापत्रों की निश्चित संख्या बताना मेरे लिये कठिन है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या विदेश मंत्री की बर्मा यात्रा के दौरान भारतीय श्रमिकों के सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई थी और कदाचित बर्मा सरकार ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की थी कि वह भारतीय श्रमिकों को वहीं पर ठहरने के लिये प्रोत्साहित करे ? क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष चर्चा हुई थी जिससे कि भारतीय श्रमिकों के बर्मा में ठहरे रहने के लिये शर्तें तय की जा सकें और यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे बर्मा छोड़ने से पूर्व जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें इसका उल्लेख है। उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि व भारतीय अथवा अन्य विदेशी व्यक्ति जो कि परिवर्तित परिस्थितियों में रहने के लिये तैयार हैं, जहां कि अब एक नई सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था है, और उस नवीन व्यवस्था में कार्य करने के लिये भी तैयार हैं वे वहां पर ठहर सकते हैं। मुझ उच्चतम अधिकारी द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया था कि उनकी सुरक्षा तथा सम्मान के लिये बर्मा सरकार उत्तरदायी रहेगी। इससे बर्मा में रहने वाले भारतीयों को पुनः आश्वासन मिला।

श्री श० न० चतुर्वेदी : क्या माननीय मंत्री सदन को यह आश्वासन दे सकते हैं कि अन्तरिम प्रतिकर के भी भुगतान में इस अभूतपूर्व बिलम्ब से कोई कष्ट (हार्डशिप) अथवा कठिनाई नहीं हुई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं कैसे सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं, जब कि मैं यह कह रहा हूं कि लोगों को कष्टों (हार्डशिप्स) का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री नाथ पाई : उन्होंने शब्द 'हार्डशिप' का प्रयोग करने से मना किया था ।

श्री हरिविष्णु कामत : उन्होंने अब स्वयं ही शब्द 'हार्डशिप' का प्रयोग किया है। वह इसे समझते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे बिल्कुल ठीक ठीक समझते हैं। उन्होंने यह कहा था कि इसका कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। और अब स्वयं ही उन्होंने इसका उपयोग किया है । (अन्तर्बाधा)

श्री प्र० के० देव : इस बात के बावजूद भी कि बर्मा सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि उनके वर्तमान कार्यक्रम की क्रियान्विति में विदेशी राष्ट्रजनों के साथ भेद-भाव नहीं बरता जायेगा, हमने अपनी रंगून यात्रा के दौरान स्वयं यह देखा था कि चीनी और पाकिस्तानी व्यापारी बड़ी सुगमता से बहुत सा सामान ले जा रहे थे जब कि भारतीय व्यापारियों के मामले में कठोरता से कानून लागू किया जा रहा था। (अन्तर्बाधा)। क्या भारत सरकार ने गम्भीरता-पूर्वक इस मामले का अनुसरण किया है और क्या बर्मा में भारतीयों की परिसम्पत के प्रत्यावर्तन तथा वहां पर छोड़ी गई परिसम्पत्त के लिये प्रतिकर के शीघ्र भुगतान के सम्बन्ध में अपनी बातचीत में भारत सरकार को सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न एक साथ मिला दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह केवल एक का ही उत्तर दे दें ।

श्री स्वर्ण सिंह : आपकी अनुमति से, मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। प्रथम प्रश्न यह है कि क्या अन्य राष्ट्रजनों, अर्थात् पाकिस्तानियों और चीनियों, के साथ बर्मा सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रजनों के साथ किये जाने वाले व्यवहार से भिन्न ढंग का व्यवहार किया जा रहा है ।

श्री प्र० के० देव : यह बात सच है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य सरकार से जानकारी लेना चाहते हैं अथवा उसे जानकारी देना चाहते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य की जानकारी गलत है। यदि माननीय सदस्य कुछ विदेशी राष्ट्रजनों से मिल कर अपनी कोई राय बनाई है तो उससे उन्हें ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये जो कि तथ्यों के सम्मुख सच नहीं ठहरता। मेरा यह सुझाव है कि उन्हें बर्मा सरकार के आश्वासन को स्वीकार करना चाहिये जो कि इन परिस्थितियों में उचित भी है। दूसरा प्रश्न परिसम्पत के प्रत्यावर्त्तन के बारे में है, इस मामले पर बातचीत की जायेगी। तीसरा प्रश्न उन्होंने लोगों के प्रव्रजन के लिये व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा है इसका उत्तर लिखित उत्तर में सम्मिलित है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या, इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहिले कि वहां पर कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है, विदेश मंत्री ने बर्मा में रहने वाले भारतीयों की राय

ली थी और यदि हां, तो उनकी बर्मा यात्रा के दौरान वहां के भारतीयों ने क्या राय व्यक्त की थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुख्यत: भारतीय राष्ट्रजनों अथवा भारतीय उद्भव के व्यक्तियों, यद्यपि अब उन्होंने बर्मा की राष्ट्रीयता अपना ली है, ने इस बात की पुष्टि की है जो कि मैंने अभी सदन को बताई है कि भारतीयों और अन्य गैर-बर्मी राष्ट्रजनों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता गया है ।

Shri Sarjoo Pandey : May I know the names of countries other than Burma from where Indians are being repatriated ? Are Government negotiating with other countries....

Mr. Speaker : This is not covered by it.

श्री कपूर सिंह : क्या माननीय वैदेशिक कार्य मंत्री ने आज प्रात: के 'स्टेट्समैन' समाचार-पत्र में प्रकाशित एक पत्र देखा है जिसमें हाल ही में बर्मा से भारत आये एक व्यक्ति ने लिखा है कि हवाई अड्डे पर उसके टूथ ब्रुश और शेविंग ब्रश तक भी जब्त कर लिये गये थे और यदि हां, तो क्या यह बात उस नवीन सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप है जो कि बर्मा में स्थापित की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। प्रश्न में आक्षेप नहीं लगाये जाने चाहियें। उसके द्वारा केवल जानकारी ही मांगी जानी चाहिये ।

श्री कपूर सिंह : वहां एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जा रही है . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में कोई आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिये ।

श्री स्वर्ण सिंह : समाचारपत्र में प्रकाशित उस पत्र को मैंने नहीं पढ़ा है। परन्तु मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि टूथ ब्रश अथवा इस प्रकार की अन्य कोई वस्तु जब्त की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : आज के समाचारपत्र में यह बात प्रकाशित हुई है ।

श्री हरि विष्णु कामत : इससे भी और बुरी बातें हुई हैं ।

श्री हेम बरुआ : शेविंग ब्रुश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उल्लेख करना पसन्द नहीं करते ।

Shri R. S. Pandey : Is it a fact that Burmese Government have prescribed for Indian immigrants some special regulations different from those applicable to persons of Burmese origin ? Will Indians be permitted or not to stay there under those regulations ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस विशेष विनयम का उल्लेख कर रहे हैं। मैं एक आम ढंग से इसका उत्तर नहीं दे सकता। यदि किसी क्षेत्र में किसी विशेष नियम अथवा विनियम की जानकारी सदस्य महोदय को है तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे अपने देश में भी बहुत से ऐसे नियम और विनियम हैं जो कि भारतीयों और गैर-भारतीयों पर समान रूप से

लागू नहीं हैं। इसलिये मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता जब तक कि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट विनियम का उल्लेख न करें।

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister has just stated that Burmese Government would be willing to allow those Indians to live in Burma who are prepared to live there in the changed circumstances. Has the hon. Minister discussed this matter with Indians living in Burma and ascertained the number of those willing to stay there ?

Shri Swaran Singh : There are very many Indians who are willing to stay in Burma. Lakhs of Indians carry on cultivation of land there and they intend to stay there and work. So many of them own the lands there. Indians engaged in other jobs can also stay in Burma and I think they will.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री यशपाल सिंह।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह मानता हूं कि वहां पर कठिनाइयां हैं, परन्तु माननीय सदस्यों को भी यह समझना चाहिये कि 61 सदस्यों ने एक ही प्रश्न की सूचना दी है।

श्री रामेश्वर टांटिया : में बर्मा से आया हूं, इसलिये मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : हाल ही में उनके बर्मा से आने के लिये हम उनका स्वागत करते हैं, परन्तु उन्हें प्रश्न पूछने के लिये प्रतीक्षा करनी होगी ; श्री यशपाल सिंह।

नागालैंड में शान्ति स्थापना

+

श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बड़े :
श्री कपूर सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स०चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
*3. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री हेम राज :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री दे० द० पुरी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री पु० र० पटेल :
श्री बासप्पा :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री बाल्मीकी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दे० जी० नायक :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दे० जी० नायक :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री प्र० के० देव :
श्री गुलशन :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री रामपुरे :
श्री शिव चरण गुप्त :

श्री बागड़ी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री स्वैल :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री रामहरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कजरोलकर :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ह० च० सोय :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोहियों के साथ शान्ति मण्डल की बातचीत के परिणामस्वरूप नागालैंड में शान्ति स्थापित करने में कोई सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ग) ये निर्णय कब तथा किस प्रकार कार्यान्वित किये जायेंगे ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) शुरू-शुरू में एक महीने के लिये सैनिक कार्रवाइयां बंद कर देने के लिये एक समझौता हो गया है ।

(ख) और (ग) यह फैसला किया गया है कि 5/6 सितम्बर, 1964 की आधी रात से नागालैंड में सैनिक कार्रवाईयां रोक दी जाएंगी । एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें इन सैनिक कार्रवाइयों को रोकने से संबद्ध शर्तें दी गई हैं।

वह विचार है कि यथाशीघ्र जब प्रबंध हो जाय तो भारत सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल उन नागाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत करे, जो अभी तक छिपे रहे हैं; भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल साथ नागालैंड की सरकार भी संबद्ध रहेगी ।

विवरण

छिपे नागा नेताओं से बातचीत करने के लिये भारत सरकार अपने प्रतिनिधि नियुक्त करेगी; और नागालैंड सरकार के प्रतिनिधि भी इनसे संबद्ध होंगे ।

2. 6 सितम्बर, 1964 से लेकर एक महीने तक सुरक्षा सेनाएं फिलहाल :—

(क) जंगल में सैनक कार्रवाई नहीं करेंगी

(ख) छिपे नागाओं के कैंपों पर छापा नहीं मारेंगीं

(ग) सुरक्षा चौकियों के एक हज़ार गज़ के दायरे के बाहर गश्त नहीं लगायेंगी
(घ) गांवों में खोज नहीं करेंगी ।
(ङ) हवाई जहाज़ से कार्रवाई नहीं करेंगी
(च) गिरफ्तारियां नहीं करेंगी और
(छ) दण्डरूप में काम नहीं लेंगी ।

इस अवधि में छिपे लोगों की कार्रवाइयों में उनका साथ देने के लिये उन पर जुर्माना नहीं किया जायगा ।

3(i) ऊपर बताई गई सैनिक कार्रवाइयां यह समझ कर बंद की जायेंगी कि छिपे नागाओं ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस दौरान वे :—

(क) छिपकर गोली नहीं चलायेंगे और घात लगा कर हमला नहीं करेंगे ।
(ख) जुर्माना नहीं लगायेंगे ।
(ग) किसी को जबर्दस्ती उठा कर नहीं ले जायेंगे और न भर्ती करेंगे ।
(घ) तोड़फोड़ की कार्रवाइयां नहीं करेंगे ।
(ङ) सुरक्षा चौकियों, कस्बों और प्रशासनिक केन्द्रों पर हमला नहीं करेंगे और गोली नहीं चलायेंगे, और
(च) कस्बों, गांवों और प्रशासनिक केन्द्रों में, जहां कहीं भी सुरक्षा चौकियां हों, हथियार लेकर या वर्दी पहन कर नहीं जायेंगे और सुरक्षा चौकियों के चारों ओर एक हज़ार गज़ के दायरे में नहीं जायेंगे ।

(ii) इस अवधि में छिपे हुए नागा लोग कस्बों और गांवों में हथियार लेकर या वर्दी पहनकर नहीं जायेंगे और न वे सुरक्षा चौकियों के चारों ओर एक हज़ार गज़ के दायरे में आयेंगे । इस समझौते की पुष्टि की जाती है कि ऐसे खास-खास मामलों में जहां सुरक्षा सेनाओं से सामना होने का डर हो—जैसे सड़कों या पुलों के साथ-साथ या आर-पार—वहां हथियार लेकर या वर्दी पहन कर जाने के लिये प्रबंध किए जा सकते हैं ।

4. ऊपर जिन विशेष प्रबंधों का उल्लेख किया गया है, वे यह मानकर कि कोई अत्याशित मुठभेड़ नहीं होगी लेकिन यदि मुठभेड़ हो जाए तो सैनिक कार्रवाइयों पर रोक के दौरान दोनों पक्ष "जब तक पहले गोली न मारी जाय तब तक गोली न चलायी जाय" के नियम का पालन करेंगे ।

5. शांतिपूर्ण काम-धन्धा और स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श का वातावरण तैयार करने के लिए, सैनिक कार्रवाहियां बंद होने के दौरान, आजादी वाले इलाकों में जहां इस समझौते के अन्तर्गत सुरक्षा सेनाएं मौजूद नहीं रहेंगी ; हथियार लेकर परेड नहीं की जायेगी ।

6. सुरक्षा सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर तीन मील की सीधी दूरी तक गश्त लगाती रहेंगी और जब सैनिक कार्रवाइयों को बन्द करने पर असर पड़ेगा तो क्षेत्र में फेर-बदल करने के लिये प्रबन्ध किए जाएंगे ।

7. सैनिक कार्रवाइयों पर रोक के दौरान छिपे नागा लोग विदेशों से हथियार नहीं मंगाएंगे।

8. सैनिक कार्रवाइयों पर रोक के दौरान, भारत सरकार रख-रखाव के काम में लगे सैनिक दस्तों की रक्षा करती रहेगी और सड़क के दोनों ओर पहले की तरह गश्त का काम चलता रहेगा। हर रोज़ जब आख़िरी दस्ता गुज़र जाया करेगा तो सड़क पर गश्त लगाना बन्द कर दिया जायगा। जब दस्ते इलाके से गुज़र जाया करेंगे, तब छिपे नागा लोग बेरोक-टोक सड़कों पर जा-आ सकेंगे और जिन जिन दस्तों का आना-जाना नहीं होगा, उन दिनों भी वे ने रोक-टीक आ-जा सकेंगे।यह पहले ही बता दिया जायेगा कि सप्ताह के किस किस दिन और किस किस रास्ते से दस्ते आयें-जायेंगे और जहां तक संभव हो सकेगा, इसकी सूचना छिपे नागा नेताओं को दे दी जायगी। बीमार और घायल कर्मचारियों को लाने अथवा ऐसे ही अन्य उद्देश्यों के लिए आपत्तिकालीन दस्तों को भजने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि इन दस्तों को पूर्व सूचना न दी जा सके। लेकिन, इस तरह के दस्तों के लिए सड़कों पर रक्षा करने वाले दल नहीं होंगे। वे अपनी हिफ़ाज़त का पूरा इन्तजाम रखकर चलेंगे। सड़क के दोनों ओर एक सौ गज़ भीतर तक गश्त लगाई जा सकेगी।

9. ऊपर बताए गए प्रबन्ध नागालैंड राज्य और मणिपुर के उत्तरी सब डिवीज़न पर लागू होंगे।

Shri Yashpal Singh : Are Government aware of the fact that Shri Phizo is staying with Reverend Scott ? In what capacity Reverend Scott was included in the Peace Mission? Whom did he represent, Government of India or Assam Government or Nagaland Government ?

Mr. Speaker : The position of Reverend Scott, as also the capacity in which he is participating in the Peace Mission, has already been explained twice or thrice before.

Shri Yashpal Singh : what I mean to say is that our culprit is staying with him, so in what capacity has he been included in the Peace Mission.

Mr. Speaker : Now you are again asking the same question. If your culprit is being sheltered by him, you should get another opportunity to apprehend that culprit.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : कई बार इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। हम ने यह बताया है कि पादरी स्काट को नागालैंड इसलिये जाते दिया गया था क्योंकि शान्ति मण्डल के संबंध में उन के सद्भाव से नागालैंड सरकार आश्वस्त हो गई थी।

Shri Yashpal Singh : Why has an agreement been signed with the rebels in a state which is being administered by the Centre and why have those rebels not been crushed?

Mr. Speaker : Now you are arguing and not seeking information.

Shri Yaspal Singh : He may simply give this much of information as to why an agreement has been signed with them.

Shri Hukam Chand Kachhawaiya : Have some conditions been laid down in the agreement reached with the Naga rebels and if so, details thereof?

Mr. Speaker : At present the agreement is for the suspension of operations. Other terms and conditions will be settled later.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ये सब शर्तें सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी हुई हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि इन छिपे हुए नागाओं द्वारा कोई ऐसा आश्वासन दिया गया है कि सन्धि के अवधि में वे लोग पाकिस्तान से अथवा अन्य किसी देश से हथियार नहीं मंगायेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि यह जानते हुए भी कि गत समय में वे लोग निरन्तर पाकिस्तान से हथियार प्राप्त करते रहे हैं, समस्या के इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया था ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्तिमंत्री (श्री लाल बहादुर) : यह बात बिल्कुल स्पष्ट करदी गई है और उन्हें इसके बारे में निश्चित रूप से बता दिया गया है । चाहे शर्तों में इस बात का उल्लेख न हो परन्तु उन्हें यह मालूम है कि यह बात उनको करनी है और उन्होंने कहा है कि वे इसका पालन करेंगे ।

Shri Bibhuti Mishra : Para 4 of the Statement states, "No firing unless first fired on." From this it appears as if Nagas belong to an independent territory and an agreement has been reached by us with such people. But our Prime Minister says it repeatedly that an agreement has been reached with them under the provisions of the Constitution of India. Will the Government like to give a clarification in this regard?

Mr. Speaker : Thakur Saheb asked this question just now and it was disallowed by me.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Sir, from the statement it appears as if Nagas belong to an independent territory. I want a clarification from the Prime Minister as to whether this agreement has been reached under the provision of the Constitution, because from the terms and conditions given in the statement it appears to be otherwise.

Mr. Speaker : This is why I have said that this is a matter for discussion and not for a supplementary question.

Shri Bibhuti Mishra : The Prime Minister is present and can reply to this question.

Mr. Speaker : The hon. Member may please resume his seat.

Shri Bibhuti Mishra : I do.

Mr. Speaker : Prime Minister can reply only when I allow the question. If I do not allow the question how can the Prime Minister reply to it ?

Shri Bibhuti Mishra : It is provided in our Constitution that......

डा० रानेन सेन : समय समय पर समाचार पत्रों में ये समाचार आते रहे थे कि नागालैंड से सशस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान जा रहे थे । इस विवरण में वह विशेष बात नहीं दी गई है जो समय समय पर समाचार पत्रों में आई थी । क्या वार्ता समिति ने नागा नेताओं के साथ इस बात पर वार्ता की थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन सभी ब्योरे करार में दिये गये हैं । विश्रांति के समय में विदेशों से किसी प्रकार के भी शस्त्र मंगाना मना है । विवरण में यह दिया गया है कि वे विदेशों से किन्हीं शस्त्रों का आयात नहीं करेंगे ।

डा० रानेन सेन : मैं ने पाकिस्तान में प्रशिक्षण का प्रश्न उठाया था ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ये सब बातें करार में शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों का ख्याल है कि यह बात विवरण में नहीं दी गई है और इसके अतिरिक्त इसका आश्वासन उन्हें मौखिक चर्चा द्वारा दिया गया है। इसलिये उन्हें भय है कि क्या वास्तव में ....

श्री दाजी : प्रधान मंत्री ने कहा कि यह बात तय पाई गई थी। यदि वह बात तय पाई थी तो उसको स्वयं करार में न देने के क्या कारण हैं?

डा० रानेन सेन : उन्होंने इसे क्यों नहीं लिया?

श्री लाल बहादुर शास्त्री: इसे करार में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे भारतीय संघ में शामिल हैं और इस देश में कोई भी राज्य किसी देश से तब तक शस्त्र नहीं आयात कर सकता जब तक ...

श्री हेम बरूआ : श्रीमन्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने आरम्भ में कहा कि यह निश्चित है कि वे ना ही शस्त्र विद्या में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये किसी अन्य देश में जा सकते हैं और ना ही किसी विदेश से शस्त्र आयात कर सकते हैं। और यह भी निश्चित है कि इसके पश्चात् ही नागा नेताओं से कोई बात करना सम्भव है ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन् मेरा एक औचित्य प्रश्न है । माननीय प्रधान मंत्री ने अभी बताया कि नागा विद्रोही क्योंकि वे भारतीय प्रदेश में हैं इसलिये वे न तो सैनिक प्रशिक्षण के लिये ही और न ही शस्त्रों के आयात के लिये पाकिस्तान जा सकते हैं। एक पिछले अवसर पर जब मैं ने "युद्ध विराम" शब्दों का प्रयोग किया तो आपने उस पर आपत्ति उठाई थी और मैंने उन्हें "गोली चलाना बन्द करो" शब्दों में बदल कर रख दिया था, क्योंकि एक राष्ट्र के दो भागों में कोई युद्ध विराम नहीं हो सकता। यहां सरकार खूब आराम से "युद्ध विराम" शब्दों का प्रयोग कर रही है । प्रधान मंत्री ने अभी उल्लेख किया कि वे भारतीय संघ में हैं और इसलिये वे प्रशिक्षण अथवा शस्त्रों के लिये किसी देश को नहीं जा सकते। यो दोनों बातें आपस में कैसे मेल खाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : यहां इसे गोली चलाना बन्द करो के लिये थोड़ी स्वतंत्रता से इस्तेमाल किया गया है ।

श्री हेम बरूआ : जी, नहीं। क्या म निवेदन कर सकता हूं कि ....

अध्यक्ष महोदय : इस की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हेम बरूआ : शायद मैं अपने भाव स्पष्ट नहीं कर पाया हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा बहुत योग्यता से किया है। मैं भी इसे समझ गया हूं। इस के बारे में कोई सन्देह नहीं रह गया है।

श्री हेम बरूआ : मैं आप की रक्षा और मार्गदर्शन चाहता हूं । उन का कहना है कि वे भारत के लोग हैं । हम भी जानते हैं कि वे भारत के लोग हैं । मैं नहीं समझ पाता कि भारतीय लोगों के उस भाग के साथ किस प्रकार कोई 'युद्ध विराम' हो सकता है जबकि वे स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि वे भारत के लोग हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा मार्ग दर्शन तो यह है कि वह कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें . . .

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं । 'युद्ध विराम' शब्द बिलकुल इस्तेमाल नहीं किये गये हैं । केवल यह कहा गया है : नागालैंड में कार्यवाहियों को स्थगित करने के निबन्धन और शर्तें ।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो मंत्रियों को भी इस का प्रयोग नहीं करना चाहिये जबकि इसे वहां पर प्रयोग में नहीं लाया गया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस का ख्याल रखेंगे । मैं ने ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किये हैं । मैं आशा करता हूं कि अन्य कोई मंत्री भी इन्हें इस्तेमाल नहीं करेगा ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : विवरण के अनुसार युद्ध विराम की एक शर्त यह है कि .

एक माननीय सदस्य : वह अब भी युद्ध विराम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मुझे खेद है । कार्यवाही स्थगित करने की एक शर्त यह है कि भारतीय सुरक्षा सेना सुरक्षा चौकियों से एक हजार गज से परे की दूरी पर गश्त नहीं करेगी । भारतीय सुरक्षा चौकियों के बीच कितना कितना फासला है ? यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस व्यवस्था को भंग करने के लिये सुरक्षा चौकियों के बीच के स्थान का दुरुपयोग तो नहीं किया जाता क्या प्रबंध किया गया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह ऐसा करार है जिस के अन्तर्गत दोनों पक्ष रखी गई कुछ शर्तों का पालन करने के लिये राजी हो गये हैं ।

श्री हेम बरूआ : पक्षों के क्या नाम हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मुझे विश्वास है; माननीय सदस्य जानते हैं कि पक्षों के क्या नाम हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीम सदस्य जानते हैं कि पक्ष भारत सरकार के प्रतिनिधि, नागालैंड की सरकार और नागा नेता हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ये शर्तें इसलिए रखी हैं कि छिपे हुए नागा लोग बिना रुकावट के बाहर आ जायें ताकि हम उन से मिल सकें और बातचीत कर सकें । इन सुविधाओं का उपबन्ध उस प्रयोजन के लिये किया गया है ।

दो सुरक्षा चौकियों के बीच कितना फासला है मुझे निश्चित रूप से मालूम नहीं, परन्तु मुझे विश्वास है कि दृष्टिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिये हालत सन्तोषजनक है ।

Shri M. L. Dwivedy : Have the Nagas completely stopped their sabotage activities ever since the suspension of operations and, if so, are the Governmemt aware of the number of Nagas who are still underground ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : शान्ति स्थापित करने के बाद तोड़-फोड़ की कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री कपूर सिंह : मैं तथ्यपूर्ण जानकारी चाहता हूं कि क्या एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य और उसके नागरिकों के बीच ऐसी व्यवस्था कभी किसी देश में स्वीकार की गई है जैसे कि नागालैंड में कार्यवाहियों को स्थगित करना, और यदि नहीं, तो क्या हमारी सरकार ने नागालैंड को कोई ऐसा प्रतिष्ठित स्थान दे रखा है जो उस स्थान से भिन्न है जो नागालैंड के भारत का अविभाज्य अंग होने के नाते है ?

श्री स्वर्ण सिंह : कार्यवाही स्थगित करना एक प्रकार की सर्वक्षमा है जो अनेक अवसरों पर दी जाती है, और मैं नहीं समझता कि केवल कार्यवाहियों को स्थगित करने से हम नागाओं को कोई विशेष स्थान देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बृजराज सिंह ।

Shri Brij Raj Singh : May I know whether Government have decided to enter into a similar agreement with the dacoits operating in Chambal Valley on whom huge amounts have been spent and who are a source of great nuisance to our Government, as has been reached with the Naga hostiles?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सुसंगत नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि अब भी कुछ ऐसे नागा विद्रोही हैं जोकि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये तैयार नहीं हैं और यदि हां, सम्मेलन में भाग लेने में उन्हें क्या आपत्ति है ?

श्री दी० चं० शर्मा : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । जब मेरे प्रश्न की अनुमति नहीं दी गई जोकि इससे अधिक निश्चित तथा सरल भाषा में पूछा गया था तो इस प्रश्न की अनुमति क्यों दी जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री जी प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह समझौता छुपे हुए नागाओं के साथ किया गया है और समस्त महत्वपूर्ण नागा नेता इसकी शर्तों से सहमत हैं । यदि कुछ नागा ऐसे हैं जिन के द्वारा गड़बड़ चालू रखे जाने की सम्भावना है तो वह एक भिन्न विषय है । हमें उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा । परन्तु मुझे आशा है कि चर्चा के दौरान कोई नयी गड़बड़ किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह एक बहुत नाज़ुक विषय है । मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे धैर्य रखें और इसकी आशा करें कि ये वार्ता सफल हो ।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें इस बात का बहुत हर्ष है कि नागालैंड में शान्ति स्थापित हो गई है अथवा होने की आशा है । सरकार द्वारा इस हेतु क्या कदम

उठाये गये हैं कि विदेशी ईसाई धर्मप्रचारक, जोकि सामान्यतया नागा ऐजन्सियों के द्वारा नागालैंड में गड़बड़ कराते हैं, फिर से नयी गड़बड़ न करा सकें ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे इस बात का खेद है कि नागालैंड में काम करने वाले भारतीय धर्मप्रचारकों पर इस प्रकार का आक्षेप लगाया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने विदेशी धर्मप्रचारकों के बारे में कहा है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : नागालैंड में कोई भी विदेशी धर्मप्रचारक नहीं हैं ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस शान्ति के प्रयास का सूत्रपात स्वयं भारतीय धर्मप्रचारकों द्वारा किया गया था । उनकी सेवायें बहुत ही लाभदायक हैं ।

श्री हेम बरूआ : उन्होंने जो अभी अभी यह कहा कि नागालैंड में कोई भी विदेशी धर्मप्रचारक नहीं हैं, ठीक नहीं है । उन्हें कहना चाहिये था कि "आदरणीय माइकल स्काट को छोड़ कर" ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the names of members of the Delegation for carrying on negotiations with Naga rebels have been decided and if so, whether the Bhoodan leader, Shri Jaya Prakash Narain, has been included in this Delegation?

Shri Lal Bahadur Shastri : No, Sir. Nothing has so far been decided in this regard.

दक्षिण अफ्रीका में आबादी की अदला-बदली

+

*4. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नम्बियार :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेद के आधार पर बड़े पैमाने पर आबादी की अदला-बदली आरम्भ हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस में कितने भारतीय अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) चूंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत सरकार के राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं, इसलिये उसे अपनी सूचना के लिए अधिकांशतः बाहरी सूत्रों से मिलने वाली खबरों पर ही निर्भर करना पड़ता है ।

हाल की खबरों से पता चलता है कि उस देश के तथाकथित अश्वेत लोग अभी तक पिछले वर्ष की वर्ग क्षेत्र घोषणाओं (ग्रुप एरियाज़ प्रोक्लेमेशन्स) के अन्तर्गत कष्ट तो झेल ही रहे हैं, साथ ही उन पर नई घोषणाएं फिर लादी जाने को हैं, जिनमें उनका बड़े पैमाने पर निष्कासन भी शामिल है ।

(क) सरकार के पास कोई ब्यौरेवार सूचना नहीं है लेकिन यह विश्वास किया जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका की समूची एशियाई आबादी पर, (करीब ४,७७,०००) जिन में से अधिकांश भारतीय मूल के हैं, वर्ग क्षेत्र अधिनियम (ग्रुप एरिया एक्ट) का असर पड़ेगा; जिसमें तथाकथित अश्वेत जाति के लोगों को औद्योगिक और व्यावहारिक दृष्टि से विकसित इलाकों से हटा कर अविकसित इलाकों में पहुंचाना भी शामिल है ।

(ग) चूंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं इसलिए उसे सीधा विरोध-पत्र भेजना सम्भव नहीं है । लेकिन भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के तथा अन्य मंचों से दक्षिण अफ्रीका की जातिभेद की नीति के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख हिस्सा लिया है ।

श्री अ० क० गोपालन : इस बात को देखते हुए कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार समस्त संसार से आने वाले विरोध पत्रों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देती है, भारत सरकार का इन पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के लिये और क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैंने बताया भारत सरकार ने इस विषय पर बातचीत की है । संयुक्त राष्ट्र संघ ने मामले की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है । मामले की पहिले से ही जांच जारी है । एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें सदस्य-राज्यों से कुछ कार्यवाही करने के लिये प्रार्थना की गई थी । काफी संख्या में राज्यों ने वह कार्यवाही की है ।

श्री अ० क० गोपालन : क्या उन लोगों से जो कि प्रभावित हुए हैं, सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे विचार से अभ्यावेदनों का प्राप्त करना आवश्यक नहीं है । हमें पहिले से ही कठिनाइयों की जानकारी है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार ने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधियों की इस समय भारत में उपस्थिति से कुछ लाभ उठाया है जो कि सरकार को वास्तविक स्थिति से ठीक प्रकार अवगत करा सकते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जी, हां । हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसे भारतीयों की कुल कितनी संख्या है जो कि उन क्षेत्रों में हैं जहां श्रमिकों के झगड़े हो रहे हैं ? इन भारतीयों को वहां से हटा कर कहां भेजा जा रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे विचार से माननीय सदस्य भारतीयों को भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संज्ञा दे रहे हैं । मैंने अभी अभी यह बताया है कि वहां भारतीय उद्भव के लगभग कितने व्यक्ति हैं । वहां पर भारतीय नागरिक कोई भी नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका के एक भारतीय प्रतिनिधि, डा० दादू, ने हमारी सरकार तथा विशेषकर हमारे प्रधान मंत्री को इस आशय का अभ्यावेदन भेजा है कि ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र के दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी संकल्प को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं और उन्होंने भारतीय सरकार से मांग की है कि वह ऐसा विश्व मत तैयार करे ताकि ये देश अपना रवैया बदलने की कोशिश करें और संयुक्त राष्ट्र का यह संकल्प क्रियान्वित किया जा सके ? यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : हम संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य किसी भी ऐसे सभा स्थान पर, जहां कि यह मामला उठाया जाना है जैसे कि प्रधान मंत्री सम्मेलन, यही कुछ कर रहे हैं ।

श्री रामेश्वर टांटिया : दक्षिण अफ्रीका की भांति और कौन से ऐसे देश हैं जहां पर यह योजना थोपी जा रही है । जब हमारे इतने अधिक भारतीय वहां पर हैं, तो आवश्यकतानुसार अपने राजनयिक मिशनों को वापिस बुला लेने के अतिरिक्त हम और क्या करने की सोच रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हम केवल एक देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं ।

श्री वारियर : क्या सरकार ने किसी मित्र देश से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा इन भारतीयों की मदद करने के लिये कहा है जो यहां वापिस आना चाहते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने बार बार कहा है कि हम यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ले गये हैं जहां हमें बहुमत का समर्थन प्राप्त है ।

विदेशों से प्रतिरक्षा संबंधी सहायता

*5. { **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री ह० चं० सोय : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन के विरुद्ध भारतीय प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये ५ जून, 1964 से अब तक किन-किन देशों की सरकारों ने सैनिक सहायता तथा उपकरण दिये हैं;

(ख) उनमें से किन-किन देशों ने योजनाबद्ध कार्यक्रम के रूप में अग्रेतर सहायता देने का वायदा किया है; और

(ग) क्या इस विषय पर एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) निम्न देशों की सरकारों ने 5 जून, 1964 से अब तक सैनिक प्रदाय और साज .सामान प्राप्य किया है :

आस्ट्रेलिया	यू० एस० ए०
कनाडा	रूस
यू० के०	योगोसलाविया

(ख) और (ग). यू० के०, यू० एस० ए० तथा रूस की सरकार के साथ सैनिक साजसामान के प्रदाय के सम्बन्ध में बात-चीत जारी है । इन देशों द्वारा अधिक दी जाने वाली सहायता के विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार ने स्वयं अपनी ओर से या समस्त मित्र देशों की मंत्रणा से, जिनमें रूस तथा अमरीका भी शामिल हैं और जिन्होंने हमें चीन के विरुद्ध सहायता दी है और अब भी दे रहे हैं, उस ऐतिहासिक संकल्प को, जो सभा द्वारा एकमत से पारित किया गया था और जिसके द्वारा सरकार से आग्रह किया गया था कि वह चीनी आक्रमणकारियों को अपने राज्य-क्षेत्र से खदेड़ दे, कार्यरूप देने के लिये एक ठोस अवधि योजना को अन्तिम रूप दिया है ?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा यहां पर कई बार दिया गया है । हमारा उद्देश्य उसी संकल्प के अनुसार कार्य करना है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि रूस ने इस देश में मिग 21 विमान के निर्माण के लिये तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में सहायता देने का वचन दिया था और उस सहायता को देने में देरी की गई है और क्या यह भी सच है कि अमरीका ने बंगलौर में एच० एफ०—2० विमान के निर्माण के लिये सहायता देने तथा विशेषज्ञों की मंत्रणा उपलब्ध करने का वचन दिया है ?

श्री अ० म० थामस : दो अलग अलग परियोजनायें हैं । एच० एफ०—24 परियोजना के लिये अमरीकी सहायता सम्बन्धी प्रश्न निस्संदेह विचाराधीन है । वास्तव में उन्होंने कहा है कि इस पर अग्रेतर विचार किया जायेगा । परन्तु जहां तक मिग परियोजना का सम्बन्ध है, यह कहना सही नहीं होगा कि इसकी प्रगति धीमी रही है । वास्तव में एक अन्तिम समझौता सम्पन्न करने के लिये एक प्रतिरक्षा दल रूस में गया हुआ है । जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, प्रतिरक्षा मंत्री भी रूस में ही हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया गया है । चूंकि इस बारे में 1½ वर्ष पहिले निर्णय लिया गया था, इसलिये देश जानना चाहता है कि क्या प्रगति की गई है । यह कहना पर्याप्त नहीं है कि प्रगति संतोषजनक है । इस मामले में कोरापुट अथवा नासिक में कुछ भी नहीं किया गया है ।

श्री अ० म० थामस : विमानों के ढांचे बनाने वाले कारखाने, इंजन बनाने वाले कारखाने आदि के बारे में विभिन्न परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं । इन पर ब्यौरेवार विचार किया जा रहा है । मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं से सम्बन्धित असैनिक कार्य संतोषजनक तरीके से चल रहे हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा दबाव दिये जाने के कारण अमरीका सरकार ने हमें कुछ प्रकार का सैनिक साज सामान देना अस्वीकार कर दिया है और यदि हां, तो इस प्रकार का साज सामान कौन सा है ?

श्री० श्र० म० थामस : इस प्रकार का अर्थ निकालना ठीक नहीं है । वस्तुत: हमारी सैनिक आवश्यकताओं के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री तथा एक अन्य दल द्वारा भी, जिसने अमरीका का दौरा किया था, विचार विमर्श किया गया था तथा खतरे के स्वरूप और इस देश की आवश्यकताओं के बारे में दोनों देशों के बीच पर्याप्त सहमति थी । बातचीत संतोषजनक रही है । अमरीका ने हमें काफी सहायता प्रदान की है । मैं यहां उसका ब्यौरा न दे सकूंगा । कुछ पहलुओं के बारे में देश की सहमति प्राप्त हुए बिना कुछ बताना उचित भी नहीं होगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह प्रार्थना कर सकती हूं कि प्रश्न काल के बाद प्रश्न संख्या 7 का उत्तर दिये जाने की अनुमति दी जाय ?

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न लोक महत्व का हो तथा मंत्री जी उसका उत्तर देने के लिये तैयार हों, तो यह विशेषाधिकार केवल उन्हीं को है । वह प्रश्न काल के बाद ऐसा कर सकते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरे विचार से पहिले भी ऐसे अवसर आये हैं जब कि इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : वह नियम तो अब भी विद्यमान है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ध्वनि राकेट

*6. श्री रा० गि० दुबे :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री नम्बियार :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचिबावा :
डा० सारादीश राय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणुशक्ति आयोग फ्रांस की सी० एन० ई० एस० के सहयोग से भारत में फ्रांसीसी बलेयर और सेंटर की किस्म के ध्वनि राकेट बनाने का कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार कर रहा है ;

(ख) क्या अणुशक्ति आयोग और सी० एन० ई० एस० के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल. बहादुर शास्त्री): (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

जी हां । भारत में सेंटर (Centaure) राकेट बनाने का कार्य शीघ्र ही परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा फ्रांस के मैसर्ज सूद एविएशन के सहयोग से प्रारम्भ किया जायेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग तथा उपरोक्त फर्म में फ्रांस की सी० एन० ई० एस० (Centre National D'Etudes Spatiales) की सहायता से, तकनीकी जानकारी देने तथा राकेट तैयार करने का क़रार किया गया है ।

इस करार में अन्य बातों के साथ साथ इस बात का विधान है कि मैसर्ज सूद एविएशन :

(i) 6 Centaure High Atmosphere Exploration vehicles. (राकेट) बेचेगी :

(ii) भारत में ऐसे राकेटों के बनाने के लिए लाइसेंस देगी ;

(iii) ऐसे राकेटों के निर्माण सम्बन्धी पूरी तकनीकी जानकारी प्रदान करेगी ;

(iv) अपनी फैक्ट्री में भारतीय प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण देगी ; तथा

(v) परमाणु ऊर्जा विभाग के राकेट निर्माण कार्यक्रम में सहयोग देने के लिये कुछ प्रविधिज्ञ भेजेगी ।

राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री म० ना० स्वामी :
डा० रानेन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री न० प्र० यादव :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री हेम राज :

1045 (ai) LSD—5.

*7. श्री सोलंकी :
श्री महानन्द :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
डा० पं० शा० देशमुख :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री पु० र० पटेल :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री कजरोलकर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री राम सेवक यादव :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रामनाथन चेट्टियार :
श्री बड़े :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हबाल्मीकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :]
श्री काशीराम गुप्त :
श्री दाजी :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री बै० ना० कुरील :
श्री प्र० के० देव :
श्री स्वैल :
श्री किशन पटनायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण

भारत के प्रतिनिधि जुलाई, 1964 में लन्दन में हुए राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में भारत-पाकिस्तान समस्याओं की ओर निर्देश के सम्मिलित किये जाने के लिये सहमत हो गये अथवा ऐसा करने के लिये उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री): माननीय सदस्यों को पता है कि चूंकि मैं अस्वस्थ था, इसलिये श्री ति० त० कृष्णमाचारी तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी को भारत सरकार की ओर से राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के लिये कहा गया। वहां से लौट कर उन्होंने सम्मेलन की कार्रवाई के बारे में मझे पूरी जानकारी दी।

2. 8 जुलाई को सम्मेलन के पहले दिन श्री जवाहरलाल नेहरू को ज़ोरदार शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि एक प्रकार से राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्रियों का वर्तमान सम्मेलन श्री जवाहरलाल नेहरू का स्मारक मात्र ही था क्योंकि राष्ट्रमण्डल का वर्तमान स्वरूप स्वरूप उन्हीं की नीति का परिणाम था तथा उन्हीं की नीति ने परिणामस्वरूप भिन्न भिन्न शासन प्रणाली का अनुसरण करने वाले देश राष्ट्रमण्डल के सदस्य बन सके। वर्तमान राष्ट्रमण्डल सारे महाद्वीपों, धर्मों तथा जातियों का प्रतिनिधित्व करता है और उन सब बातों से परे है जो मानव जाति को जकड़े हुए हैं और इस कारण सम्मेलन की कार्यवाही का विशेष महत्व हो गया था ।

3. जिन विषयों पर वहां पर चर्चा हुई उनके परिणाम सम्मेलन के पश्चात् निकाली गई विज्ञप्ति में दिये हुए हैं। जैसा कि विज्ञप्ति से स्पष्ट हो जाता है, सम्मेलन में विश्व स्थिति, दक्षिण अफ्रीका की जाति-भेद नीति, पुर्तगाल की औपनिवेशिक नीति तथा ब्रिटिश उपनिवेशों की लम्बित समस्याओं पर चर्चा की गई। अन्य जिन विषयों पर चर्चा की गई वे आर्थिक तथा सामाजिक कार्य-क्रमों में राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच सहयोग तथा राष्ट्रमण्डलीय सहायता तथा व्यापार सम्बन्धी विषयों के मामले में राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच सहयोग बढ़ानेहेतु उपायों से सम्बन्धित थे।

4. हमारे प्रतिनिधिमण्डल ने विभिन्न मदों पर हुई चर्चा में भाग लिया और भारत सरकार की नीतियों के अनुसरण में अपने विचार व्यक्त किये।

5. मैं सम्मेलन की कार्यवाही के बारे में और अधिक न कहते हुए सम्मेलन की समाप्ति पर जारी की गई विज्ञप्ति में भारत-पाक समस्याओं के उल्लेख के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। भारतीय समाचार पत्रों में तथा देश की जनता द्वारा विज्ञप्ति में निम्नलिखित निर्देश के बारे में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किये गये हैं :—

> "प्रधान मंत्रियों ने इस बात पर सन्तोष प्रकट किया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री ने अपने सार्वजनिक भाषणों में मित्रता का हाथ बढ़ाया है और यह आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच आपसी समस्याओं को मैत्रीपूर्ण ढंग से हल कर लिया जायेगा।"

मैं माननीय सदस्यों की परेशानी को अच्छी तरह समझता हूं कि राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन में ऐसी समस्याओं पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये जिनके बारे में राष्ट्रमण्डल के सदस्य देशों में मतभेद है। फिर भी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस निर्देश का सम्बन्ध है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सद्भावना की अभिव्यक्ति मात्र था और यह इस परम्परा का उल्लंघन नहीं करता है कि ऐसे सम्मेलनों में अन्तर्राष्ट्रीय मतभेदों पर चर्चा न की जाये। मेरा ध्यान इस बात की

ओर भी गया है कि कुछ अन्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने, जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था, अपने सार्वजनिक भाषणों में इस बात की पुष्टि की है कि अन्तर्राष्ट्रीय मतभेदों की चर्चा न करने की परम्परा का पूर्ण रूप से पालन किया गया है और इन मतभेदों को दूर करना सम्बन्धित देश का आपसी मामला है। हमने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि हम अपने राष्ट्रीय सम्मान को दृष्टि में रखते हुए पाकिस्तान के साथ अपने मतभेदों को शान्तिपूर्वक ढंग से दूर करना चाहते हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि लन्दन सम्मेलन में अच्छे उद्देश्य से व्यक्त की गई इस सद्भावना का भारत के कुछ लोगों ने गलत अर्थ लगाया है और विदेशों में कुछ क्षेत्रों में इसको गलत रूप में पेश किया गया है। हम ऐसे अपकथन में दिये गये सुझावों का दृढ़ता से खण्डन करते हैं। इसके साथ साथ हम पुनः यह संकल्प करते हैं कि हम गौरव तथा उत्तरदायित्व की भावना से तथा एक ऐसे राष्ट्र के रूप में कार्य करते रहेंगे जो शान्तिप्रिय है और अपने मतभेदों को शान्तिपूर्वक ढंग से हल करना चाहता है।

बोनस आयोग

*8. श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री मोहन स्वरुप :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री दाजी :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री दे० द० पुरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बोनस आयोग के प्रतिवेदन तथा उसकी सिफारिशों की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख). उस संकल्प की प्रति, जिसमें बोनस आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णयों की घोषणा की गई है, सभा पटल पर रख दी गई है । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०---2987 / 64]

भारत-चीन सीमा विवाद

*9. श्री म० ना० स्वामी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिद्धान्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री प० चं० बर्मन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कजरोलकर :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री रा० बरुआ :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री स्वैल :
श्री तन सिंह :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री बं० ना० कुरील :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो राष्ट्रों की ओर से भारत-चीन सीमा विवाद को निबटाने के लिये कोई नये प्रयास किये गये हैं ; और

(ख) इस विवाद को निबटाने के लिये क्या भारत सरकार कोई नये कदम उठाने के बारे में सोच रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि कोलम्बो देशों ने भारत-चीन सीमा विवाद को तय कराने के बारे में नए सिरे से कोशिशें की हैं । लेकिन हाल में भारत और श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों के बीच इस सुझाव पर पत्र-व्यवहार हुआ है कि क्या लद्दाख के विसैन्यीकृत क्षेत्र में दोनों देशों की चौकियों के न होने को कोलम्बो प्रस्तावों की पूर्ति समझा जा सकता है ।

(ख) हाल में, श्रीमती बंडारनायक के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारत सरकार ने कहा है कि अगर चीनी लद्दाख के विसैन्यीकृत क्षेत्र में अपनी चौकियां हटाने को राजी हो जाते हैं तो इसे कोलम्बो प्रस्तावों की पूर्ति समझा जा सकेगा और अगर चीन इस पर सहमत हो जाता है और कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लेता है तो कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर भारत और चीन के बीच बातचीत की जा सकती है ।

जंजीबार में भारतीय

*10. श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जंजीबार में चीन द्वारा किये जाने वाले प्रचार के परिणामस्वरूप वहां रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की स्थिति दयनीय हो गई है ; और

(ख) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जंजीबार में भारतमूलक लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसके विषय में भारत सरकार को जानकारी है ।

(ख) जो भारतमूलक लोग जंजीबार से भारत आना चाहते हैं, उन्हें सरकार सभी उचित सुविधायें दे रही है । जंजीबार में एक रिहायशी मिशन खोलने का भी इरादा है जिससे कि इस द्वीप में रहने वाले भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सके ।

गिलगिट में पाकिस्तानी हवाई अड्डा

*11. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हेम राज :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने युद्ध-विराम रेखा के बहुत निकट गिलगिट एजेंसी के चिलास नामक स्थान पर जैट बम वर्षकों के उतरने योग्य एक बड़े हवाई अड्डे का निर्माण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नेफा में बर्मा के शरणार्थी

*12. श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री विश्राम प्रसाद :
महाराजकुमार विजय ग्रानन्द :
श्री दे० द० पुरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दे० जी० नायक :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री बड़े :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स्वैल :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा का एक दल उत्तरी बर्मा से ग्रादिम जाति के 3,000 व्यक्तियों द्वारा नेफा के तिरप डिवीजन में किए गए प्रवेश से उत्पन्न समस्या पर नेफा प्राधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिये शिलांग ग्राया था ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो दल के साथ किन विशिष्ट विषयों पर बातचीत हुई तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) बर्मा राजदूतावास के दो ग्रधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों के साथ जुलाई 1964 में शिलांग ग्रौर नेफा के तिरप फ्रंटियर डिवीजन का दौरा किया था।

(ख) बर्मा से जो टांग्सा नामक कबायली शरणार्थी ग्रपने बर्मा स्थित गांवों में उपद्रवों के कारण तिरप फ्रंटियर डिवीजन में चले गये थे, उनके रख-रखाव ग्रौर पुनर्देशावर्तन के विषय पर बातचीत हुई थी।

इस दौरे के परिणामस्वरूप, बर्मी राजदूतावास उस खर्च को वापस देने के लिए राजी हो गया है जो इन शरणार्थियों के रख-रखाव पर खर्च किये गये थे ग्रौर ग्राशा है कि राजदूतावास उन्हें लौटा कर बर्मा ले जाने के लिए जल्दी ही प्रबन्ध करेगा।

तिब्बत में चीनी सेना का जमाव

*13. श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भी० प्रं० यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बागड़ी :
श्री हेम राज :
श्री बाल्मीकी :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने तिब्बत में सेनाओं के जमाव के विरुद्ध चीन सरकार से विरोध प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) देश की प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) भारत सरकार ने समय समय पर चीन सरकार को जो पत्र भेजे हैं उनमें तिब्बत में चीनी सैनिकों के जमाव की बात कही है ।

(ख) चीन सरकार की प्रतिक्रिया यह रही है कि उसने इस सच्चाई को मानने से इन्कार किया है कि तिब्बत में चीनी सैनिकों का जमाव है ; उलटे उसने भारत पर ही सैनिक तैयारियां करने का आरोप लगाया है । चीन सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि भारत बिना शर्त बातचीत करके सीमा के झगड़े को निपटाने के लिए तैयार नहीं ।

(ग) देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार सभी संभव उपाय कर रही है ।

भारतीय वायु सेना के लिए अमरीकी लड़ाकू विमान

*15. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भी० प्र० यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामपुरे :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बृजराज सिंह—कोटा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना को लड़ाकू विमान देने के बारे में अमरीका सरकार से कहा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) मई 1964 में अधिकारी दल तथा प्रतिरक्षा मंत्री के यू० एस० ए० में हाल के दौरे के दर्मियान, अमरीकन अधिकारियों से जिन विषयों पर बातचीत हुई, उनमें एक था, अमरीकी सैनिक सहायता कार्यक्रम के अधीन भारतीय वायुसेना के लिए उच्च निष्पादन के लड़ाकू विमानों का प्रदाय । अमरीकन सरकार ने संकेततः कहा है, कि सैनिक सहायता कार्यक्रम में उनसे मांगे गए लड़ाकू किस्म के विमानों को स्थान देना संभव नहीं होगा । तदपि यू० एस० ए० से इस क्षेत्र में किस प्रकार की सहायता प्राप्य होगी, इस बात को निश्चित करने के लिए निरीक्षण जारी है ।

द्वितीय अफ्रीकी शिखर सम्मेलन

*17. { श्री शशिरंजन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काहिरा में हुए द्वितीय अफ्रीकी शिखर सम्मेलन का भारत सरकार का बधाई सन्देश इतनी देरी से पहुंचा कि वह प्रारम्भिक बैठक में पढ़ा नहीं जा सका ;

(ख) यदि हां, उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस भूल के लिए किसी अधिकारी को दोषी ठहराया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) : काहिरा में अफ्रीकी देशों के राज्याध्यक्षों के दूसरे सम्मेलन के सभापति के नाम राष्ट्रपति का शुभ कामना संदेश 17 जुलाई को भेजा गया था और वह सम्मेलन शुरू होने तक वहां पहुंच जाना चाहिए था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक तथा तार अधिकारियों का अमरीका का दौरा

*18. { श्री रामनाथन चेट्टियार :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग के एक अधिकारी दल ने मई-जून, 1964 में अमरीका का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस दल के सदस्य कौन-कौन थे और उस दौरे का अभिप्राय क्या था ;

(ग) उस पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(घ) उस दौरे के क्या परिणाम निकले ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) इस दल में श्री जगदीश प्रसाद सदस्य, डाक और तार बोर्ड, श्री के० डी० वैद्य, डिपुची चीफ़ इंजिनीयर और श्री टी० आर० सुन्दररामन्, डायरेक्टर आफ अकाउंट्स शामिल थे । उनकी अमरीका यात्रा का प्रयोजन डाक व तार विभाग के लिये एक ऋण के बारे में (विश्व बैंक की एक सहायक संस्था) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से बातचीत करना था ।

(ग) 24,450 रु० जिन में लगभग 4,400 रु० की विदेशी मुद्रा का खर्च भी शामिल है ।

(घ) इस बातचीत के फलस्वरूप 6 जुलाई, 1964 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अधीन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन ने 3 करोड़ 30 लाख डालर का ऋण दिया है ।

लंका में भारतीय

*19. श्री नम्बियार :
डा० सारादीश राय :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री बड़े :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री प० कुन्हन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री कजरोलकर :
श्री स्वैल :
श्री धर्मलिंगम :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के प्रश्न पर विचार करने के बारे में कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो किस स्तर पर ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी हां। आशा है कि श्रीलंका और भारत के प्रधान मंत्रियों के बीच अक्तूबर, 1964 में बातचीत होगी ।

शक्तिशाली ट्रांसमिटर

*20. श्री दी० चं शर्मा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री ग्र० सिं० सहगल :
श्री पे० वेंकटासुब्बया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री म० ला० जाधव :
श्री फ० गो० सेन :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रामपुरे :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामहरख यादव :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री धर्मलिंगम :
श्री शिन्दे :
श्री ग्रोंकार लाल बेरवा :

क्या सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्री 1 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के प्रचार को रोकने के हेतु शक्तिशाली ट्रांसमिटर खरीदने के लिये प्राप्त "टैन्डरों" पर विचार कर लिया गया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो स्वीकार किये गये टेन्डर की मुख्य बातें तथा इसके क्रय की शर्तें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराराधीन है ।

भारत-चीन विवाद संबंधी पुस्तकें

*21. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत-चीन विवाद संबंधी दो पुस्तकों, अर्थात् (1) हिमालयन बैटलग्राउन्ड, लेखक मारगरेट एम० हिशर तथा अन्य व्यक्ति और (2) दि चाइना-इण्डिया बार्डर ; दि ओरिजन आफ दि डिसप्यूटड बाउन्ड्रीज, लेखक "एलास्टेअर लैम्ब", की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुस्तकों में दिए गए तथ्यों के सत्यापन के लिए ये पुस्तकें कभी सरकार के पास भेजी गई थीं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार को इन पुस्तकों के प्रकाशन की जानकारी है, लेकिन प्रकाशकों ने ये पुस्तकें सरकार के पास तथ्यों की जांच के लिए नहीं भेजीं ।

अभ्रक खान श्रमिकों में बेरोजगारी

*22. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक उद्योग में लगातार मन्दी रहने के परिणामस्वरूप गिरीडीह, कोडरम और तिसरी में अभ्रक व्यापारियों ने बड़ी संख्या में अपने लाइसेंस वापिस कर दिये हैं और अपना कारबार बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या अभ्रक उद्योग में काम करने वाले 40,000 से अधिक कर्मचारी, जिनमें खनिक भी शामिल हैं, बेरोज़गार हो गये हैं ; और

(ग) इन बेरोज़गार लोगों को सहायता देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) से (ग). सूचना उपलब्ध नहीं है । यह एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सामने रख दी जायेगी ।

प्रशासनिक सुधार

*23. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे किन किन प्रशासनिक सुधारों के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने 11 जून, 1964 को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में जिन सुधारों की ओर संकेत किया है उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में वे क्या कार्यवाही करने की सोच रहे हैं ; और

(ख) नागरिक तथा उसकी समस्याओं के संबंध में प्रशासन का रवैया बदलने के लिए प्रधान मंत्री ने यदि कोई कदम उठाये हों तो वे क्या हैं?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) प्रशासनिक सुधार विभाग ने जो इस समस्या को हल करने के लिए खोला गया था, सरकार के काम की जल्दी से निपटाने और कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से कई दिशाओं में पहले ही काम शुरू कर दिया है । इसका विवरण उस ब्यौरे में दे दिया गया है जो सदन की मेज पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या** एल० टी०–2988/64]

(ख) प्रशासन से संबद्ध व्यक्तियों का रवैया नियमों और तरीकों पर इतना निर्भर नहीं करता जितना कि इस बात पर कि सभी संबद्ध व्यक्ति निजी रूप से उस तरीके के प्रति क्या रुख अपनाते हैं जिससे उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है ।

यह सरकार ऐसी है जो जनता के प्रति उत्तरदायी है और माननीय सदस्य ने जो यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, उस पर सरकार के विचार प्रशासन को अच्छी तरह बता दिए गए हैं ।

गैर-सरकारी उद्यम का कार्य

*24. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमरीकी पत्रिका 'न्यूजवीक' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उन्होंने एक संवाददाता को यह बताया था कि भारत की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए वह गैर-सरकारी उद्यम पर श्री नेहरू की अपेक्षा अधिक निर्भर रहना पसन्द करेंगे ; और

(ख) क्या इस्पात, पेट्रो-रासायनिक पदार्थ और औषधियों जैसे क्षेत्रों में भी विदेशी गैर-सरकारी पूंजीपतियों को अपनी पूंजी लगाने के लिए काफी अधिक अवसर दिया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां । लेकिन इस विषय में संवाददाता ने प्रधान मंत्री के किसी वक्तव्य का हवाला नहीं दिया है बल्कि उसने अपना ही निष्कर्ष निकाला है जोकि मेरे वक्तव्य में कही गई इस बात के प्रतिकूल बैठती है "हमारा वस्तुनिष्ठ समाजवाद (आब्जक्टिव सोशलिज्म)—स्पष्ट है" ।

(ख) इस प्रश्न का संबंध कुछ विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों में लगी विदेशी प्राइवेट पूंजी से है जिसका 'न्यूज़वीक' के लेख में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है । विदेशी प्राइवेट

पूंजी के बारे में लोक-सभा में सवाल उठाए गए थे और वित्त मंत्री ने 10 मार्च, 1964 को बजट की ब स के दौरान उनका पूरी तरह जवाब दे दिया था। इन विषयों पर सरकारी नीति पर और आगे विचार नहीं किया गया है और इसके अलावा कोई और सूचना नहीं है जो दी जा सके।

प्रतिरक्षा मंत्री की अमरीका यात्रा

*25. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बड़े :
श्री हेम राज :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कौल्ला वेंकैया :
श्री बासप्पा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत मई में उनकी अमरीका यात्रा भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने की दृष्टि से कहां तक सफल हुई ;

(ख) क्या अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान की आपत्ति के कारण भारत को एफ–104 इन्टरसेप्टर बमवर्षक विमान देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) भारत की पंचवर्षीय प्रतिरक्षा योजना के लिए अमरीका ने कितना ऋण देने का वचन दिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) प्रतिरक्षा मंत्री के मई, 1964 में यू०एस०ए० के दौरे के दर्मियान अमरीकन सरकार से बातचीत हुई थी। चीनी खतरे के परिणाम और उसका सामना करने के लिए उपायों के बारे में सभी पूर्ण सहमत थे। समय समय पर अमरीकी कांग्रेस की स्वीकृति की शर्त के साथ अमरीकन अधिकारियों ने भारत सरकार को निम्न सहायता देना स्वीकार किया है :—
(1) वित्तीय वर्ष 1965 (जुलाई 1964 से जून 1965) में सैनिक अनुदान सहायता

जो वित्तीय वर्ष 1964 के स्तर की होगी (2) प्रतिरक्षा सामान और सेवाएं जुटाने के लिए एक करोड़ डालर का फौरी ऋण। (3) वित्तीय वर्ष 1965 मे 5 करोड़ डालर का एक और ऋण।

(ख) अमरीका सरकार ने संकेततः कहा है कि सैनिक सहायता कार्यक्रम में उनसे मांगे गए लड़ाकू किसम के विमानों को स्थान देना संभव नहीं होगा। तदपि यू० एस० ए० से इस क्षेत्र में किस प्रकार की सहायता प्राप्य होगी इस बात को निश्चित करने के लिए निरीक्षण जारी है।

(ग) अमरीकन अधिकारियों ने संकेततः यह भी कहा है कि भारत के प्रतिरक्षा प्रयास को जारी रखने के लिए अनुदान सहायता तथा ऋण सहायता दोनों प्रकार की सहायता देने के प्रश्न पर, वह विचार करने पर राज़ी हैं।

त्रावनकोर मिनरल्ज

*26. श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या प्रधान मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर मिनरल्ज का भावी ढांचा अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो चवारा संयंत्र द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किया जाएगा; और

(ग) क्या मेसर्स होपकिन ऐंड विलियम्ज लिमिटेड की आस्तियों और दायित्वों को सम्भाल लिया गया है?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). इण्डियन रेयर अर्थ्स की मोनाज़ाईट की बढ़ती हुई मांग तथा निर्यात सम्बन्धी वायदों को पूरा करते के लिए मनवालाकुरिचि में इस क्षेत्र की समुद्र-तट की रेत से खनिज पदार्थों को सस्ते उपायों द्वारा पृथक करने के उद्देश्य से एक नया संयंत्र लगाने का निर्णय किया गया है। नया संयंत्र वर्तमान संयंत्र के समीप लगाया जा रहा है तथा इसे लगाने का कार्य प्रगति पर है।

चवारा में दोबारा कार्य आरम्भ होना क्विलोन ग्रेड इलमेनाईट के विक्रय के लिए देश अथवा विदेशों में नियमित बाज़ार मिलने पर निर्भर करता है। प्रबल कोशिशों के बावजूद क्विलोन ग्रेड इल्मेनाईट की बड़ी मात्रा में विक्रय के लिये कोई नियमित बाजार अब तक नहीं मिल सका है।

(ग) यह विदित हुआ है कि केरल सरकार मैसर्ज होपकिन एंड विलियम्ज (त्रावनकोर) लिमिटेड की आस्तियों और दायित्वों को संभालने के लिए सिद्धान्त रूप से तैयार हो गई है तथा इस सम्बन्ध में आपसी बातचीत जारी है।

बर्मा में निरुद्ध भारतीय व्यापारी

*27. { श्री रिशांग किशिंग :
श्री विभूति मिश्र :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय व्यापारी बर्मा में नज़रबन्द हैं;

1046 (ai) LSD—6.

(ख) क्या भारत सरकार ने उन लोगों को भारत भेजने का मामला बर्मा सरकार से उठाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) हिरासत में पड़े हुए भारतीय व्यापारियों की ठीक-ठीक संख्या मालूम नहीं है। लेकिन, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कई सौ भारतीय व्यापारी बर्मा में हिरासत में रखे गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) हिरासत में पड़े भारतीय व्यापारियों को छुड़ाने और उन्हें भारत वापस लाने के सवाल पर राजनयिक सूत्रों के ज़रिए बर्मा सरकार के साथ लिखा-पढ़ी की गई है। बर्मा सरकार ने रंगून-स्थित हमारे राजदूतावास को इस बात का आश्वासन दिया है कि 27 मई, 1664 से पहले 'अर्थ-संबंधी अपराधों के सिलसिले में जो लोग रोके गए हैं, उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा और देश छोड़कर जाने दिया जाएगा। बाकी लोगों के बारे में बर्मा सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

नागा विद्रोही

*28. **श्री प्र० के० देव :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रा० बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री पु० र० पटेल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री स्वैल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोहियों ने कोहिमा तथा उसके साथ लगे क्षेत्रों में 1 अगस्त, 1664 को मार्टर-गोले चलाये ;

(ख) यदि हां, तो हमारी ओर से कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) क्या नागा विद्रोहियों की हिंसात्मक कार्यवाहियों का कोई मुकाबला भी किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थॉमस) : (क) जी हां।

(ख) असम राइफल्ज़ का एक अवर श्रेणी सैनिक और सीमा सड़क निर्माण बल का एक व्यक्ति घायल हुआ था।

(ग) तथा (घ) विद्रोहियों की गोलियों के प्रत्युत्तर में हमारी चौकियों ने गोलियां चलाईं और संदिग्ध क्षेत्रों में तलाशी के लिए गश्ती दस्ते भेज दिए गए। फलस्वरूप उस क्षेत्र से निम्न मदें बरामद हुईं :—

(1)	.303 गोली-बारूद	92 गोलियां
(2)	2 इंच मार्टर बम्बों के खाली खोल	4
(3)	फ्यूज़ 51 एम० एम० मार्टर	1
(4)	कुछ दागी गई गोलियों के कुछ खोल	1

आक्सफोर्ड डिक्शनरी में पाकिस्तान की परिभाषा

*29. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कन्साइज़ आक्सफोर्ड डिक्शनरी के नवीनतम (1964) संस्करण की ओर दिलाया गया है जिसमें पाकिस्तान की परिभाषा में काश्मीर उसमें शामिल दिखाया गया है ; और

(ख) क्या मामले में कोई कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां।

(ख) लंदन-स्थित हमारे हाई कमिशन ने आक्सफोर्ड के क्लेरेन्डेन प्रेस से लिखा-पढ़ी की थी। इस फर्म ने बताया है कि कश्मीर का जिक्र 'पाकिस्तान' शब्द की व्युत्पत्ति में बड़े कोष्ठकों (स्क्वेयर ब्रकेट्स) में है और असल में इसके अर्थ की परिभाषा का अंग नहीं इस फर्म ने यह भी कहा है कि शब्द व्युत्पत्ति में कश्मीर का ज़िक्र आ जाने का यह अर्थ नहीं है कि उसकी कानूनी संवैधानिक अथवा राजनीतिक स्थिति के बारे कोई सुझाव दिया गया है।

ब्रिटेन से शस्त्र सहायता

*30. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों के शिष्टमंडल ने अपने लन्दन के आवास काल में ब्रिटेन के प्रतिरक्षा मंत्री से शस्त्र सहायता के प्रश्न पर भी बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई थी ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थॉमस) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

"आई० एन० एस० वरक्कल"

1. **श्री अ० व० राघवन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्टी आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल "आई० एन० एस० वरक्कल" को कोजीकोड से कोयम्बटूर ले जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थॉमस) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) स्कूल अस्थायी तौर पर मार्च, 1965 तक कोजीकोड में है। इसके स्थायी स्थान के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड

2. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में बने विभिन्न प्रकार के विमानों की संख्या क्या है ;

(ख) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का वार्षिक लक्ष्य क्या है ; और

(ग) जुलाई, 1964 के अन्त तक हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाहर भेजा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थॉमस) : (क) और (ख). यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

(ग) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के 1069 तकनीकी कर्मचारियों को विमान निर्माण के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने/अध्ययन करने के लिये बाहर भेजा गया है।

उड़ीसा में टेलीफोन कार्यालय

3. { **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जुलाई, 1964 को उड़ीसा में, जिलावार टेलीफोनों तथा टेलीफोन कार्यालयों की संख्या क्या थी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०--2989/64] ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

4. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अप्रैल, 1964 से अब तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने कुल कितने सर्वेक्षण किये ; और

(ख) उस अवधि में उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) सर्वेक्षणों की सूची सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०--2990/64 ।]

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों पर व्यय (1) तकनीकी डिजाइन, जिसमें नमूने, अनुसूची, अनुदेश, आदि तैयार करना भी शामिल है, (2) सामग्री संग्रह तथा (3) सारिणी तैयार करने पर किया जाता है। सामग्री इकट्ठी करने के लिये, उड़ीसा में क्षेत्रीय कार्य राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। डिजाइन तथा सारिणी तैयार करने सम्बन्धी अधिकांश कार्य भारतीय सांख्यिकीय संस्था करती है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों की अवधि वित्तीय वर्षों से मेल नहीं खाती, इसलिये विवरण में दिये हुए कुछ सर्वेक्षण प्रश्न में पूछी गई अवधि से परे तक के हैं। डिजाइन तथा सारिणी अखिल भारतीय आधार पर तैयार की जाती हैं। इन सर्वेक्षणों पर राज्य-वार तथा सर्वेक्षण-वार किये गये व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इन कारणों से, पूछी गई अवधि में सर्वेक्षणों पर किये गये कुल व्यय की निश्चित रूप से जानकारी नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय ने अप्रैल से जुलाई, 1964 की अवधि में उड़ीसा में क्षेत्रीय कार्य पर लगभग 74,000 रुपये व्यय किये थे।

रायगाडा-जैपुर टेलीफोन सर्किट

5. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या संचार मंत्री 17 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1203 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में रायगाडा तथा जपुर (कोरापट) के बीच सीधा टलीफोन सर्किट स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती): इस बीच उपकरण बंगलौर से भेज दिया गया है और कार्य के नवम्बर, 1964 तक समाप्त होने की आशा है।

कांगों में भारतीय सैनिक दस्ता

6. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र सेना के अंग के रूप में कांगो में तैयनात हमारे सब सैनिक वापिस लौट आये हैं; और

(ख) क्या सरकार से कांगो में हाल ही में हुई घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए वहां पर कुछ सैनिक भेजने के लिये फिर से कहा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थॉमस) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

साईप्रस के लिये भारतीय फौजी दस्ता

7. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे कोई फौजी दस्ते संयुक्त राष्ट्र बल के भाग के रूप में साईप्रस भेजे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक वहां फौजी और अधिकारी कितनी संख्या में भेजे गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थॉमस):(क) और (ख). जी नहीं। लै० जनरल पी० एस० ग्यानी तथा जनरल तिम्मया दो सेवानिवृत्त भारतीय सेना पदाधिकारियों को साईप्रस में संयुक्त राष्ट्र बल की कमान सम्भालने के लिये वहां जाने की अनुमति दी गयी है। लै० जनरल पी० एस० ग्यानी ने बल के वहां भेजे जाने की प्रारम्भिक अवस्था में उसकी कमान सम्भाली थी। जनरल तिम्मया ने जुलाई, 1964 में उन से उस पद का भार सम्भाल लिया। हाल ही में जनरल तिम्मया के लिये एक भारतीय ए० डी० सी० तथा एक अरदली भेंजनें सम्बन्धी अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया गया है।

पूर्व अफ्रीकी देशों में भारत-विरोधी प्रचार

8. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री बाल्मीकी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वैदेशिक-कार्य कार्य मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन तथा पाकिस्तान द्वारा पूर्व अफ्रीकी देशों में किये जाने वाले भारत-विरोधी प्रचार के प्रश्न पर वैदेशिक कार्य उपमंत्री जुलाई, 1964 में अफ्रीकी देशों में भारतीय राजदूतों से नैरोबी में बातचीत की; और

(ख) यदि हां, तो भारत-विरोधी प्रचार का खंडन करने के लिये सरकार द्वारा कौन से नये कदम उठाये जाने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) मालावी स्वतंत्रता समरोहों के सिलसिले में हाल ही में अफ्रीका की यात्रा करते हुए उपमंत्री केनिया, तांगानीका और उगांडा में भारतीय राजदूतों से नैरोबी में मिले। भारत से सम्बन्धित विभिन्न वैदेशिक सम्बन्धों के मामलों पर, जिन में भारत-विरोधी प्रचार भी सम्मिलित था, चर्चा हुई।

(ख) मित्र देशों के साथ हमारे वर्तमान सम्बन्धों को अग्रेतर सुदृढ़ करने की एक निरन्तर प्रक्रिया है और भारत के दृष्टिकोण एवं नीतियों को सही रूप में पेश करन के लिये वैदेशिक प्रचार को अधिक प्रभावयुक्त बनाने की दृष्टि से समय समय पर इसमें आवश्यक रूपभेद किये जाते हैं।

फ्रांस के लिये भारतीय श्रमिक

9. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपनी हाल ही की फ्रांस की यात्रा के दौरान श्रम और रोजगार मंत्री ने वहां की सरकार से प्रस्ताव किया था कि फ्रांसीसी उद्योगों के लिये भारतीय श्रमिक मंगाये जा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में फ्रांसीसी सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय श्रम और रोजगार मंत्री तथा फ्रांस के श्रम मंत्री में हुई बातचीत के दौरान फ्रांस के भवन-निर्माण उद्योग में श्रमिकों की कमी के बारे में उल्लेख किया गया था। किसी पक्ष की ओर से कोई विशेष प्रस्ताव नहीं रखा गया था।

सैलिसबरी में भारतीय मिशन

10. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री दी चं० शर्मा :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैलिसबरी-स्थित हमारे राजनयिक मिशन की ठीक-ठीक पद-स्थिति क्या है; और

(ख) क्या इसे बन्द कर देने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :(क) भारत सरकार का एक कमीशन सैलिसबरी में है जो ब्रिटेन सरकार से मान्यता-प्राप्त है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ?

मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका पर गोली चलाना

11. **श्री सेझियान** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 25 अप्रैल, 1964 को पूछे गये श्रीलंका नौसेना की नौका के गार्डों द्वारा 20 मार्च, 1964 को मछली पकड़ने वाली एक भारतीय नौका पर गोली चलाये जाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1183 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच में मद्रास सरकार से पूर्ण एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) क्या श्रीलंका सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) इन प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अग्रेतर कार्यवाही श्रीलंका सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर की जायेगी जिस के बारे में उसे स्मरण कराया गया है।

भारत-नेपाल दूर संचार करार

12. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बासप्पा :
श्री प्र० कु० देव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दोनों देशों के बीच सीधे तार तथा टेलीफोन सम्पर्क स्थापित करने सम्बन्धी ब्योरे को अन्तिम रूप देने के लिये नेपाल तथा भारतीय पदाधिकारियों में बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या इस प्रकार सम्पन्न करार की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री गवती) : (क) जी हां। 16 जून, 1964 से 20 जून, 1964 तक।

(ख) नेपाल तथा भारत की सरकारों के बीच दूर-संचार समझौते पर 25 जून, 1964 को हस्ताक्षर किये गये थे।

(ग) जी हां।

नेहरू स्मारक टिकट

13. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 12 जून, 1964 को जारी की गयी स्मारक टिकट पर स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का चित्र दिये जाने के विरुद्ध क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

थुम्बा में राकेट छोड़ने वाला केन्द्र

14. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :
श्री नम्बियार :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र बाह्य अन्तरिक्ष समिति की वैज्ञानिक तथा तकनीकी समिति ने सिफारिश की है कि थुम्बा में राकेट छोड़ने वाले केन्द्र का कार्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रीय समिति की वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपसमिति के वैज्ञानिक दल की, जिस ने जनवरी 1964 में थुम्बा का दौरा किया था,

फारिशें अभी बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रीय समिति के विचारा-
हैं ।

नागा विद्रोही

15. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 1 जून, 1964 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन नागा विद्रोहियों को जो कुछ समय पूर्व भारतीय राज्य-क्षेत्र में घुस आये थे, तब से गिरफ्तार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है और उन के पास पाये गये हथियारों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन को गिरफ्तार करने के लिये कौन से विशेष प्रयास किये गये ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उस क्षेत्र में अतिरिक्त फौजी दस्ते भेज दिये गये थे और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विद्रोहियों के गिरोह के सम्भावित मार्गों को बन्द करने और उन्हें रोकने के लिये प्रत्येक प्रयास किया गया ।

सुरक्षा बलों द्वारा अप्रैल 1964 से गहन कार्यवाहियां की गयीं और वह यैवेरो सेमा के नेतृत्व में 150 विद्रोहियों के एक गिरोह को जो 9-4-1964 को या इस के आस पास पूर्वी पाकिस्तान में बच निकला था रोकने में सफल हुए। 2 जून, 1964 को सुरक्षा बलों के एक दस्ते की चुरचन्द्रपुर के दक्षिण-पश्चिम की ओर लगभग 22 मील की दूरी पर और मनीपुर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ 2 मील के फासले पर उस गिरोह से मुठभेड़ हुई । उस मठभेड़ में 20 विद्रोही मारे गये और 4 घायल हुए । प्राप्त खबरों के अनुसार उन घायल व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बाद में मर गया ।

अखबारी कागज संबंधी नीति

16. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े : }

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 1 जून, 1964 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अब अखबारी कागज सम्बन्धी विस्तृत नीति बना ली गई है ; और

(ख) यदि हां, इस नीति को बनाने में किन-किन मुख्य तत्वों एवं बातों का ध्यान रखा गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय वायु-सीमा का अतिक्रमण

17. **श्री प्र० चं० बरूआ** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 4 महीनों में पाकिस्तानी एवं चीनी विमानों द्वारा भारतीय वायु-सीमा के अतिक्रमण की कितनी घटनायें हुईं ; और

(ख) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थॉमस): (क) तथा (ख). सरकार के पास आज तक जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार 7 मई, 1964 से अब तक पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का दो बार अतिक्रमण किया गया । ये अतिक्रमण जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध विराम रेखा पर किये गये और संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षक दल के पास इनके बारे में शिकायत दर्ज करा दी गई है। 20 मई, 1964 को एक विदेशी विमान द्वारा हमारी वायु-सीमा का अतिक्रमण किया गया था परन्तु चंकि वह विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ान कर रहा था इसलिए उसकी पहचान नहीं की जा सकी।

नागालैंड में ट्रांसमिटर

18. **श्री प्र० चं० बरूआ** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड प्रशासन ने केन्द्र सरकार से राज्य में एक शक्तिशाली रेडियो ट्रांसमिटर लगाने के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मांग के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

प्रेस सूचना कार्यालय से समाचारपत्र सम्बन्धी फाइलों की चोरी

19. श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री यवन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 25 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1184 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रेस सूचना कार्यालय (प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो) से समाचारपत्रों की चोरी सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस का विवरण क्या है ;

(ग) क्या इस चोरी के लिये किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया है ; और

(घ) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) पर्याप्त छानबीन के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि मामले का पता नहीं चला ।

(ग) पुलिस की रिपोर्ट को देखते हुए किसी व्यक्ति को चोरी के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सका ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Teleprinters

20. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the progress made with regard to the manufacture of teleprinters of Hindi and various Indian languages ;

(b) the reasons for the delay in the manufacture of teleprinters;

(c) when it would be possible to manufacture the teleprinters; and

(d) the number of teleprinters which will be available in the first year of manufacture?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) to (d). A Committee appointed by the Ministry of Education is reviewing the layout of the key-board for Devanagri Teleprinters. As soon as the key-board is finalised, Hindustan Teleprinters Ltd., Madras, who have already done some preliminary work in this connection, would formulate a detailed programme of manufacture of these Teleprinters in consulation with their collaborators M/s. Ing. C. Olivetti & Co., S.P.A. of Italy.

There is no proposal at present to manufacture teleprinters in other Indian languages.

Correspondents in Press Information Bureau

21. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of correspondents in the Delhi Centre of Press Information Bureau ;

(b) the number of English and Hindi Correspondents separately ; and

(c) the arrangements existing in the Press Information Bureau for reporting the speeches delivered in languages other than Englisn in official functions and celebrations ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi). (a) The Press Information Bureau does not employ any correspondents in Delhi or elsewhere.

(*b*) Does not arise.

(c) The Press is generally invited to Government functions at which Ministers and others are likely to make speeches. The Press make their own arrangements to cover the speeches. When an important speech or policy statement is made, the Bureau provides a detailed or adequate coverage of it to the Press. If the original speech or announcement is in Hindi, it is issued in that language and its translation released in English and 11 Indian Languages.

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

22. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने जनेवा में जून, 1964 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया था ; और

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी हां । जनेव में 17 जून से 9 जुलाई तक हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 48वें अधिवशन में भारत की ओर से एक त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था ।

(ख) सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 102 सदस्य देशों ने भाग लिया ।

(ग) सम्मेलन में निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकार की गईं :—

(1) वाणिज्य तथा कार्यालयों में सफाई सम्बन्धी सिफारिश ;

(2) कार्य करते समय चोट आने पर लाभ देने सम्बन्धी सिफारिश ; और

(3) रोजगार नीति सम्बन्धी सिफारिश ।

सम्मेलन में निम्नलिखित बातें भी स्वीकार की गईं :—

(1) दक्षिणी अफ्रीका की जातिभेद सम्बन्धी नीति की निन्दा घोषणा ;

(2) दक्षिणी अफ्रीका में श्रमिकों में जाति भेद को समाप्त करने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक कार्यक्रम ।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान में संशोधन करने के लिये दो लेख्य जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को ऐसा अधिकार प्राप्त होगा जिस से वह—

(क) किसी ऐसे देश को सम्मेलन में भाग लेने से निलम्बित कर सकेगा जो जाति भेदभाव पूर्ण घोषित नीति का अनुसरण करेगा ; और

(ख) संयुक्त राष्ट्र संगठन की सदस्यता से हटाये गये अथवा निलम्बित किये गये देश को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से निकाल सकेगा अथवा निलम्बित कर सकेगा ।

(4) दूसरा संशोधन सम्बन्धी लेख्य जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान से उपनिवेशवाद सम्बन्धी खंडों को निकालेगा ।

इस के अतिरिक्त सम्मेलन में निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किये गये :—

(1) परिवर्तनशील विश्व में महिला श्रमिक सम्बन्धी संकल्प ;

(2) विकासशील देशों में महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति सम्बन्धी संकल्प ;

(3) अंशकालिक रोजगार सम्बन्धी संकल्प ;

(4) प्रसूति संरक्षण सम्बन्धी संकल्प ;

(5) रोजगार नीति के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गतिविधियों सम्बन्धी संकल्प ;

(6) रोजगार के उद्देश्यों के संवर्द्धन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई सम्बन्धी संकल्प ;

(7) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में त्रिपक्षीयवाद को सुदृढ़ बनाने सम्बन्धी संकल्प ;

(8) निम्नतम जीवन स्तर और उन्हें आर्थिक विकास के स्तर पर समायोजित करने सम्बन्धी संकल्प ;

(9) श्रम अध्ययन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्था सम्बन्धी संकल्प ;

(10) आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये लोकतंत्रात्मक ढंग से कार्यक्रम तैयार करने और योजना बनाने के सिद्धान्त संबंधी संकल्प ;

(11) मेलमिलाप की स्वतंत्रता सम्बन्धी संकल्प ;

(12) अफ्रीका तथा अन्य विकासशील क्षेत्रों में तकनीकी सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की दूसरी गतिविधियों के कार्यक्रम सम्बन्धी संकल्प ;

(13) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्रम तथा ढांचे सम्बन्धी स्वतंत्रता ; और

(14) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की बीसवीं वर्षगांठ सम्बन्धी संकल्प ।

श्री नेहरू की स्मृति में विशेष डाक टिकट

23. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री रा० त्रि० दुबे :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 12 जून, 1964 को श्री नेहरू की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने टिकट बिके और इस बिक्री से होने वाली आय को किस प्रकार प्रयोग में लाया जायेगा;

(ग) क्या ये टिकटें देश के सभी डाकघरों द्वारा बेचे गये अथवा कुछ ही डाकघरों द्वारा;

(घ) क्या संचार मंत्रालय फिर ऐसे डाक टिकट जारी करने का विचार कर रहा है जिन पर श्री नेहरू का चित्र छपा हो; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां ।

(ख) बिक्री किये गये टिकटों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी । डाक तथा तार विभाग द्वारा बेचे गये सभी प्रकार के टिकटों की आय, चाहे वह किसी की स्मृति में हों, जारी किये गये टिकटों से हो अथवा अन्य किसी प्रकार के टिकटों से हो, डाक और तार विभाग की आय समझा जाता है और उसका विभाग द्वारा सामान्य ढंग से उपयोग में लाया जाता है ।

(ग) ये स्मारक टिकट देशभर में 175 केन्द्रों को भेजे गये ताकि ये उन केन्द्रों के अन्तर्गत डाकघरों द्वारा बेची जा सकें ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) 14 नवम्बर, 1964 को श्री नेहरू के अगले जन्म दिन पर ।

राष्ट्रपति अयूब को नियंत्रण

24. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री म० ला द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० सिं० सहगल :
श्री बाल्मीकी :
श्री हेमराज :
श्री गुलशन :
श्री स्वैल :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बागड़ी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिये पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां को भारत में आमंत्रित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुए पत्र-व्यवहार में प्रधान मंत्री इस बात के लिये राजी हो गये हैं कि भारत और पाकिस्तान की समस्याओं पर विचार करने के लिये उन्हें किसी उचित अवसर पर मिलें। तथापि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को दिल्ली माने के लिये कोई औपचारिक रूप से आमंत्रित नहीं किया गया है।

(ख) राष्ट्रपति अयूब खां सामान्य रूप से इस बात के लिये सहमत हो गये हैं कि उनकी तथा भारत के प्रधान मंत्री की भेंट लाभदायक होगी।

भूतपूर्व सैनिक

25. श्री नम्बियार :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री इम्बीचिबावा :
डा० सारादीश राय :
श्री प० कुन्हन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 में हुए सीमा युद्ध में जो भूतपूर्व सैनिक अंगहीन हो गये थे उनके पास से क्षतिपूर्तियों के लिये कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने प्रार्थना पत्रों पर कार्यवही की जा चुकी है; और

(ग) कितने अभी लम्बित हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) भूतपूर्व सैनिकों से, जो कि 1962 में हुए सीमा युद्ध में अंगहीन हो गये थे, 174 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) अभी तक 170 मामलों का निबटारा किया गया है।

(ग) 4 मामले अभी भी अनिर्णीत पड़े हुए हैं।

उड़ीसा के लिये डाक और तार सर्किल

26. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के लिये एक डाक और तार सर्किल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि उड़ीसा के लिये किसी पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की जाए, तो कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) उड़ीसा के लिये पहिले ही एक पृथक् डाक और तार सर्किल मौजूद है जो कि डाक और तार निदेशक के अधीन है।

(ख) उड़ीसा सर्किल को एक पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन लाने में लगभग 565 रुपया प्रति मास अतिरिक्त व्यय होगा।

Security Medals

27. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Army has introduced a new scheme of awarding security Medals; and

(b) if so, the ranks of the officers to whom they will be awarded ?

1045 (ai) LSD—7.

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju) : (a) The President has instituted a new medal called the 'Defence Security Corps Medal'.

(b) It will be awarded to eligible Non-Commissioned Officers and Other Ranks of the Defence Security Corps in accordance with the prescribed scale.

टेलीविजन स्टेशन

29. श्री वी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
डा० प० शा० देशमुख :
श्री प्र० के० देव :
श्री धर्मलिंगम :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ योजनावधि के दौरान देश में चार टेलीविजन स्टेशन स्थापित किये जाने हैं;

(ख) क्या प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में टेलीविजन स्टेशन स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

घाना से भारतीयों का देश निष्कासन

30. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि घाना की सरकार द्वारा 6 भारतीय उस देश से इस कथित आरोप पर निष्कासित कर दिये गये हैं कि उन्होंने कुछ अनियमिततायें की थीं;

(ख) ये अनियमिततायें किस प्रकार की थीं;

(ग) क्या घाना की सरकार ने अपनी इस कार्यवाही के बारे में सरकार को सूचित किया है अथवा इस बारे में कोई परामर्श किया था; और

(घ) क्या ये व्यक्ति भारतीय राष्ट्रजन हैं अथवा घाना के नागरिक हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि घाना की सरकार द्वारा 6 भारतीय व्यापारियों के निवास सम्बन्धी अनुज्ञा पत्र रद्द कर दिये गये थे ।

(ख) इन व्यक्तियों के पास कुछ अनियमित आयात लाइसेंस थे ।

(ग) घाना की सरकार ने अपनी प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अकरा स्थित हमारे उच्चायुक्त को दी थी ।

(घ) ये व्यक्ति भारतीय राष्ट्रजन हैं ।

अफ्रीकी एशियाई स्थायी सचिवालय की बैठक

31. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प० चं० बर्मन :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जून, 1964 में काहिरा में हुई स्थायी अफ्रीकी-एशियाई सचिवालय की बैठक में भाग लेने के लिये कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा था अथवा इस हेतु किसी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति दी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । भारत सरकार ने स्थायी अफ्रीकी-एशियाई सचिवालय की किसी बैठक में भाग लेने के लिये कोई भी प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा और न ही उसको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता है जो कि उल्लिखित बैठक में भाग लेने के लिये भारत से गया हो ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आगरा में ब्रिटिश इलैक्ट्रानिक उपकरण

32. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपातकाल में सैनिक सहायता के एक अंग के रूप में ब्रिटेन द्वारा भारत को दिया गया मूल्यवान इलैक्ट्रानिक उपकरण आगरा डिपो में बेकार पड़ा है, जैसा कि लन्दन के 'डेली टेलीग्राफ' में समाचार निकला है;

(ख) इस उपकरण के ब्योरे क्या हैं; और

(ग) उपकरण के उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). 1963 में इंगलैंड के प्राधिकारियों ने भारत को 25 वायरलैस स्टेशनों का सम्भरण किया था जिनकी कि सैनिक टुकड़ियों के बीच रेडियो संचार के लिये भारतीय सेना को आवश्यकता थी। ये सैट मोटरगाड़ियों पर रख कर उपयोग में लाये जाने वाले सैट हैं परन्तु वे इंगलैंड से मोटरगाड़ियों पर चढ़ाये बग़ैर ही प्राप्त किये गये थे जिससे कि भारत में उपलब्ध मोटरगाड़ियों को उपयोग में लाया जा सके। परीक्षणों के दौरान यह पाया गया कि जो मोटरगाड़ी इसके लिये चुनी गयी थी उसमें रूपपरिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। मोटरगाड़ियों पर उपकरण को चढ़ाने के लिये एक नये डिजाइन को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है और बहुत शीघ्र ही रूप परिवर्तित मोटरगाड़ियों पर यह उपकरण चढ़ा दिया जायेगा। इस बीच 25 सैटों में से 11 सैट सेना की यूनिटों को भू-स्टेशनों के रूप में उपयोग करने के लिये दे दिये गये हैं। ये ग्यारह तथा डिपो में पड़े 14 स्टेशन मोटरगाड़ियों पर चढ़ा दिये जायेंगे और सेना की यूनिटों को दे दिये जायेंगे।

Staff Artists of A.I.R.

33. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 250 on the 17th February, 1964 and state :—

(a) whether the report of the Departmental Committee regarding service conditions, pay-scales and classification of Staff Artists has since been considered; and

(b) if so, the decisions taken in this respect ?

The Minister of Information & Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi: " (a) and (b) A statement showing recommendations of the Departmental Committee on Staff Artists of All India Radio accepted by Government is attached. **[Placed in Library. Please see No. L.T. 2991/64]**. The other recommendations of the Committee are under consideration.

संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्था

34. { **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : }

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सदस्य देशों की सहायता से न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्था स्थापित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संस्था अन्य सदस्य देशों में भी अपनी शाखायें खोल रही है; और

(ग) क्या उस संस्था की कोई शाखा भारत में स्थापित की जा रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने ग़ैर-सदस्य देशों की सरकारों और ग़ैर-सरकारी संगठनों से भी संस्था की स्थापना में सहायता करने के लिये कहा है।

(ख) इस संस्था का मुख्यालय न्यूयार्क में होगा। तथापि, इसके अधिकांश कार्यकलाप का विकेन्द्रीकरण कर दिया जायेगा जिससे कि अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी कुछ कार्य विभिन्न संयुक्त राष्ट्र विशेषीकृत अभिकरणों तथा प्रादेशिक आयोगों के मुख्यालयों पर किये जा सकेंगे।

(ग) जी, नहीं।

उड्डयन दुर्घटनायें

35. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में हुई उड्डयन दुर्घटनाओं में वायु सेना के कितने अधिकारी मारे गये हैं; और

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण कितनी हानि हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० मा० थामस) : (क) और (ख). इस जानकारी को देना लोक हित में नहीं है ।

नेफा में प्रशासनिक सुधार

36. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री दिनांक 4 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1299 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफ़ा में स्थानीय स्वायत्त-शासन संस्थाओं के विकास की जांच करने के लिये गठित की गई समिति ने तब से अब तक अपने कार्य में क्या प्रगति की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): मौके पर अध्ययन करने के लिये समिति ने नेफ़ा के सियांग, लोहित और तिराप सीमान्त डिवीज़नों का दौरा कर लिया है और बहुत से सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों की राय ले ली है । नेफा के अन्य क्षेत्रों में उसने शरद-ऋतु में दौरा करने की योजना बनाई है । इस बीच, उसकी नई दिल्ली में बैठक हुई है जिसमें विभिन्न सुझावों की जांच की गई है तथा उन पर विचार किया गया है ।

भारतीय श्रम सम्मेलन, बंगलौर

37.
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 और 30 जुलाई, 1964 को बंगलौर में हुए गत त्रिदलीय भारतीय श्रम सम्मेलन में जिस कार्यावलि पर चर्चा की गई थी उसके मुख्य विषय क्या हैं: और

(ख) उनके सम्बन्ध में सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये तथा क्या शिफारिशें की गईं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें सम्मेलन में की गई चर्चा के विषय तथा उसमें की गई सिफारिशों का उल्लेख है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2992/64]

Air Force Delegation to Iraq

38. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whetner it is a fact that representatives of the Indian Air Force were sent to Iraq;

(b) if so, the number of members of this delgation;

(c) the amount of money spent in this connection; and

(d) the number of days the delegation spent in Iraq?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju): (a) Yes.

(b) Three.

(c) Rs. 6,756/- approximately.

(d) Eleven days.

Navy Divers' Help for Dams

39. { **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri P. K. Deo:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Divers of Indian Navy have helped to a very considerable extent in taking out the iron material and the stones which fell into the river while constructing the dams;

(b) if so, the names of the dams where material was dived out in 1963-64;

(c) whether the party of divers is being deputed to go to Tungbhadra; and

(d) if so, when it will go and the basis on which it will work?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) Yes, Sir.

(b) During the period 1963-64, diving assistance has been rendered by the Navy to the following major projects:—

(*i*) Bhakra Nangal Dam

(*ii*) Hirakud Dam

(*iii*) Tungabhadra Dam

(*iv*) Konya Dam

(c) and (d) The Naval Diving Team has already worked on two occasiors at the Tungbhadra Dam this year. A provisional request has been received from the Project Authorities for diving assistance during the period October-November, 1964. Efforts will be made by the Navy to meet this requirement if necessary.

The diving assistance is being rendered by the Navy on the condition that the expenditure incurred thereon to cover the pay & allowances of Naval personnel, cost of transport and equipment & stores used will be recovered from the project.

Discrimination in Recruitment

40. **Shri Balmiki :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that discrimination is made against persons belonging to Scheduled Castes in the matter of recruitment to combatant and non-combatant units and as such they are not recruited;

(b) if so, the steps being taken to remove this discrimination;

(c) whether Government propose to gradually change the names of the units called after castes; and

(d) if so, the progress so far made in that direction?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). There is no caste restriction in the Army and no discrimination is shown in the matter of recruitment between any two sections of people on communal grounds. But for administrative reasons, class-composition has been allowed to continue in certain Arms/Corps of the Army. The general policy of Government is to make recruitment as broad-based as possible and to provide an opportunity to join the Army to all citizens irrespective of caste, creed or region. In pursuance of this policy, no new regiment has been named after a class and, as far as possible, other classes have been inducted in new units of regiments bearing the names of certain classes of the population.

ब्रिटिश गायना से भारतीयों का स्वदेश लौटना

41. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश गायना में हाल ही में हुए विद्रोह के पश्चात् वहां रहने वाले भारतीय उद्भव के कितने व्यक्तियों ने स्वदेश लौटने की मांग की है ; और

(ख) उनमें से अब तक कितने व्यक्तियों को स्वदेश बुला लिया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) किसी ने भी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयुधागार से हथगोलों की चोरी

42. **श्री दे० द० पुरी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में जलन्धर के निकट एक आयुधागार से कुछ हथगोले चुरा लिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चुराये गये हथगोलों में से एक आयुधागार की कैंटीन के कुछ कर्मचारियों पर फेंका गया था ;

(ग) क्या इस घटना की जांच कर ली गई है तथा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस मामले में पुलिस जांच कर रही है ।

(घ) जांच के निष्कर्षों के आधार पर ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में होने से रोकने के हेतु सुरक्षा को मजबूत करने के लिये और भी प्रतिकारक उपाय किये जायेंगे ।

पत्तनों तथा गोदियों के लिये मजूरी बोर्ड

43. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री दिनांक 1 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक यह निर्णय कर लिया गया है कि पत्तनों तथा गोदियों के लिये प्रस्तावित मजूरी बोर्ड श्रमिकों की किन श्रेणियों के लिये होगा ;

(ख) क्या बड़े और छोटे दोनों ही प्रकार के पत्तन बोर्ड के कार्य-क्षेत्र के अन्दर लाये जायेंगे ; और

(ग) बोर्ड के गठन तथा निर्देश-पदों के सम्बन्ध में सरकार नें क्या निर्णय किया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय):(क) इसका निर्णय मजूरी बोर्ड करेगा।

(ख) ऐसा प्रस्ताव है कि मजूरी बोर्ड का कार्य-क्षेत्र केवल बड़े पत्तनों तक ही सीमित रखा जाये।

(ग) मजूरी बोर्ड के गठन और निर्देश-पदों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बी

44. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री म० ना स्वामी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री हेम राज :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री अ० व० राघवन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामपुरे :
श्री वसुदेवन नायर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौ-सेना के लिये एक पनडुब्बी प्राप्त करनें के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। वह निर्णय उपयुक्त पनडुब्बियों की उपलब्धि तथा आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय चल-चित्र समारोह

45. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बासप्पा :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष में दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह होगा ;

(ख) यदि हां, तो इसकी योजना तैयार करनें और व्यवस्था करने का कार्य किसे सौंपा गया है ; और

(ग) क्या भारत की विभिन्न चलचित्र समितियों से कोई सहायता मांगी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) समारोह की व्यवस्था भारत सरकार भारतीय चलचित्र संघ के सहयोग से कर रही है । समारोह की व्यवस्था करनें के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भारत का अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह निदेशालय स्थापित कर दिया गया है । कई सलाहकार समितियां गठित कर दी गई हैं जिसके सदस्य प्रमुख गैर-सरकारी व्यक्ति तथा चलचित्र उद्योग के प्रतिनिधि हैं । ये समितियां नीति सम्बन्धी मामलों पर सलाह देंगी तथा नई दिल्ली में चलचित्र समारोह के और कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में चलचित्र सप्ताह के आयोजनों की व्यवस्था में सहायता देंगी ।

(ग) चलचित्र समितियों से सम्बद्ध कुछ व्यक्तियों को समारोह के लिये गठित की गई अनेकों समितियों के सदस्यों के रूप में नियुक्त कर दिया गया है ।

कार्य-दिवसों की हानि

46. **श्री क० ना० तिवारी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न उद्योगों में हुई श्रमिकों की हड़तालों के कारण सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में क्रमशः 1961–62 और 1962–63 में तथा जुलाई, 1964 तक उससे पहिले के दो वर्षों की तुलना में बहुत अधिक कार्य-दिवसों की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनें कार्य-दिवसों की हानि हुई है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख). वर्ष 1959 से ले कर 1963 तक के वर्षों में और जनवरी से ले कर मई, 1964 तक की अवधि में हड़तालों और ताला-बन्दियों के कारण निम्नलिखित श्रम-दिवसों की हानि हुई है :—

वर्ष	सरकारी क्षेत्र (सहस्रों में)	गैर-सरकारी क्षेत्र (सहस्रों में)	योग (सहस्रों में)
1959 .	404	5,229	5,663
1960 .	859	5,656	6,515
1961	212	4,707	4,919
1962	532	5,589	6,121
1963 .	277	2,991	3,268
1964(अ) . . (जनवरी से मई, 1964)	77	2,514	2,591

(अ)—ये आंकड़े अस्थायी हैं तथा पुनरीक्षित किये जा सकते हैं ।

उक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि श्रम-दिवसों की सब से कम हानि 1963 में हुई थी । इसलिये, यह नहीं कहा जा सकता कि श्रमिकों की हड़तालों तथा ताला-बन्दियों के कारण उस वर्ष में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कार्य-दिवसों की हानि हुई थी ।

केन्द्रीय नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों द्वारा 3 नवम्बर, 1962 को एकमत से स्वीकृत औद्योगिक सन्धि संकल्प में वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में बाधा डालने को निषिद्ध बताया गया है ।

Scheduled Caste Officers

47. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :—

(a) the number of Scheduled Caste Officers (Class I and Class II) in the departments of her Ministry;

(b) whether the quota of officers reserved for Scheduled Castes has been filled up; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) 42.

(b) In some cases, the reserved vacancies could not be filled up by candidates belonging to Scheduled Castes.

(c) Non-availability of suitable candidates.

काजू उद्योग

48. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि केरल, मद्रास और मैसूर राज्यों में काजू उद्योग के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरियों में बहुत अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्योग में मजूरी के स्तर को विनियमित करने के लिये सरकार का एक केन्द्रीय न्यूनतम मजूरी समिति स्थापित करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) इन राज्यों में काजू उद्योग के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरी की दरों में अन्तर है ।

(ख) भारत सरकार द्वारा गठित की गई काजू उद्योग जांच समिति ने यह सिफारिश की है कि जहां तक सम्भव हो सके केरल, मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में काजू उद्योग में मजूरी की समान दरें होनी चाहियें । इस समिति की इस सिफारिश और अन्य सिफारिशों की उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में जांच की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में शुष्क शीतक संयंत्र[1]

49. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में मांस के परिरक्षण के लिए एक बड़ा शुष्क शीतक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और किस स्थान पर ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) सेनाओं को दिये जाने वाले शुष्क शीतक मांस के तेजी से उत्पादन के लिये उत्तर प्रदेश में एक संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ।

(ख) प्रस्ताव अभी योजना की स्थिति में है ।

अभी स्थान का अन्तिम रूप से चुनाव करना है ।

रूसी मालवाहक विमान

50. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस ने अपने सैनिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को और अधिक मालवाहक विमान देने का वचन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ये विमान किस किस्म के हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). रूसी अधिकारी आस्थगित भुगतान की शर्तों पर मि-4 हेलीकोप्टर देने के लिये सहमत हो गये हैं । ऐसी आशा है कि इस समय रूस का दौरा करने वाला प्रतिरक्षा प्रतिनिधि मंडल कुछ संख्या में इन हेलीकोप्टरों को खरीदने के लिये रूस सरकार के साथ करार करेगा ।

केन्स फिल्म समारोह

51. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1964 में हुए केन्स अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एक भारतीय फिल्म ने भाग लिया था ; और

[1]Dry Freeze Plant.

(ख) इस फिल्म का नाम क्या है और इसका चुनाव किस आधार पर किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्स अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में निम्नलिखित भारतीय फिल्मों ने भाग लिया था ।

फीचर फिल्म	"मुझे जीने दो"
प्रलेखीय फिल्म . . .	"हिमालयन लेक्स"

दोनों फिल्में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में शामिल करने के लिये फीचर तथा प्रलेखीय फिल्मों के चुनाव करने वाली सलाहकार समिति की सिफारिशों पर चुनी गईं ।

अस्पृश्यता सम्बन्धी चल-चित्र

52. **श्री दलजीत सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी चल-चित्र के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई ; और

(ख) यह प्रदर्शन के लिये कब दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) चल-चित्र की कहानी हाल में स्वीकार की गई है । इसकी शूटिंग अभी शुरू होनी है ।

(ख) इस समय इसके प्रदर्शन के लिये देने के समय के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

Sangam

53. **Shri Bade :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Chandak :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have received some representations for putting a ban on the exhibition of the Indian film "Sangam"; and

(b) if so, the action taken thereon?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The representations have been rejected.

प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद

54. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 27 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1193 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने सम्बन्धी योजना पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) (एक) इस बीच कार्बाइन बैरल परियोजना स्वीकार कर ली गई है ।

(दो) प्राग कम्पनी में छोटे औजार बनाने की कुछ समय तक पूरी पूरी क्षमता पर कार्य हो रहा है अतः यह निर्णय किया गया है कि अभी कुछ समय तक आयुध कारखानों के लिये अपेक्षित मशीनी औजार न बनाये जायें ।

(तीन) फोर्ज शाप के विस्तार के प्रथम चरण पर कार्य हो रहा है और इस शाप को कुकटपल्ली स्थित नये स्थान पर स्थानान्तरित किया जा रहा है । कम्पनी दूसरे चरण के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है । निदेशक बोर्ड द्वारा इसको मंजूर किये जाने के बाद यह सरकार को विचारार्थ भेजी जायेगी ।

गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता

55. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) इसमें सूखी गोदी और वर्कशापों का निर्माण तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है ।

लोक संचार केंद्र

56. {श्री रामचन्द्र उलाका :
{श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच लोक संचार केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख): प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

लंका से परिसम्पत का प्रत्यावर्तन

57. {श्री प्र० चं० बरुआ :
{श्री श० ना० चतुर्वेदी :
{श्री प्र० चं चक्रवर्ती :
{श्री रामनाथन् चेट्टियार :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका सरकार ने हाल में घोषणा की है कि लंका छोड़ कर जाने वाले उन लोगों की, जो वहां के नागरिक नहीं हैं, परिसम्पत् के प्रत्यावर्तन में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आदेश से भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) लंका छोड़कर जाने वाला एक भारतीय नागरिक अपने साथ केवल 75,000 रुपये तक प्रत्यावर्तन करने की अनुमति है जब कि जो भारतीय नागरिक नहीं हैं उन्हें 1,50,000 रुपये तक प्रत्यावर्तन करने की अनुमति है ।

(ग) भारत सरकार ने लंका सरकार को अपनी चिन्ता प्रकट कर दी है और यह प्रार्थना की है कि भारतीयों के लिये भी वही सीमा निर्धारित की जाये जो अन्य लोगों के लिये है ।

पंजाब में डाकखाने

58. **श्री दलजीत सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों में 1964–65 और 1965–66 में किन किन शाखा तथा अन्य डाकखानों को उच्च श्रेणी का बनाया जायेगा तथा उनकी क्या संख्या होगी; और

(ख) उसी अवधि में डाक और तार विभाग इन क्षेत्रों को और क्या सुविधाएं देना चाहता है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क)

शाखा डाकखाने और विभागातिरिक्त उप-डाकघर जिन्हें विभागीय उप-डाकघर बनाने का विचार है		शाखा डाकघर जिन्हें विभागातिरिक्त उप-डाकघर बनाने का विचार है	
1964-65 में	1965-66 में	1964-65 में	1965-66 में
(1) धमेता	(1) जलारी	(1) जगत सुख	(1) मेहराल
(2) पहारा	(2) जलग		(2) महल
	(3) दारंग		

(ख) अन्य सुविधायें जिन्हें देने का विचार है ।

वर्ष	तारघर	सार्वजनिक टेलीफोन करने के स्थान	टलीफोन एक्सचेंज
1964-65	1. गंगेथ (खोला जा चुका है)	1. गंगेथ (खोला जा चुका है)	1. कांगड़ा
	2. रेहान (खोला जा चुका है)	2. अनी	2. उना
	3. अनी	3. बंजार	3. महीलपुर
	4. बंजार	4. निर्मंद	4. ज्वालामुखी
	5. निर्मंद	5. अल्हीलाला	5. हमीरपुर
		6. हरीपुर	6. बैजनाथ
1965-66	1. धमीता	1. धमेता	कोई नहीं
		2. बिरथिन	

विदेशी एजेंट

59. **श्री बड़े** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी आक्रमण के समय से अब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने विदेशी एजेंट गिरफ्तार किये गये ;

(ख) क्या सरकार अवैध रूप से इन एजेंटों के आने को रोकने में सफल हुई है ; और

(ग) उनमें से कितनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) विदेशी एजेंटों को गिरफ्तार करने का काम सैनिकों का नहीं है । हां, जहां भी उन्हें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन पर विदेशी एजेंट होने का शक किया जा सकता है वे उनको असैनिक प्राधिकारियों के हवाले कर देते हैं । इससे अधिक ब्योरे देना लोक हित में नहीं होगा ।

(ख) सरकार विदेशी एजेंटों के अवैध रूप से आने को रोकने के लिये आवश्यक सतर्कता बरत रही है ।

(ग) सभा में यह जानकारी देना लोक हित में नहीं होगा ।

इजराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध

60. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1964 के पश्चात् इजराइल की सरकार द्वारा भारत के साथ राजनियक सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इस मामले में क्या निर्णय किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीन में पाकिस्तानी सैनिक प्रशिक्षणार्थी

61. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सैनिक छोटी छोटी टुकड़ियों में जाकर चीन में विशिष्ट सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) क्या चीनी सैनिक भारतीय सीमा के बिल्कुल समीप पूर्वी पाकिस्तान में देखे गये थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) सरकार को इस बात का विश्वास है कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी चीन में सैनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान में चीनी सैनिकों की उपस्थिति के बारे में सरकार को समाचार मिले हैं ।

सशस्त्र सेना के लिये महंगाई भत्ता

62. **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते की जो दरें बढ़ाई गई हैं क्या वे सशस्त्र सेना के अधिकारियों की सभी श्रेणियों पर लागू होंगी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इसे सभी कर्मचारियों पर लागू करना चाहती है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें जो 1 फरवरी, 1964 से मंजूर की गई हैं सशस्त्र सेना के उन सभी अधिकारियों और दर्जों पर लागू होती हैं जिनकी मासिक संगणनीय उपलब्धि 600 रु० तक है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार के पास ऐसे अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिन की मासिक संगणनीय उपलब्धि 600 रु० से अधिक है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में गोला बारूद का कारखाना

63. श्री पोट्टेकाट्ट : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल सरकार से वहां पर एक गोला बारूद का कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) उन राज्यों में गोला बारूद के कारखाने स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं जहां पर इस समय ऐसा कोई कारखाना नहीं है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) गोला बारूद के नये कारखानों के स्थानों के सम्बन्ध में निर्णय करते समय केरल सरकार की प्रार्थना को ध्यान में रखा जायेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय शांति सेना

64. श्री कजरोलकर : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने 7 जुलाई को या इसके आस पास संयुक्त राष्ट्र को स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय शांति सेना के लिये अपने प्रस्तावों की एक प्रति दी ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को रूस से ऐसा कोई सन्देश प्राप्त हुआ है जिसमें वे प्रस्ताव दिये गये हैं ;

(ग) इन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और क्या वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों का अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 10 जुलाई, 1964 को रूस सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को एक ज्ञापन पत्र दिया जिसमें संयुक्त राष्ट्र की शांति बनाये रखने की व्यवस्था को मजबूत करने के प्रस्ताव थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). रूस के ज्ञापन पत्र की मुख्य बातें निम्न हैं :

(एक) इसमें दिया हुआ है कि जब राष्ट्रों के बीच झगड़ों को निबटाने में अन्य सभी तरीके निष्फल हो गये हों तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उपबन्धों के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र द्वारा बल का प्रयोग किया जाये ;

(दो) इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उपबन्धों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने अथवा बहाल करने के लिये कार्यवाही करने का अधिकार केवल सुरक्षा परिषद् को ही है; ऐसी स्थिति में कोई अन्य निकाय अथवा महासभा कार्यवाही करने के लिये सक्षम नहीं है ;

(तीन) इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना में पश्चिमी, तटस्थ तथा समाजवाद देशों के सैनिक होने चाहियें न कि सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य देशों के सैनिक;

(चार) इसमें यह सुझाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उपबन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद् से करार करने चाहियें जिनमें वे शर्तें दी जायें जिन पर कि राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र को उपलब्ध कराये जायेंगे; और

(पांच) इसमें कुछ सिद्धान्त भी दिये गये हैं जिनके आधार पर शांति बनाये रखने की कार्यवाहियों का वित्तपोषण किया जाना चाहिये ।

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की शान्ति बनाये रखने की कार्यवाहियों का सदैव ही समर्थन किया है और उनमें सक्रिय रूप से भाग लिया है और इसीलिये हम रूस के ज्ञापन पत्र में दिये गये ठोस प्रस्तावों का स्वागत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शांति बनाये रखने की कार्यवाहियों में इन प्रस्तावों का बड़ा महत्व है। भारत सरकार यह आशा करती है कि संयुक्त राष्ट्र इन प्रस्तावों पर और कैनेडा, स्कैंडिनेवा के देशों और अन्य देशों की सरकारों द्वारा पेश किये गये अन्य प्रस्तावों पर, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने की समस्या का एक सामान्य रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने के लिये, गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी ।

बीड़ी तथा सिगार उद्योग के लिये विधान

65. श्री उमानाथ : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय स्तर पर देश में बीड़ी और सिगार के लिये विधान बनाना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो अभिप्रेत विधान का क्षेत्र और मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि 21वें भारतीय श्रम सम्मेलन और पश्चिम राज्य सरकार के श्रम विभाग के सचिवों के सम्मेलन की स्थायी समिति ने इस विषय पर कोई सिफारिशें की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों का स्वरूप क्या है और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय):(क) से (घ). मद्रास सरकार के क ने पर बीड़ी उद्योग के श्रमिकों की काम करने की शर्तों को, मद्रास बीड़ी उद्योग परिसर (काम की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1958 के तरीके पर, नियन्त्रित करने के लिये एक अखिल भारतीय स्तर पर विधान बनाने के प्रस्ताव पर स्थायी श्रम समिति द्वारा 27-12-1963 को इसके 21 वें अधिवेशन में चर्चा की गई। समिति प्रस्ताव पर राजी हो गई परन्तु य सुझाव दिया कि चूंकि एक राज्य की परिस्थितियां दूसरे से भिन्न हैं इसलिये प्रस्तावित विधान में उपयुक्त संशोधन किया जाना चा ये। राज्य सरकारों और मजदूरों और कर्मचारियों को केन्द्रीय संस्थाओं से इस मामले पर परामर्श किया गया है और जो टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं उनको दृष्टि में रखते हुए अग्रतर कार्यवाही की जा रही है। क्या प्रस्तावित विधान में सिगार उद्योग भी होना चा ये इस प्रश्न पर भी विचार किया जा र ा है।

डाकघरों और रेलवे डाक सेवा के निरीक्षक

66. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या य सच है कि डाकघरों / रेलव डाक सेवा के निरीक्षकों की भरती की परीक्षा एक प्रतियोगिता परीक्षा है और इसमें केवल विभागीय कर्मचारी ही बैठ सकते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय इस परीक्षा के परिणामस्वरूप चुने गये अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंक उनको बताये नहीं जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या चुने हुए अभ्यर्थियों को अंक बताने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां।

डाकघरों और रेलवे डाक सेवा के निरीक्षकों के रिक्त स्थानों का भरा जाना

67. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या संचार मन्त्री य बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या य सच है कि र बार डाकघरों और रेलव डाक सेवा के निरीक्षकों की नियुक्ति के लिये परीक्षा के परिणाम की घोषणा करने और स्थानों को भरने के पश्चात् बहुत से स्थान बिना भरे छोड़ दिये जाते हैं और वर्षों तक अनर्ह कर्मचारी स्थानापन्न रूप से काम करते र ते हैं; और

(ख) यदि ां, तो य सुनिश्चित करने के लिये कि रिक्त स्थानों की गणना यथा सम्भव सही की जाती है, क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). निहस्सन्दे गत वर्षों में कुछ सर्किल्स में निरीक्षकों की कमी रही है। अर्हता के स्तरों में 1962 में संशोधन कर दिया गया था और अब अर्ह कर्मचारियों की कमी नहीं है।

कलकत्ता में फुटबाल स्टेडियम

69. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फुटबाल स्टडियम बनाने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को कलकत्ता मैदान का एक भाग दिलाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) यदि नहीं, उक्त स्टेडियम योजना के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) से (ग). फुटबाल स्टेडियम के निर्माण के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता मैदान में से 22.77 एकड़ भूमि पट्टे पर देने का निर्णय किया गया है बशर्ते कि पट्टे के निबन्धन और शर्तें तय की जायें जिन पर पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत हो रही है।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अपने पांच मित्रों की शोकजनक मृत्यु की सूचना देनी है, अर्थात्, बाबू राम नारायण सिंह, डा० एन० एम० जयसूर्य, श्री पी० टी० चाको, श्री लाल हेमब्रोम तथा श्री इगनेस बैक। बाबू राम नारायण सिंह वर्ष 1946 से 1957 तक भारत की संविधान सभा, अन्तःकालीन संसद एवं प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे और उन की मृत्यु 24 जून, 1964 को छत्रा में हुई। डा० एन० एम० जैसूर्य प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे और उनकी मृत्यु 28 जून, 1964 को हैदराबाद में हुई। श्री पी० टी० चाको भारत की संविधान सभा एवं प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे और उन का देहान्त 1 अगस्त, 1964 को कवीलम्पारा को जाते हुए कार में हुआ। श्री लाल हेमब्रोम प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे और उन का देहान्त 21 अगस्त, 1964 को दुमका में हुआ। श्री इगनेस बैक द्वितीय लोक सभा के सदस्य रहे और उन की मृत्यु 31 अगस्त, 1964 को रांची में हुई।

हमें इन मित्रों के स्वर्गवास हो जाने से बहुत गहरा शोक हुआ है। मैं अपनी ओर से और सभा की ओर से वंचित परिवार को संवेदना-सन्देश भेज दूंगा।

अब सभा शोक प्रकट करने के लिये कुछ समय के लिये मौन खड़ी रहे।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a shortwhile.

मंत्रियों का परिचय

INTRODUCTION OF MINISTERS

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं अपने मंत्रिमंडल के 3 नये मंत्रियों का सभा को परिचय दे रहा हूं: श्रीमती इन्दिरा गांधी, सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री संजीव रेड्डी, इस्पात और खान मंत्री, और श्री त्रि० ना० सिंह, उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री—तथा श्री स० का० पाटिल रेलवे मंत्री।

श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन पर विदेशी संसदों तथा संसदीय संस्थाओं से प्राप्त संवेदना सन्देश

MESSAGES OF CONDOLENCE FROM PARLIAMENTS AND PARLIAMENTARY ASSOCIATIONS ON THE DEMISE OF SHRI JAWAHAR LAL NEHRU

अध्यक्ष महोदय : श्री जवाहरलाल नेहरू के निधन पर 18 विदेशी संसदों से जो संवेदना सन्देश प्राप्त हुए थे वह 5 जून, 1964 को मैंने सभा पटल पर रखे थे। उसके पश्चात 13 अन्य विदेशी संसदों तथा संसदीय संस्थाओं से संवेदना सन्देश प्राप्त हुए हैं ; अर्थात :

(1) नैशनल एसेम्बली, घाना ;

(2) केनिया हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्ज ;

(3) नैशनल एसेम्बली आफ पाकिस्तान ;

(4) चैम्बर आफ डैपुटीस आफ पेरू ;

(5) यूरोपियन पार्लियामेंट, लक्समबर्ग ;

(6) नार्दर्न रोडेशिया, लैजिस्लेटिव एसेम्बली ;

(7) हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्ज, मोरक्को ;

(8) सामान्य परिषद् के सदस्य तथा कर्मचारीवर्ग, राष्ट्रमण्डल संसदीय संस्था ;

(9) फ्रैंच नैशनल एसेम्बली की फ्रैंको-इंडियन फ्रैंडशिप कमेटी ;

(10) भूतपूर्व सभापति, राष्ट्रमण्डल संसदीय संस्था की सामान्य परिषद्, लागोस ;

(11) मोनाको का अन्तर्संसदीय दल ;

(12) राष्ट्रपति, अर्जेंटाईना नैशनल सीनेट ; और

(13) पेरू की संसद।

सभी प्राप्त संवेदना सन्देशों की एक-एक प्रति संसदीय पुस्तकालय में रख दी गयी है।

श्री महेश्वरनाथ कौल की सेवा निवृत्ति तथा श्री श्यामलाल शकधर की लोक-सभा के सचिव के पद पर नियुक्ति

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री महेश्वर नाथ कौल, 1 सितम्बर 1964 से सचिव, लोक-सभा के पद से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

श्री कौल ने 1937 में केन्द्रीय विधान सभा के एक अधिकारी का पद ग्रहण किया और उसके पश्चात वह सभी सभाओं से सम्बद्ध रहे, अर्थात संविधान सभा (विधान), अन्तःकालीन संसद एवं वर्तमान लोक-सभा। 1947 से वह सभा के सचिव के पद पर रहे।

उन के सेवा काल में सांविधानिक एवं प्रक्रिया संबंधी कई प्रकार के परिवर्तन हुए। इन सभी मामलों में, उन्होंने अध्यक्ष को पुष्ट मंत्रणा दी और संसद एवं प्रक्रिया नियमों को आधुनिक रूप प्रदान करने वाले सांविधानिक उपबन्धों को एक नया रूप प्रदान करने में योग दिया। उन्होंने सभा की समितियों को, विशेषकर इन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में, सहायता की और मार्गदर्शन किया।

मैं यह और बता दूं कि उन्होंने न केवल अध्यक्ष को तथा समितियों को ही मंत्रणा दी वरन् उन की मंत्रणा सभा के प्रत्येक सदस्य के लिये उपलब्ध थी चाहे वह किसी भी दल से संबंध रखता हो और उन की मंत्रणा सदैव सही और पुष्ट होती थी।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्, सदस्यों को अविलम्ब एवं कुशल सेवा प्रदान करने की दृष्टि से सभा के सचिवालय का पुनर्गठन तथा विस्तार किया।

वर्ष 1957 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन, जिस की सभी ने प्रशंसा की थी, का गठन भी उन्होंने ही किया।

वह अन्तर्संसदीय संघ, राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ तथा अन्य सद्भाव संसदीय प्रतिनिधि-मंडलों सम्बन्धी कई संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ गये और पेचीदा मामलों में प्रभावपूर्ण मंत्रणा दी।

उन्होंने राज्य विधान मण्डलों के अध्यक्षों एवं सचिवों को उन की समस्याएं हल करने में सहायता की और सम्मेलनों तथा व्यक्तिगत चर्चाओं के दौरान श्री कौल इनके कार्यों को करने के सदैव तत्पर रहते थे।

वह विश्व संसदों के महासचिवों के संगठन की कार्यपालक समिति के लिये भी चुने गये थे और उन्होंने उस समिति को संसदीय प्रक्रिया एवं सचिवालय प्रशासन संबंधी कई पहलुओं पर बहुमूल्य रिपोर्टें दीं।

उन की सेवा अटूट निष्ठा का विशिष्ट रिकार्ड है। जब से मैंने अध्यक्ष-पद संभाला तब से मुझे उन के विस्तृत अनुभव और गहन ज्ञान से बहुत सहायता मिली। उन की प्रौढ़ मंत्रणा, जो मुझे तुरन्त उपलब्ध होती रही, सदैव पुष्ट होती थी और उस पर निर्भर किया जा सकता था। उन की लम्बी एवं विशिष्ट सेवा को देखते हुए मैंने उन्हें सभा का मानित (आनरेरी) अधिकारी नियुक्त कर लिया है। यह केवल उन की सेवा को मान्यता देने के लिये और इसलिये किया गया है कि ताकि वह इस कार्यालय में और इस भवन में आ सकें। उन के कोई कृत्य नहीं होंगे।

मुझे सदस्यों को यह सूचना भी देनी है कि मैंने श्री श्यामलाल शकधर को सभा का सचिव नियुक्त कर लिया है जिन्होंने 11 वर्ष से अधिक समय तक सभा के संयुक्त सचिव के रूप में सेवा की है।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जो कुछ आप ने कहा उस का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् श्री कौल लोक सभा के प्रथम सचिव थे। संसदीय कार्यों में उन्होंने उच्च परम्परायें तथा अच्छी प्रथायें स्थापित करने

में सहायता की। वह कर्तव्य-निष्ठ अधिकारी रहे। उन्होंने अपने समस्त सेवा-काल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो सेवा उन्होंने की उस के लिये मैं और सरकार उन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वह प्रायः अध्यक्ष महोदय के पास जा कर उन को राय दिया करते थे।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : That was not fair. It is better to talk openly. The hon. Minister should also learn something.

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : जिस कुशलता एवं न्यायपूर्ण ढंग से श्री कौल एवम् सचिवालय में उन के सहयोगियों ने काम किया उस के लिये हम भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड़) : श्री कौल के लिये आप ने और प्रधान मंत्री ने जो भावनाए व्यक्त की हैं मैं भी उन का समर्थन करता हूं। सचिव महोदय विरोधी पक्ष के सदस्यों की भी बहुत सहायता करते रहे और मैं उन के लिये शुभ कामनायें व्यक्त करता हूं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : श्री कौल के लिये आप के द्वारा और सभा के द्वारा जो विचार व्यक्त किये मैं अपने दल की ओर से उन का समर्थन करता हूं। वह प्रत्येक सदस्य को निष्पक्ष राय दिया करते थे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्री कौल को सभा के मानित (अरनरेरी) अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। परन्तु संविधान में केवल सभा के दो ही आफिसरों का उपबन्ध है, अर्थात, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। सभा के मानित (आनरेरी) अधिकारी के लिए संविधान में या सभा के नियमों में कोई उपबन्ध नहीं है। यह नियुक्ति विधिवत तभी हो सकती है यदि संविधान का संशोधन किया जाय। श्री कौल ने सभा की बहुत सेवा की है इसलिये इस प्रयोजनार्थ संविधान में संशोधन कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें आफिसर तो नियुक्त किया परन्तु उन के कृत्य कुछ नहीं होंगे। ऐसा केवल उन की सेवाओं को मान्यता देने के लिये किया गया है जैसा कि अन्य संसदों में होता है। इसलिये इस से संविधान या नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता।

श्री हु० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य): मुझे विश्वास है कि आपने श्री कौल की सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए ही उन की इस पद पर नियुक्ति की है। इसलिये सभा को एकमत से इस का समर्थन करना चाहिए।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : While congratulating Shri Shakdher I have to say that he should pay sufficient attention to the opposition Members in future. I have also to say to you that this Government is scared of Lok Sabha. The present session is scheduled to last only for four weeks because of that reason. Therefore I have to say to Shri Shakdher....

(अन्तर्बाधायें)

Mr. Speaker : I have to request Shri Lohia that this is not the proper time for saying such things.

स्थगन प्रस्तावों के बारे में
(प्रश्न तथा प्रक्रिया)
RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत से स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। परन्तु उन पर निर्णय लेने से पूर्व मैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सभा के निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा। यदि उस प्रस्ताव के लिये अनुमति प्राप्त हो जाती है तो सभी प्रकार की असफलताओं के बारे में चर्चा करने का अवसर सदस्यों को मिल जायगा।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : I have given notice of an Adjournment Motion regarding havoc caused by floods. So many villages have been inundated. Large number of cattle-heads have died. Therefore it should be taken up in the House.

Mr. Speaker : I myself feel that this matter should be brought before the House in some form or the other. I agree that the situation arisen as a result of floods is very Serious. All this will be taken up here. But I want to see the Suggestions that will be given here and only after that I will give my decision about these adjournment Motions.

श्री हि० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—मध्य) : यदि आप चाहते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव संबंधी निर्णय की प्रतीक्षा करने का आप को अधिकार है। परन्तु मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बहुत से अन्य मामलों पर चर्चा होगी। मेरा अनुरोध है कि तब तक आप इन प्रस्तावों को लम्बित रखें ताकि यदि आप उचित समझें तो बाद में इन्हें लिया जा सके।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा अनुरोध है कि मेरा ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव न्यायाधिकरण के फैसले के उपरान्त जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस के बारे में है, इसलिये विधि मंत्री उस विषय में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे केवल यह स्पष्ट करना है कि मुझे यह देखना है कि अविश्वास-प्रस्ताव पर किस तरह चर्चा होती है। यदि इस प्रस्ताव के लिये अनुमति मिल जाती है तो सभी प्रकार की असफलताओं पर चर्चा करने का अवसर सदस्यों को मिलेगा। इस के बावजूद भी यदि किसी विशेष मामले पर चर्चा न हुई तो मैं उसे किसी अन्य रूप में उठाये जाने के बारे में विचार करूंगा।

Shri Bagri (Hissar) : Intimation regarding rejection of certain Call Attention Notices has been given while nothing has been conveyed about others. The subject of my call Attention Notice is that why the Birla House where Gandhiji attained martyrdom has not been made a national memorial when it is worth only Rs. 4 lakh and why the residence of Shri Nehru has been made a national memorial when it is worth Rs. 4 crores...

Mr. Speaker : The motions about which no intimation has yet been given are still pending whatever decision I take regarding them will be conveyed to the Members concerned.

पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत जमा बीमा निगम के कार्य

संचालन की 31 दिसम्बर, 1963 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की एक प्रति वार्षिक लेखे तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, पुनः सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2758/64]

मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 11 जलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 980 में प्रकाशित लोक ऋण (वार्षिकीय प्रमाण पत्र) संशोधन नियम, 1964 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—2956/64]

(2) केन्द्रीय सरकार के वर्ष, 1962–63 के वित्तीय लेखे की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2957/64] ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मैं भारत के समाचार पत्र पंजीयक के वार्षिक प्रतिवेदन, 1964 (भाग 1) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2958]

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत दिनांक 7 मार्च, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 74 में प्रकाशित नौसेना (सेवा निवृत्ति वेतन) विनियम, 1964 की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2696/64]

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत तीन अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 14 मार्च, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 444 में प्रकाशित खनिज परिरक्षण तथा विकास (प्रथम संशोधन) नियम, 1964 ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2677/64]

(दो) दिनांक 14 मार्च, 1964 का एस० ओ० संख्या 841 ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2822/64]

(तीन) दिनांक 9 मई, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 730 जिस में दिनांक 31 अक्तूबर, 1662 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2486 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 22938/64]

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं : —

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 5 जुलाई, 1964 को प्रख्यापित किया गया कम्पनीज़ (संशोधन) आर्डिनेन्स, 1964 (1964 का संख्या 2) की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2959/64]

(2) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्न दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 13 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 861 में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (तीसरा संशोधन) नियम, 1964।

(दो) दिनांक 11 जलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 977 में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (चौथा संशोधन) नियम, 1964।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2960/64]

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 25 जलाई, 1964 का एस० ओ० 2540 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2961/64]

(2) सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत निवासियों का निकाला जाना) अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 11 जलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 978 में प्रकाशित सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत निवासियों का निकाला जाना) संशोधन नियम, 1964 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2962/64]

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं निम्नलिखित तपत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं : —

(1) रबर अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 20 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 877 में प्रकाशित रबर (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2963/64]

(2) जनेवा में 21 मार्च से 16 जून, 1964 तक हुए व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिवेदन की प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2964/64]

(3) (1) कम्पनीज़ अधिनियम, 1656 की धारा 691-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निर्यात प्रत्या तथा प्रत्याभूति निगम लि० बम्बई, की वर्ष 1963 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति।

(2) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2965/64] ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(14) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति मैं सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ) नियम, 1958 में आगे कुछ संशोधन करने वाली दिनांक 1 जून, 1953 की जी० एस० आर० संख्या 898 ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2759/64] ।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ) नियम, 1958 में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक 4 अप्रैल, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 526 ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2809/64] ।

(तीन) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 3 में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक 18 मई, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 816 ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2824/64] ।

(चार) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1654 की अनुसूची 3 में कुछ और संशोधन करते वाली दिनांक 4 जून, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 525 ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2886/64] ।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 3 में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक 30 नवम्बर, 1963 की जी० एस० आर संख्या 1821 ।

(छै) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक 28 मार्च, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 484 ।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुपूची 3 में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक 28 मार्च, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 485 ।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुपूची 3 में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक 28 मार्च, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 486 ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2885/64] ।

(15) शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 23 मई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 755 में प्रकाशित शस्त्र (पांचवां संशोधन) नियम, 1964 ।

(दो) दिनांक 30 मई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 788 में प्रकाशित शस्त्र (छठा संशोधन) नियम, 1964 ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2966/64] ।

(16) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 2 जनवरी, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 39 में प्रकाशित मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार), संशोधन नियम, 1964 ।

(दो) दिनांक 1 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 847 में प्रकाशित मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार), संशोधन नियम, 1964 ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल0 टी0—2967/64] ।

(17) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवायें (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 3 में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 30 मई, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 790 ।

(दो) दिनांक 6 जून, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 829 ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल0 टी0—2968/64] ।

(18) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 11 जनवरी, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 43 में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1964 ।

(दो) दिनांक 11 जनवरी, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 44 में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) (संशोधन) नियम, 1964 ।

(तीन) दिनांक 11 जनवरी, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 45 में प्रकाशित भारतीय असैनिक सेवा (गैर यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि संशोधन नियम, 1964 ।

(चार) दिनांक 11 जनवरी, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 46 में प्रकाशित सेक्रेटरी आफ स्टेट के सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1964 ।

(पांच) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 3 में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक 6 जून, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 828।

(छ) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1067 में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1964।

(सात) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 1069 में प्रकाशित भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि द्वारा संशोधन नियम, 1964।

(आठ) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1066 में प्रकाशित भारतीय असैनिक सेवा (गैर यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि दूसरा संशोधन नियम, 1964।

(नौ) दिनांक 1 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1070 में प्रकाशित सेक्रेटरी आफ स्टेट की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1964।

(दस) दिनांक 22 अगस्त, 1664 की अधिसूचना संख्या 1163 में भारतीय प्रशासन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1964।

(ग्यारह) दिनांक 22 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1164 में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1964।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2968/64]।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): मैं देश में बाढ़ की स्थिति पर एक वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2969/64]।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(20) बैंकिंग कंपनीज़ अधिनियम, 1959 की धारा 45 की उपधारा (11) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 21 मार्च, 1964 का एस० ओ० संख्या 923 जिसमें दिनांक 30 जनवरी, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 425 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(दो) दिनांक 27 मई, 1964 की अधिसूचना संख्या 1888 में प्रकाशित सेलम श्री कन्निकपरमेश्वर बैंक लिमिटेड को करूर विश्व बैंक लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2970/64]।

(21) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 18 अप्रैल, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 613 में प्रकाशित मैसूर सरकार बचत बैंक (नामजदगी) नियम, 1964 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 2971/64]।

(22) आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत दिनांक 27 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2190 में प्रकाशित आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा (दूसरा संशोधन) योजना, 1964।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2972/64]।

(23) आपातकालीन जोखिम (सामान) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिनांक 27 जून, 1963 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2191 में प्रकाशित आपातकालीन जोखिम (सामान) बीमा दूसरा संशोधन योजना, 1964।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2973/64]।

(24) भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 41 के अन्तर्गत दिनांक 4 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 969 में प्रकाशित भारतीय प्रतिरक्षा (नवां संशोधन) नियम, 1964।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2974/64]।

(25) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2ग की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 8 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2679।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 2975/64]।

खाद्य तथा कृषिमंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे): मैं (26) चावल कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिनांक 16 मई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 747 में प्रकाशित चावल कूटना उद्योग, (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2888/64]।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(27) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत दिनांक 4 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 946 में प्रकाशित धातु उत्पादक (दूसरा संशोधन) विनियम, 1964 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 2976/64]।

(28) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 की धारा 20 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 11 जुलाई, 1964 की

अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 997 में प्रकाशित श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध (संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2977/64] ।

(29) कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद की वर्ष 1963–64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2978/64] ।

(30) सूती वस्त्र उद्योग के लिए दूसरे मजूरी बोर्ड के नियुक्ति के बारे में दिनांक 12 अगस्त, 1964 का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी-8(14)/63 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 2979/64] ।

(31) चूने का पत्थर और डोलोमाइट खनन उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा मजूरी में अन्तरिम वृद्धि की पुनरीक्षित सिफारिशों के बारे में दिनांक 28 अगस्त, 1964 का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी-2(6)/64(2) की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2980/64 ।]

(32) चाय उद्योग के लिए मजूरी में अन्तरिम वृद्धि करने सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के बारे में दिनांक 2 सितम्बर, 1964 का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी-3(14)/64 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2981/64 ।]

(33) सीमेंट उद्योग के लिए दूसरे मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के बारे में दिनांक 2 सितम्बर, 1964 का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी-6(3)/64 ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—2982/64] ।

संसदीय समितियां

PARLIAMENTARY COMMITTEES

कार्यवाही सारांश

सचिव : मैं 1 जून, 1963 से 31 मई, 1964 तक की अवधि के लिये 'संसदीय समितियां—कार्यवाही सारांश' की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा 27 मई, 1964 को सभा में गत रिपोर्ट पेश किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुए विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1964 को सभा पटल पर रखता हूं ।

में गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा 27 मई, 1964 को सभा में गत रिपोर्ट पेश किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की राज्य सभा के सचिव द्वारा प्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1964
(2) भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1964
(3) नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, 1964
(4) संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, 1964

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1964-65

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL, 1964-65

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से वर्ष 1964-65 के आयव्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगें बताने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

खाद्य अपमिश्रणरोक (संशोधन) विधेयक

PREVENTION OF FOOD ADULTRATION (AMENDMENT) BILL

समिति का संयुक्त प्रतिवेदन

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़ उत्तर) : मैं खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

सयुक्त समिति के समक्ष किया गया साक्ष्य

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़ उत्तर): मैं खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

तारांकित प्रश्न संख्या 1310 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO 1310

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर मशीनों के बारे में

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): आप की आज्ञा से, महोदय, मैं सदन की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि 5 मई, 1964 को श्री इन्द्रजीत द्वारा पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या 1310 के इस अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में, कि मद्रास के कारखाने में निर्मित टेलीप्रिंटर मशीनों के कलपुर्जे आयात किये जाते हैं अथवा नहीं, मैंने कहा था कि अभी भी लगभग 74 प्रतिशत कलपुर्जे बाहर से मंगाये जाते हैं।

किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि इस समय केवल 38 प्रतिशत कलपुर्जे ही बाहर से मंगाये जाते हैं न कि 74 प्रतिशत, जैसा कि मैंने 5 मई, 1964 को बताया था।

1045 (Ai) LSD—9.

मुरुड में दो विदेशियों का एक विमान द्वारा अवैध रूप से उतरने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: UNAUTHORISED LANDING OF TWO FOREIGNERS IN A PLANE AT MURUD

अध्यक्ष महोदय : हम श्री हाथी के वक्तव्य को बाद में लेंगे।

श्री नाथ पाई (रानापुर): आपने बम्बई के तट पर वालकॉट के दोबारा उतरने सम्बंधी मेरे स्थगन प्रस्ताव की ओर निर्देश करते हुए कहा था कि मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद सदस्यों को अपनी राय देने का अवसर दिया जायेगा और तभी उस स्थगन प्रस्ताव के लिये जाने पर जोर दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। जब वक्तव्य सभा पटल पर रखा जायेगा तब वे उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा। क्या श्री हाथी वक्तव्य सभा पटल पर रखेंगे या पढ़ेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : आपकी अनुमति से मैं उसे सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्योंकि इस मामले का देश की सुरक्षा से सम्बन्ध है इसलिये वक्तव्य की प्रतियां सदस्यों में बांट दी जायें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही किया जायेगा।

श्री हाथी : मैं 8 जून, 1964 को मुरुड में दो विदेशियों के एक विमान द्वारा अवैध रूप से उतरने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2983/64**]

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I want to raise a point under rule 377.

Mr. Speaker : This is not the occasion for that. I shall call the hon. Member at the appropriate occasion.

मंत्री-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव

MOTIONS OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सरकार में अविश्वास के कई प्रस्तावों की सूचना मिली है। सब से बाद में जो प्रस्ताव मिला है वह 17 सदस्यों के नाम में है जो बहुत से दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी अन्य प्रस्ताव पर जोर देना चाहते हैं। क्या मैं केवल इसी प्रस्ताव को लूं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अतः सब इसी प्रस्ताव के लिये जाने के पक्ष में हैं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : किन किन सदस्यों ने अविश्वास प्रस्तावों की सूचना दी है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ से भी एक अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : संसदीय लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव का विशेष महत्व है अतः यह अच्छा ही होगा कि सदस्यों द्वारा दिये गये अविश्वास प्रस्तावों का सभा की कार्य-वाही में उल्लेख किया जाये । नियम 198 के अन्तर्गत इसके सिवाये अन्य कोई विकल्प नहीं है । यदि आप उन प्रस्तावों को नियमानुकूल समझते हैं तो उनको सभा में पढ़ा जाना चाहिये ताकि वे सभा की कार्यवाही में शामिल कर लिये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्यों से पूछा था कि क्या वे अपने प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं। जब वे उन्हें प्रस्तुत ही नहीं करना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं । यदि कोई माननीय सदस्य अन्य कोई प्रस्ताव पेश करना चाहता है तो मैं उसे सभा में रखने के लिये तैयार हूं ।

श्री नि० चं० चटर्जी ।

श्री नि० चं० चटर्जी (वर्दवान) :मैं 6 सितम्बर, 1964 को भेजें गये तथा 17 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

"यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के लिये जाने के पक्ष में हैं वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें। 50 से अधिक सदस्य इसके लिये जाने के पक्ष में हैं । अतः इस प्रस्ताव को लिया जायेगा ।

श्री नि० चं० चटर्जी : मेरा यह निवेदन है कि कार्य-सूची में एक प्रस्ताव खाद्य स्थिति पर है। अविश्वास प्रस्ताव पर हमारा सब से अधिक प्रहार सरकार की खाद्य नीति के विरुद्ध होगा क्योंकि सरकार खाद्य समस्या हल करने तथा मूल्यों को स्थिर रखने में पूर्णतया असफल रही है। जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है उन सब का यह सुझाव है कि इस प्रस्ताव को खाद्य स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव से पहले लिया जाये क्योंकि ऐसा न किये जाने से अविश्वास प्रस्ताव का उतना महत्व नहीं रहेगा और समय भी खराब होगा । अतः यह उचित होगा कि इन दोनों पर एक ही समय वाद-विवाद की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य कोई नियम अथवा पूर्वोदाहरण बता कर मेरी सहायता कर सकते हैं ?

नि० चं० चटर्जी : आपको ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है। नियमों में दिया हुआ है कि इस पर 10 दिन के अन्दर चर्चा की जाती है । आप सरकार से सलाह मशविरा करके कोई तिथि निश्चित कर सकते हैं ताकि इन दोनों प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा की जा सके और उन्हीं बातों को दोबारा न दोहराया जा सके ।

श्री हरि विष्णु कामत : जहां तक सभा के कार्य की व्यवस्था का सम्बन्ध है आपको उसमें परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है और सरकार को यह अधिकार नहीं है । इस बारे में सन्देह को दूर करने के लिये मैं आपका ध्यान नियम 389 की ओर दिलाना चाहता हूं जो आपको शेष सारे अधिकार प्रदान करता है। श्री नि0 चं0 चटर्जी द्वारा उठाई गई बात नियमों के विस्तृत रूप से पालन किये जाने से सम्बन्धित है । ऐसे सब मामलों को विनियमित करने का आपको पूरा अधिकार है।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : बहुत से स्थगन प्रस्तावों पर निर्णय नहीं किया गया है। उनमें से कई काफी महत्वपूर्ण तथा गम्भीर स्वरूप के हैं। आपने कहा है उन पर अविश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद के समय चर्चा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के अनुसार ब्रिटिश संसद् में विरोधी दल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के लिये किसी दिन की प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं की जाती है। हमारे नियम 198(3) के अनुसार अध्यक्ष को सभा के कार्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने का अधिकार है। कार्य-सूची को देखने से पता चलता है कि सरकार ने खाद्य समस्या पर एक प्रस्ताव की सूचना दी है जो कि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अतः मैं आपसे तथा सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाये और इस प्रकार हम खाद्य स्थिति पर भी साथ साथ बहस कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार विरोधी दल की इस प्रार्थना को स्वीकार करने के लिये तैयार है अथवा उन्हें और अधिक समय की आवश्यकता है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): जैसा कि कुछ विरोधी दल के सदस्यों ने भी स्वीकार किया है खाद्य समस्या सम्बन्धी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अतः सरकार ने स्वयं ही एक प्रस्ताव की सूचना दी है ताकि खाद्य स्थिति पर तुरन्त बहस की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभा के नेता से यह प्रश्न पूछा है कि क्या वे कुछ समय चाहते हैं या वे अविश्वास प्रस्ताव को तुरन्त लिये जाने के पक्ष में हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं यह मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी चाहिये परन्तु मेरा सुझाव है कि खाद्य स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात् इस प्रस्ताव को लिया जाये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : माननीय प्रधान मंत्री ने आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव को, जिसके बारे में अधिकतर बहस खाद्य स्थिति पर होगी, तुरन्त ले लिया जाये और खाद्य पर सामान्य चर्चा बाद में की जाये।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत अविश्वास प्रस्ताव के लिये 10 दिन के अन्दर दिन नियत किया जाना है। मुझे केवल यही अधिकार प्राप्त है। सभा के नेता के भाषण से यह स्पष्ट हो गया है कि वे इसे आज लेने के लिये तैयार नहीं हैं। माननीय सदस्यों को यह महसूस करना चाहिये कि ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा से पहले सरकार को कुछ समय दिया जाना चाहिये। सरकारी कार्य की प्राथमिकता सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है; मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। सभा के नेता ने खाद्य स्थिति पर बहस के तुरन्त पश्चात् इसे लेने के लिये कहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : हम आपसे यह आश्वासन चाहते हैं कि खाद्य स्थिति पर बहस के पश्चात् अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के समय हम खाद्य समस्या के बारे में बातें उठा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता। खाद्य स्थिति पर वाद-विवाद किये जाने के पश्चात् ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): The Government want to discuss the food situation first keeping in view its urgency. The opposition members have given notices of several Adjourntment Motions on subjects. If you think that they are in order, you may allow discussion on them here.

Mr. Speaker : That is not within my power.

श्री नि चं० चटर्जी : नियम 198(3) के अन्तर्गत आप समय निर्धारित करेंगे उस दिन इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। परन्तु वह दिन दस रोज से अधिक नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं तिथि निर्धारित कर रहा हूं। मैं केवल सदन के विचार इस सम्बन्ध में जानना चाहता था कि खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कितना समय लिया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा निवेदन है कि य तो ठीक है कि अध्यक्ष को सरकारी कार्य के क े निर्धारण करने का नियमों के अन्तर्गत अधिकार नहीं। परन्तु यहां मामला दोनों से सम्बन्धित हो तो निश्चय रूप में आपको अधिकार है। मेरा आपसे निवेदन है कि लोक तंत्र के हित में आपको पहले विरोधी पक्ष का क र्य लेना चाहिए और सरकारी कार्य बाद में लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस ालत में जब कि अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है, मैं किसी को समय देने से इन्कार नहीं कर सकता।

श्री अ० कृ० गोपालन (कासरगोड): मेरा निवेदन यह है कि खाद्य स्थिति पर चर्चा से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो जाये।

Dr. Ram Manohar Lohia : It is better if the no-confidence motion is discussed before the motion *re.* food situation is discussed. We will have the opportunity to understand the policy of the Government and criticize its policies. I want to repeat what has been said by my friend Shri Banerjee that we must not lose the opportunity of referring the food situation even in the discussion on no-confidence motion. But this is also possible that we may say something more against the Government.

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए समय 15 घंटे रखा जाना चाहिए। और इसके बाद हम अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : हमारे विचार से सोमवार ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में खाद्य समस्या पर विवाद के बाद तुरन्त अविश्वास प्रस्ताव को ले लेना चाहिए। शुक्रवार को 2.30 तक 15 घंटे का समय हो जायेगा।

इस प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होते ही हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

समवाय (संशोधन) विधेयक

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि समवाय अधिनियम 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समवाय अधिनियम 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ब० रा० भगत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के द्वारा अपेक्षित समवाय (संशोधन) अध्यादेश, 1964 द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई/ देखिये संख्या एल० टी० 2984/64]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अ० कु० सेन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

लोक-सभा के लिए मध्यान्ह अवकाश के बारे में

अध्यक्ष महोदय : बहुत से लोगों ने विशेष रूप से निवेदन किया है कि संसद् कार्य में मध्याह्न अवकाश (लंच आवर) की व्यवस्था की जाये । यदि सदन को स्वीकार होगा तो मध्याह्न अवकाश व्यवस्था कर दी जायेगी । श्री कामत प्रत्येक समय कोरम की बात पर जोर देते आ रहे हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I think we should have atleast two or three hours interval in the interest of the efficiency of the work.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : Provision of lunch hour may be made but the actual time of sitting that is 11 A.M. to 5 P.M. should not be changed. We are not prepared to sit between 10-30 A.M. to 5-30 P.M.

Mr. Speaker : If the House agrees we can sit from 10-45 A.M. to 1-15 P.M. after that we may sit from 2-15 P.M. to 5-30 P. M. In this way we will lose only 15 minutes.

श्री विद्याचरण शुक्ल : लंच के बाद पुनः लोग सदन में आयेंगे ही नहीं ।

Mr. Speaker : I shall put the whole matter before the Business Advisory Committee.

खाद्य स्थिति के बार में प्रस्ताव

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाये ।"

मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं करना चाहता, केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक नोट जिसके दो भाग हैं, वितरण किया गया है जिसमें सामान्यतः खाद्य स्थिति पर प्रकाश डाला गया है । इस नोट में समस्या की सारी पृष्ठ भूमि को स्पष्ट किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बड़े (खारगोन) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : डा० लोहिया और श्री मौर्य उपस्थित नहीं हैं । अतः उनके प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—केन्द्रीय) : माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो खाद्य स्थिति का पुनरीक्षण हमें दिया गया है, मैंने उसे बड़े ध्यान से पढ़ा है । उसमें स्थिति को ठीक प्रकार से समझा नहीं गया और न ही इससे सरकार के इस निश्चय की झलक मिलती है कि वह इस समस्या को सुलझाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है । आज सारे भारत में लोग खाद्य स्थिति से दुःखी हो उठे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनमें विद्रोह की भावना बढ़ रही है । मेरे विचार में यदि ठीक प्रकार से निश्चय किया जाय तो अब भी इस स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है । सरकार तो खाद्य स्थिति को हल करने में बहुत बुरी तरह असफल रही है । देश के प्रत्येक भाग में जो संघर्ष और प्रतिक्रिया हो रही है उससे स्थिति की गम्भीरता का पता चलता है । अतः इस कठिन परिस्थिति का हमें उत्साह तथा ठोस कदम उठाकर ही सामना करना होगा ।

माननीय मंत्री पारस्परिक सहयोग की बात करते हैं । राष्ट्रीय संकट की समस्याओं को हल करने के लिये हमने कई बार सहयोग दिया है । इस प्रश्न पर तो हमने प्रयत्न

[श्री हीo नo मुकर्जी]

किया है कि मिलकर विचार किया जाय और कोई सर्वमान्य हल तलाश कर लिया जाय। हमने राज्यों में भी प्रयत्न किया है कि सभी स्तरों पर, सरकारी अथवा गैर-सरकारी रूप में सहयोग लिया और दिया जायं और इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाय। परन्तु मुझे यह खेद से कहना पड़ता है कि माननीय मंत्रीगण मधुर शब्द तो कहते हैं परन्तु व्यवहार रूप में उनकी नीति बड़ी कड़ी रहती है, जिसके परिणामस्वरूप पारिस्परिक सहयोग सम्भव नहीं हो पाता। पारिस्परिक सहयोग की बात करने से पहले सरकार को इस योग्य बनना चाहिये कि उसे सहयोग दिया जा सके।

सरकार कृषि क्रान्ति की बात करने लगी है। यह प्रसन्नता की बात है कि लगभग 17 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद सरकार को इस सम्बन्ध में होश आया है। आशा है कि सरकार इस दिशा में जागरूकता से कार्य करेगी। आज लोगों के जो विचार हैं वह आन्दोलन और संघर्षों के रूप में सर्वत्र देश भर में हमारे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस दल के सदस्य भी यह अनुभव कर रहे हैं कि इस विकट परिस्थिति का सामना करने के लिये कुछ न कुछ करना ही होगा। आज तो हम सचमुच संकट की स्थिति में आ गये हैं और जनता के हित की दृष्टि से हमें बड़े साहस के साथ इस दिशा में कोई पग उठाना ही होगा।

मंत्री महोदय ने अपनी रिपोर्ट में खाद्य स्थिति के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। उन्होंने खाद्य उत्पादन तथा उनकी देश में उपलब्धी के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। कीमतों के बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है। यदि एक एक करके सभी मदों पर विचार किया जाये तो प्रत्येक दिशा में स्थिति बड़ी भयंकर दिखाई देगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने एक हजार लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य अपने सामने रखा था। हमारा विश्वास था कि इतना उत्पादन अवश्य होगा। 1960–61 में हमने 80.96 मिलियन टन का उत्पादन किया, 1961–62 में यह उत्पादन कम होकर 79.82 मिलियन टन, और 1962–63 में यह और कम हुआ और यह 78.5 मिलियन टन हो गया। 1963–64 में ये आंकड़े 79.3 मिलियन टन हैं। यह 1960—61 से भी कम हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि हमारे उत्पादन में अवरोध आ गया है और योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। चारों ओर निराशा ही दिखाई देती है चाहे वह उत्पादन का मामला हो या वितरण का अथवा मूल्यों का। इस बात का उल्लेख श्री अशोक मेहता जोकि आज कल योजना आयोग के उपसभापति हैं, ने भी किया है।

यह भी कहा गया है कि हमारे देश में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है इसलिये भी यह संकट आ उपस्थित हुआ है। परन्तु देश में 2.5 प्रतिशत वार्षिक की जो वृद्धि हुई है वह बहुत आश्चर्यजनक नहीं कही जा सकती। आखिर जब हम योजना बना रहे थे तो इस बात का हमें पता ही था कि जनसंख्या बढ़ेगी। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये था। कृषि क्षेत्र में और भी कई बातें हैं जिनके कारण उत्पादन नहीं बढ़ रहा। भूमि सुधारों को कार्यान्वित नहीं किया गया, उच्चतम सीमा का ध्यान नहीं रखा गया और, बीच के आदमी को नहीं हटाया गया। अभी तक कृषि उत्पादन की दिशा स्वामित्व चल रहा है, हमारी प्रति एकड़ उपज संसार के सभी देशों से कम है। गांवों में बेकारी

बढ़ रही है, जो लोग रोजगार पर लगे भी हैं उन्हें भी इतना नहीं मिलता कि पूरी तरह पेट भर सकें। देहातों में 470 लाख एकड़ भूमि फालतू पड़ी है जिस पर किसी भी प्रकार सिंचाई नहीं की जाती।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
THE DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

आत्म निर्भर होने के बारे में लम्बी चौड़ी बातें की जाती हैं किन्तु इस दिशा में अब तक कोई रचनात्मक कार्य करने के लिये ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह दु:ख की बात है कि हम अधिकांशत: आयात पर निर्भर रहते हैं। पी० एल० 480 सौदों के सम्पूर्ण प्रश्न पर ऊंचे स्तर पर विचार विमर्श किया जाना चाहिये। सरकार को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना चाहिये और उनकी कीमतें कम की जानी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या अल्पकालीन ऋणों को अपर्याप्तता की है। राज्य बैंकों तथा सहकारी समितियों द्वारा बड़े पैमाने पर ऋणों की व्यवस्था की बड़ी आवश्यकता है।

भूमि सुधार तथा कृषि उपज की बुनियादी समस्या को हल नहीं किया जा रहा है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में स्वामित्व का केन्द्रीयकरण जारी है, भूमि संबंधी संबंध ऐसी स्थिति में रखे जा रहे हैं, जो उत्पादन की सक्रिय वृद्धि में ाधक सिद्ध हो रहे हैं। सरकार कीमतों की वृद्धि को रोकने के लिये कोई उपाय करने में विफल रही है। उदाहरणार्थ, बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने पर कोई प्रभावपूर्ण रोक नहीं लग. सकी, किसी न किसी रूप में वायदे के सौदे और सट्टा चल रहे हैं। सरकार के द्वारा जमाखोरी के विरुद्ध कोई समुचित प्रयत्न नहीं है। उचित दामों की दुकानें अपर्याप्त हैं, उन दुकानों के कार्य में भी बहुत से सुधार अपेक्षित हैं। पूर्ण तथा संशोधित राशन व्यवस्था जारी की जानी चाहिये जो विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्कताओं के अनुकूल हो।

खाद्यान्न सम्बन्धी राजकीय व्यापार क सीधे कार्यान्वित कर देना चाहिये। मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि प्रस्तावित राजकीय व्यापार किस प्रकार चलेगा और इसका क्षेत्र क्या होगा। उत्पादकों के लिये उचित दाम काफी पहले घोषित करना जरूरी है और प्रारम्भ से ही बड़े पैमाने पर बाजार में क्रय आरम्भ कर दिया जाना चाहिये। मंत्री को साहस के साथ काम करना होगा और यह उनको उन लोगों के द्वारा डाले गये किसी भी प्रकार के दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिये, जो राजकीय व्यापार के विरोधी हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह भो व्यवस्था करनी चाहिये कि जमाखोरों तथा सट्टाबाजों को खाद्यान्नों के स्टोक पर बैंक से ऋण नहीं प्राप्त होना चाहिये। यह प्रणाली समाप्त की जानी चाहिये और मेरा विचार है कि इस कार्य के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत ही आवश्यक मद है।

ऐसा करके ही आपने भुवनेश्वर में जो कुछ क ा था, उसे पूरा कर सकते हैं। आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी हो ी कि उत्पादक को ठीक कीमत मिले और उसका माल समाज विरोधी तत्वों के हाथों में जाने से बचाया जाय।

[श्री हीं० ना० मुकर्जी]

राज्य व्यापार निगम को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वह जमा किये गये माल को जब्त कर सके और अनिवार्य रूप से अनाज प्राप्त भी कर सके। जमाखोरी करने वाली, चावल मिल मालिकों और प्रशासनिक दृष्टि से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने का सरकार को प्रबंध करना चाहिए। हमारा उद्देश्य समाजवाद को स्थापित करना है। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए माननीय मंत्री को इस प्रकार काम चलाना चाहिए कि जनसाधारण को अनाज मिलता रहे और इस काम में कोई अड़चन पैदा होने न पाये।

सरकार को ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे जमाखोरी करने वालों और सट्टेबाजों को अनाज जमा करने के लिये बैंकों से अग्रिम धन न मिल सके। इस उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक होगा और गैर-सरकारी नियंत्रण में जो बैंक हैं वे जिस रीति से काम करते हैं उससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का यही उचित समय है।

इसके साथ साथ सरकार को य भी देखना होगा कि जम किये गये माल का पता लगाने और अनाज को गुप्त रूप से लाने ले जाने संबंधी गतिविधियों का पता लगाने की व्यवस्था और सुदृढ़ हो। यह काम तभी सम्पन्न हो सकता है जब कि सरकार विभिन्न स्थानों में जनता के प्रतिनिधियों के साथ तालमेल बनाये रखे।

हमने बार बार सरकार से कहा है कि भू-सुधार संबंधी विधानों, विशेषकर, भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करने वाले विधानों को तुरन्त कार्य रूप दिया जाय। परन्तु अभी तक यह काम पूरा नहीं किया गया है। स्वयं काश्त करने वाले किसानों को भूमि के स्वामित्व अधिकार देने में सरकार द्वारा ढील की गयी है। फालतू भूमि के कृषि श्रमिकों को वितरण के सिलसिले में भी कार्यवाही नहीं की गयी। सरकार को चाि ए कि किसानों को उर्वरकों का वितरण करे और स्टेट बैंक एवं स कारी बैंकों के जरिये किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार तुरन्त ऋण देने की व्यवस्था करे।

सूरतगढ़ फार्म के ढांचे पर सरकार को अन्य फार्म चालू करने चाि एं। पी० एल० 480 का बोझा बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है अतः सरकार को चाहिए कि वह जनता का स योग प्राप्त कर के अनाज का अधिक से अधिक उत्पादन कर के इस समस्या को हल करे।

भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन सरकार ने जारों लोगों को जेलों में डाल दिया है। इन नियमों का प्रयोग आम जनता के विरुद्ध न करके उन लोगों के विरुद्ध किया जाना चाहिए जोकि जनता के जीवन से खेल रहे हैं। सरकार द्वारा इन नियमों का उचित प्रकार से प्रयोग न किये जाने के कारण जनता में रोष फैला हुआ है। यदि अनाज की समस्या हल न की गयी तो जनता में और रोष फैलेगा और देश की प्रगति में बाधा पड़ेगी। सरकार को चाहिए कि वह समाजवादी लक्ष्यों को समक्ष रख कर भविष्य में अधिक उत्सा एवं समझदारी का उदाहरण उपस्थित करे।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : य सरकार पहली बार सभा के समक्ष आई है। विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव का विरोध मैंने इसीलिये किया चूंकि मैं चा ता हूं कि इस नई सरकार को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। इसे यह साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि यह वर्तमान नीति में आवश्यक रूप भेद लाने योग्य है या नहीं। जनता की कठिनाइयों को देखते हुए विरोधी पक्ष के सदस्य जो रोष प्रकट कर रहे हैं हम निश्चय ही उनके साथ सहमत हैं परन्तु उनके समान हम य नहीं चाहते कि जिन स्तम्भों पर हमारा समाज खड़ा है उन्हीं को गिरा दिया जाय चूंकि उन स्तम्भों पर चोट करने से देश

का सुव्यवस्थित ढंग से विकास नहीं हो सकता। हम उन से सहमत नहीं हैं कि निर्माण से पहले नाश होना आवश्यक है। और ऐसे लोगों को चिन्ता व्यक्त करते देख कर हंसी आती है जो विश्वास रखते हैं कि जनता मुसीबतें बढ़ने से क्रांति की ओर अग्रसर होगी और तब साम्यवादी दल का निरंकुश शासन स्थापित किया जा सकेगा।

देश में आठ वर्ष तक अनुत्तरदायी और गलत ढंग से आयोजन होता रहा। पिछले कुछ सप्ताहों से एक नई भावना पैदा हुई है। एक नया रुख अपनाया गया है। भ्रष्टाचार समाप्त करने की ओर निश्चय ही पहला कदम उठाया गया है, जिस का उदाहरण हमें पहले नहीं मिलता। कुछ आधारभूत तथ्यों के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। देश के विकास के लिये कृषि को प्रथम स्थान देने के बारे में वक्तव्य दिया गया है। यह भी कहा गया है कि नयी परियोजनाओं को हाथ में लेने से पूर्व वर्तमान परियोजनाओं को ही पूरा किया जाना चाहिए। यह विचार भी व्यक्त किया गया है कि देश ने प्रगति की है इस बात का अन्दाजा उत्पादन से लगाया जाना चाहिए न कि शिला-न्यासों की संख्या से।

यह लक्षण उत्साहवर्द्धक हैं और हम आशा करते हैं कि इसी विचारधारा के अनुसार सरकार द्वारा नीति बनायी जायेगी। परन्तु साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि स्वयं कुछ प्रशासकों द्वारा ही इस विचारधारा के विरुद्ध बातें कही जाती हैं। श्री अशोक मेहता ने कहा कि विकास की दृष्टि से इस के अतिरिक्त कोई चारा नहीं कि भावी पीढ़ियों के लिये वर्तमान पीढ़ी का बलिदान किया जाय। यह मार्क्सवादी सिद्धान्त है। इसी प्रकार श्री दासप्पा ने जो बात कही उसके साथ भी मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि चौथी योजना तीसरी योजना की अपेक्षा बड़ी होगी और उसी के अनुपात से उस में भारी उद्योगों का अंश भी अधिक होगा। इसलिये हम इस नई सरकार को इस के शब्दों से नहीं वरन् इस के कृत्यों से, इसके उद्देश्यों से नहीं वरन् परिणामों से आंकेंगे।

इसके साथ ही साथ दो अन्य बातें हमारे सामने हैं। एक यह कि हमारी जनसंख्या प्रति वर्ष 2.4 या 2.5 प्रतिशत की मात्रा से बढ़ रही है जब कि पिछले कई वर्षों से हमारा उत्पादन 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। और पिछले 4 वर्षों से उत्पादन 1 प्रतिशत की दर से भी नहीं बढ़ रहा है। प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1960-61 से अनाज के उत्पादन में गतिबद्धता आ गयी है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है। सरकार द्वारा जिस मुद्रास्फीति की नीति का अनुसरण किया जाता रहा है हमने बार बार उस की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस नीति का परिणाम यह है कि पिछले 4 वर्षों में थोक मूल्य 15 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं। एक रुपये की कीमत अब 17 पैसे ही रह गयी है।

इन्हीं कारणों से मैं यह समझता हूं कि वर्तमान संकट एक खाद्य संकट न हो कर आर्थिक संकट है, यह मुद्रा संबंधी संकट है। इस संकट का संबंध रुपये से है। इस समय हम एक सामान्य आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। खाद्य संकट तो हमारे आर्थिक संकट का एक प्रतिबिम्ब है। अतः हमें इसी दृष्टि से समस्या का समाधान करना है। रुपये के मूल्य को कम करने के लिये जो लोग दोषी हैं वे अब भी देश की वित्त व्यवस्था का भार सम्भाले हुए हैं।

मुद्रा संबंधी इस विकट स्थिति के लिये सरकार भिन्न भिन्न लोगों को उत्तरदायी ठहराती रही है। माननीय मंत्री ने कहा कि इस स्थिति के लिये उत्पादक और व्यापारी उत्तरदायी हैं। परन्तु किसान और व्यापारी को वर्तमान संकट के लिये दोषी ठहराना अन्यायपूर्ण है। जब आप किसान को उस की उपज के लिये उचित मूल्य नहीं देते तो उसे अपनी उपज को न बेचने के लिये आप कैसे दोषी

[श्री इं० ना० मुकर्जी]

ठहरा सकते हैं। औद्योगिक मूल्य तो आप बढ़ने देते हैं परन्तु कृषि मूल्यों पर नियंत्रण रखते हैं। यह घोर अन्याय है। गांव के श्रमिक की अपेक्षा औद्योगिक श्रमिक की आय कहीं अधिक है। बाजार में प्रत्येक वस्तु के लिये किसान को अधिक मूल्य देना पड़ता है परन्तु उस की उपज के लिये उसे कम मूल्य लेने के लिये बाध्य किया जाता है यह कौनसा सामाजिक न्याय है?

मुझे माननीय मंत्री से कहना है कि हम ईमानदार किसान को और ईमानदार व्यापारी को जमाखोर और मुनाफाखोर क कर दोषी न ठहरायें। इस विकट स्थिति के लिये वास्तव में राजनीतिज्ञ और नौकरशाही सरकार जिम्मे‌ार है। इसलिये किसान और व्यापारी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये। यदि रुपये का मूल्य कम हो गया है तो इसके लिये हमारे राजनीतिज्ञ जिम्मेदार हैं न कि किसान और व्यापारी। आज का खाद्य संकट एक लक्षणमात्र है। वास्तविक बीमारी कोई और है। मुनाफाखोरी और छिपा हुआ धन इसलिये है चूंकि मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न की गयी है। हमें किसान की आलोचना न करते हुए उसका सहयोग प्राप्त करना है। किसानों के साथ हमें न्याय करना है। उन में देश भक्ति की भावना पैदा करनी है। पिछले दिनों व्यापारियों के गोदामों में छापे मारे गये परन्तु बाद में यह घोषित करना पड़ा कि वह केवल मामूली अनियमितताओं के लिये ही दोषी हैं।

मैं दस दिन पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया और मैंने फोराजी, जमकण्डोना तथा आसपास के गांवों में साधारण किसानों की मुसीबतों को देखा जिन्होंने अपने पास रखे दो किलो से अधिक मूंगफली के तेल या मूंगफली की घोषणा नहीं की थी। उन्हे गिरफ्तार किया गया, बेड़ियां प नाई गई उनको रस्सों से बांधा गया और उस प्रकार वह चोरों की भांति बाजारों में से ले जाये गये।

छोटी छोटी तकनीकी भूलों के कारण किसानों को अपराधियों के समान परेशान किया जा रहा है। क्योंकि उन में से किसी ने 1 किलो मूंगफली के तेल के अपने पास होने के बारे में बताया नहीं। साथ ही यह कहा जाता है कि राज्य व्यापार को आरम्भ किया जाय। मेरा निवेदन है कि इससे भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ेगा। एकाधिकार से भ्रष्टाचार बढ़ता है। राजकीय व्यापार की भी स्थिति लगभग वैसी ही होगी। मारा इस बारे में बड़ा स्पष्ट मत है कि किसानों के हितों को हानि पहुंचाये बिना गैर सरकारी व्यापार समाप्त नहीं किया जा सकता। इससे देश में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। अनिवार्य रूप से किसानों से सरकार द्वारा अनाज ले लेना भी दास्ता ही कहा जायेगा। आप व्यापारियों को भी नुकसान पहुंचाना चा ते हैं, परन्तु आपको याद रखना चाहिये कि व्यापारियों को हानि पहुंचाने का मतलब किसानों के हितों की भी हानि पहुंचाना है। किसानों के हितों की हानि पहुंचाये बिना गैर सरकारी व्यापार को समाप्त नहीं किया जा सकता। राजकीय व्यापार म किसान को उसकी उपज की सही कीमत प्राप्त नहीं होगी। मुझ इस बात की प्रसन्नता है कि बावजूद साम्यवादी मित्रों के प्रभाव से सरकार ने राजकीय व्यापार की बात को नहीं माना। हमें एक बात समझ लेनी चाहिये कि राजकीय व्यापार से अनाज पर एकाधिकार स्थापित होता है और इससे देश में गड़बड़ी हो जाने की सम्भावना है। हमें यह भी समझना चाहिये कि चीन और रूस में आज जो अन्न संकट है उस का भी यही कारण है। आज का युग हमारे देश में सम्मिलित अर्थव्यवस्था का है। कोई भी कार्य बिना मुकाबले के नहीं होना चाहिये। सरकार में सभी दिशाओं में एकाधिकार की भावना बढ़ रही है और राज्य पूंजीवाद एकाधिकारी बन रहा है।

प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया है कि सभी प्रकार की वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर देनी चाहियें। उनकी भावना अच्छी है परन्तु मेरा निवदन यह है कि हम सभी प्रकार की कीमतों को एक साथ निश्चित नहीं कर सकते। हम 6 और 7 अधिक से अधिक 8, जीवन की आवश्यक वस्तुओं

का मूल्य निश्चित करेंगे, पर हम संभरण और मांग के सिद्धांत की उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि हम एक वस्तु की कीमत निश्चित करेंगे तो अन्य वस्तुओं की कीमत उसी अनुपात से बढ़ जायेंगी। और परिणाम यह होगा कि वे वस्तुएं तो मंहगी हो जायेंगी और जिन वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर दी जायेंगी उनका अभाव हो जायेगा। सारी अर्थव्यवस्था में ही गड़बड़ हो जायेगी और उत्पाद भी कम हो जायेगा और जिस उद्देश्य के लिये यह सब कार्य किया जाना है वह असफल रह जायेगा।

तो फिर क्या किया जाना चाहिये? मेरा निवेदन है कि इसके लिये कोई स्थायी और अस्थायी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि स्थिति और अधिक खराब होने से बच जाये। मेरा विचार है कि दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जो प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी हैं उनका ठीक प्रकार से संतुलन किया जाना चाहिये। किसानों की उपज की रक्षा की जानी चाहिये। घाटे की अर्थव्यवस्था को रोका जाना चाहिये और करों को कम करके दीर्घकालीन स्थिति को ठीक करना चाहिये। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि बहुत से सरकारी उपक्रमों से भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। रांची के भारी इंजीनियरी कारखाने पर जो रांची में है, राष्ट्र का 120 करोड़ रुपया खर्च आया है परन्तु उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। केवल 120 करोड़ रुपया प्रति वर्ष प्राप्त होता है। मतलव यह है कि 1 प्रतिशत की आय हमें राष्ट्रीय पूंजी पर हो रही है। इसी दृष्टि से मेरा कहना है कि हमें टाटा इत्यादि लोगों को भी संरक्षण देना होगा। यदि किसी परियोजना में से केवल 1 प्रतिशत प्राप्त होता है तो यह कोई बहुत गौरव की बात नहीं है। साम्यवादी चीन में भी काफी प्रयोगों के बाद अब प्राथमिकताओं में परिवर्तन किया जा रहा है।

दूसरी चीज किसानों की सुरक्षा के सम्बन्ध में है मुझे प्रसन्नता है कि सरकार इस दिशा में कुछ विचार कर रही है और इस दिशा में 10 वर्ष की अवधि का कोई कार्यक्रम बन रहा है। तीसरी बात घाटे की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में है जिससे कि मुद्रा स्फीति को समाप्त करना है। इस बारे में आंकड़ हमारे समक्ष हैं। प्रथम योजना में पूंजी सम्भरण 12 प्रतिशत बढ़ा, राष्ट्रीय आय में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्पादन भी बढ़ा, पूंजी सम्भरण भी बढा लेकिन जो कुछ हुआ वह आवश्यकता से कम रहा। दूसरी योजना में पूंजी सम्भरण 29 प्रतिशत बढ़ा और राष्ट्रीय आय 20 प्रतिशत तक गयी। तीसरी योजना में पूंजी सम्भरण 31 प्रतिशत तक बढ़ा और राष्ट्रीय आय 10 प्रतिशत से भी कम रही। क्या यह दीवालियेपने का चिन्ह नहीं है? यदि हम इसी प्रकार चलत रहे तो जनता का विश्वास सरकार से उठ जायगा। जनता आपके रुपयों और नोटों में विश्वास नहीं रखेगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 550 करोड़ रुपये का मार्जन घाटे की अर्थव्यवस्था के लिये रखा गया था परन्तु खेदजनक स्थिति यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष में ही यह घाटे की अर्थव्यवस्था 600 करोड़ रुपये से ऊपर हो गयी। क्या सुधार हुआ है? स्थिति बिगड़ रही है और रोग बढ़ गया है।

गत वर्ष अगस्त 23, 1963 से लेकर 21 अगस्त 1964 तक देश में पूंजी सम्भरण 12 प्रतिशत बढ़ा। उत्पादन और सेवायें 4.3 तक बढ़ी, मतलब यह कि 12 महीनों में घाटे की अर्थव्यवस्था 7.7 प्रतिशत ऊपर हो गयी और आज भी यह सिलसिला समाप्त नहीं हुआ, पिछले कुछ सप्ताहों में तो स्थिति और भी खराब हो गयी है। रिजर्व बैंक का कहना है कि खजाने के बिलों में 149 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी है यह सब घाटे की अर्थव्यवस्था की कृपा है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में खाद्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच जो क्षेत्रीय रुकावटें हैं वह हटा दी जायेंगी। इससे लोगों को काफी खुशी हुई थी परन्तु इस बात को तुरन्त लागू नहीं किया गया। मेरा कहना है कि इस बात को अक्तूबर तक अवश्य लागू कर देना चाहिये। इसके साथ ही निर्धन वर्गों के लोगों को सस्ते दामों पर अनाज बेचने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त अनाज के निर्यात पर शुल्क कायम रखने की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि जब तक देश में खाद्यान्नों की कमी है किसी भी प्रकार का अनाज देश से बाहर नहीं जाना चाहिये।

अन्त में मेरा कहना यह है कि इस देश के लोग कथनी से नहीं करनी से सरकार के कार्यों के बारे में निर्णय करेंगे। आज उनमें यथार्थवाद और जागरूकता काफी दिखाई देती है। सरकार को स्थिति का अच्छी प्रकार मुकाबला करना चाहिये और विगत भूलों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर): मैंने श्री ही० ना० मुकर्जी और श्री मसानी के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है। दोनों महानुभाव परस्पर विरोधी विचारधारा के हैं। दोनों की बातों से इतना पता चलता है कि समस्या बड़ी नाजुक और कठिन है। मुझे इस बात की खुशी है कि श्री मुकर्जी का यह विचार है कि खाद्य समस्या अभी भी हल की जा सकती है। यद्यपि इस दिशा में उनके अपने सुझाव हैं। मैं श्री मसानी के इस विचार का स्वागत करता हूं कि खाद्य समस्या को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिये। मुझे इस बात का दुख है कि इस समस्या के प्रति निष्पक्ष भाव से विचार नहीं किया जा रहा। योजना आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि विगत तीन वर्षों से भारती कृषि ने कोई पग आगे नहीं बढ़ाया है। इस बात का उल्लेख भी मेरे से पूर्व बोलने वाले दोनों ही महानुभावों ने किया है। मैं भी इस बात पर अपने तुच्छ विचार रखूंगा कि हम किस प्रकार देश में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मेरा यह मतलब नहीं है कि जो कुछ पीछे किया गया मैं उन सबसे सहमत हूं परन्तु बात यह नहीं है कि सुधार के लिये कोई गुंजाइश ही नहीं रही है।

यह तो स्पष्ट ही है कि समस्या का तत्काल हल करने का एक सबसे बड़ा उपाय यह है कि हमें जितना भी सम्भव हो सके विदशों से खाद्यान्नों का आयात करना चाहिये। और इस दिशा में खाद्य मंत्री महोदय द्वारा जो प्रयत्न किये गये हैं मैं उनकी सराहना करता हूं। परन्तु इस दिशा में मेरा निवेदन है कि यदि दीर्घकाल तक हम भारी मात्रा में अनाज का आयात करते रहे तो यह गलत नीति होगी। हमारा दीर्घकालीन कृषि सम्बन्धी योजना बनाना भारी भूल होगी। हमें केवल अल्पकालीन उपचार की दृष्टि से ही आयात पर निर्भर रहना चाहिये। मुख्यतः पी० एल० 480 के आधीन ही हम आजकल अनाज का आयात कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि देश की स्वतन्त्रता के बाद 2531 करोड़ रुपये का अनाज बाहर से मंगवा चुके हैं। अब हमें इस पर ज्यादा निर्भर नहीं करना चाहिये। मुझे इस बात का हर्ष है कि सरकार इस दिशा में अपनी वितरण निति पर नियन्त्रण करने का पूरा प्रयत्न कर रही है। समस्या को तत्काल हल करने का यह भी एक दूसरा प्रभावशाली

उपाय है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि राज्यों को अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न निरन्तर उपलब्ध होते रहें। राज्यों द्वारा जो आश्वासन उपभोक्ताओं को दिये गये है वे पूरे किये जाने चाहिये।

मुझे इस बात का खेद है कि मैं श्री मुकर्जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सस्ती दुकानों की संख्या बढ़ा दी जाय। मेरा निवेदन है कि यह संख्या अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच चुकी है। इस समय देश में 80 हजार सस्ते अनाज की दुकानें काम कर रही हैं, और वे पांच लाख टन गेहूं और चावल एक महीने में बांटते हैं। मेरे विचार में जब तक हम खाद्यान्नों को प्रयाप्त मात्रा में दुकानदारों को नहीं दे सकते तब तक सस्ते अनाज की दुकानों की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। इसके साथ ही सरकार को खाद्यान्नों की जमाखोरी को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने चाहियें। सरकार को उन व्यापारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये जो मूल्यों को बढ़ाने के लिये किसानों से सांठ गांठ करके बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों के स्टाक जमा करते हैं। जमाखोरी को रोकने के लिये सुव्यवस्थित रूप से की जाने वाली कार्रवाई, व्यापार में समाज विरोधी तत्वों को दूर करने में सफल सिद्ध होगी। मेरा यह कहना नहीं है कि सारे व्यापारी ही बेईमान हैं परन्तु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार विरोधी तत्व हैं जरूर। मुगल काल से लेकर आज तक जब भी कभी खाद्य स्थिति खराब हुई उसमें व्यापारियों का काफी हाथ था।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि खाने में परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या में कमी और अतिथि नियन्त्रण आदेश को और अधिक कठोरता से लागू करने जैसे मितोपयोग सम्बन्धी उपायों से देश में इस बारे में एक अच्छा वातावरण तो पैदा होगा ही, जिससे उपभोक्ता अधिक सचेत रहेगा, तथा इसके साथ ही समाज विरोधी तत्वों को दबाये रखने के लिये प्रशासन को नैतिक शक्ति भी मिलेगी। खाद्यान्नों के मूल्य ऐसे निश्चित किये जाने चाहिये जिनसे किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिले। किसानों को यथा समय उचित मूल्य पर उर्वरक, बिजली आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध की जानी चाहिये। किसानों द्वारा, ट्रैक्टर चलाने के लिये प्रयोग में आने वाले डीजिल तेल पर से उत्पादन शुल्क हटाया जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही हम अपने देश में सभी प्रकार से आत्मनिर्भर हो जायेंगे। केवल आज की कठिनाइयों का सामना करने की आवश्यकता है। हमें खाद्य के मामले में राजनीति नहीं लानी चाहिये और भूमि सुधारों के मामले को आर्थिक दृष्टिकोण से ही देखना चाहिये।

श्री पु० र० पटेल (पाटन): मैं श्री मुकर्जी और मसानी की बातों का एक एक करके, उत्तर दूंगा। प्रथम बात जो इस सम्बन्ध में कही गयी वह यह है कि खाद्यान्नों की कीमतों में असाधारण वृद्धि हुई है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिछले दो तीन महीनों में लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है यद्यपि यह कठिनाई अधिकतर शहरों में ही दिखाई दी है। गांवों में कोई विशेष बात नहीं हुई। इस सम्बन्ध में कठिनाइयां हाल ही के दो तीन महीनों में शहरी लोगों की ही थीं। मेरा निवेदन है कि गत 10-12 वर्षों के गेहूं के प्रचलित मूल्यों का अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि मूल्यों में केवल 1964 में ही वृद्धि हुई है और यह वृद्धि बहुत अधिक नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वर्तमान समस्या का सबसे अच्छा हल यही है कि देश में उत्पादन बढ़ाया जाय और अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर

[श्री पु० र० पटेल]

बना दिया जाय। परन्तु आज की स्थिति को देखते हुये यह बात भी बिलकुल स्पष्ट है कि यदि खाद्यान्नों का बाहर से आयात न किया गया तो बहुत से लोग भूखे मर जायेंगे। और इस स्थिति का लाभ उठाकर अन्य दल आन्दोलन करने लगेंगे और कहेंगे कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात मत कीजिये।

क्षेत्रीय पाबन्दियों भी मूल्यों में वद्धि करती हैं। अलग अलग स्थानों और राज्यों में अलग अलग मूल्य हैं। कृषक भी जिनके पास काफी मात्रा में स्टौक है जमाखोरी की नीति पर चल रहे हैं। और सरकार को अन्न प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे विचार में यदि क्षेत्रीय पाबन्धियां हटा ली जायें तो बहुत सी कटिनाइयां स्वतः ही हल हो जायेंगी। इस मामले में हमें भारत को एक एकक मान कर चलना चाहिये।

यह भी हर्ष की बात है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पक्ष में है। यदि हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े तो हमें कुछ उदारता दिखानी ही होगी। कृषकों को भी अपने बाल बच्चों को पालने और शिक्षा देने के लिये खर्च की आवश्यकता होती है। यदि उन्हें अधिक खर्च करना पड़े तो उनकी उपज का भी उन्हें उचित मूल्य दिया ही जाना चाहिये। विशेष रूप में गेहूं और चावल के मामले में। मेरे विचार में यदि हमने कृषकों को उचित मूल्य दिया तो वे अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहित हो उठेंगे।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री शास्त्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि कृषि मूल्य आयोग में किसानों के प्रतिनिधि लिये जायेंगे। मेरा विश्वास है कि यदि यह आयोग किसानों के साथ न्याय करेगा और इससे उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना बढ़ेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गेहूं और चावल की कीमतें बहुत अधिक हैं और मध्यम वर्ग के लोग इन भारी कीमतों को वहन नहीं कर सकते उन्हें सहायता दी जानी चाहिये परन्तु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि किसान का उत्पादन-व्यय क्या आता है। किसान जिस तेल इंजन का पहले 1200 रुपये दिया करता था उसके अब उसे 2400 रुपये देने पड़ते हैं। तीन वर्ष पूर्व वह जिस इधन के 45 रुपये प्रति बैरल देने पड़ते थे अब उसके लिये वह 95 रुपये दे रहा। इस प्रकार हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि किसानों की आवश्यकताओं की वस्तुओं का मूल्य भी सौ प्रतिशत बढ़ गया है। आज जो गेहूं के उत्पादन के लिये किसानों को प्राप्त हो रहा है वह 1948 के मुकाबले में बहुत ही कम है। जब किसानों को कम कीमत मिलती है तो कोई उस ओर ध्यान नहीं देता। उन्हें भी तो अपने सभी प्रकार के खर्चों की व्यवस्था करनी होती है अतः मेरा निवेदन यह है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि किसानों को उनकी आवश्यकता की वस्तुयें यथासमय और उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। इन सुविधाओं के पूरा हो जाने पर किसान देश को खाद्यान्न में आत्म नर्भर बनाने के लिये भरसक प्रयत्न करेगा। खेद है कि जब किसान के प्रति न्याय करने की बात कही जाती है तो कई मित्र नाराज हो जाते हैं।

Shri Lahri Singh (Rohtak) :— I belong to the rural area and have been brought up there. I want to place this fact before the central Government that so far very little attention had been paid to the problem of irri gation. And this is the most important matter in agriculture. I would like to stress that the Government should make provision for sinking tube-wells at places where

river could not supply sufficient water. I am of the opinion that it is the only solution to the problem of irrigation in India.

Farmers are poor people. They could not be expected to sink tube-wells with their meagre resources available from small holdings. It should be the responsibility of the Government. The Hindu succession Act is creating uneconomic holdings and defeating the very purpose of land reforms. In this connection, I would also like to state that Government had acted very shortsightedly in the matter of flood control. The present floods in and around Delhi are to a great extent, the result of construction of certain bunds by checking the natural flow of rivers. The most deplorable thing is the lack of coordination between States. This lack of coordination is responsible for all the disaster in Delhi.

The prices of fertilizers are very high, and it is not possible for the ordinary poor farmer to go in for that and make use of them. I feel agricultural reforms should be suspended forth with by Government. They have done more harm than good to the cause of agriculture. People have begun to feel that there is no use investing money in agriculture.

Now, I would say something about zones. In Uttar Pradesh there is sufficient gur but in Gujrat people are yearning for it. Late Shri Kidwai took some stern measures and abolished these zones. He did some miracle that everybody had become very happy. The creation of zones had led to wide disparities in the prices of foodgrains from one place to another. Only some big people had been benefited out of that scheme. For, they get licences to import grains from one zone to sell them in another. To snatch the grains from the farmers for the State Trading is alright, but its rates should be rightly calculated. But if the wheat is snatched at the rate of 10, 12 or 18 rupees, then it is not good. In the villages people are living a very miserable life, they have no cloth, no drinking water, nothing to eat, no bank balance, and still they have to do hard work. Then there are burden of taxes. I therefore humbly state that the system of zones and controls should be enforced after serious dispassionate thinking.

We have cattle, but everybody is complaining for the scarcity of milk. I think milch cattle are slaughtered. The slaughter of milch cattle is going on unabated. I am of the opinion that if we want to improve milk supply slaughter of milch cattle should be stopped immediately. Little attention had been paid to the problem of fodder and breed. Sufficient attention should be paid to this problem also. Together with that I may state the State Trading would not bring about any beneficial results, especially in view of the lack of properly trained personnel.

श्री महताब (अंगुल) : मेरे विचार में लगभग प्रत्येक सत्र में खाद्य समस्या पर चर्चा होती है, और लगभग वही बातें जो आज कही जा रही है, कई बार कही जा चुकी है। हम निरन्तर चर्चा तो करते रहते हैं परन्तु तत्काल समस्या को सुलझाने का यत्न नहीं करते। हमें तत्कालिक समस्या पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। जिन समस्याओं को हल करने में वर्षों ही लग जाने की सम्भावना हो उस पर अधिक चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। यह कहना कि कृषि की प्रगति के लिए गत सत्रह वर्षों से कुछ हुआ ही नहीं सर्वथा गलत है। इस दिशा में काफी प्रगति हुई है।

[श्री महताब]

अब हम इस स्थिति में हैं कि मूंगफली तथा अन्य कुछ कृषि वस्तुओं का निर्यात कर सकें, परन्तु खाद्य वस्तुओं के बारे में देश ने उतनी प्रगति नहीं की । यद्यपि जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे तो प्राप्त नहीं किया जा सका फिर भी प्रगति अवश्य हुई है । हमें खाद्य के मामले में राजनीति नहीं लानी चाहिए । यदि हम खाद्य के मामले में राजनीति को लाते रहे तो हम कृषि की प्रगति की दिशा में आगे नहीं बढ़ पायेंगे ।

मेरा निवेदन यह है कि वर्तमान स्थिति को वास्तव में मूल्य स्थिति समझना चाहिए न कि खाद्य स्थिति । केवल चावल और गेहूं तक सीमित न रख कर ज्वार, बाजरा, खाद्य तेलों, मछली सब्जियों आदि के बारे में भी हमें सोचना चाहिए । इन पदार्थों को तो हम इस प्रकार छोड़ जाते हैं, जैसे ये खाने की वस्तुयें ही नहीं हैं, मछली, सब्जियों, खाद्य तेलों के दामों का चावल के दामों से कोई सम्बन्ध नहीं है । गत छः मासों में चावल के दाम कलकत्ता में स्थिर रहे हैं, परन्तु अन्य वस्तुओं के दाम बहुत बढ़े हैं ।

कीमतों की वृद्धि के कई कारण हैं । एक कारण यह भी है कि हमारी योजनाओं पर बड़े पैमाने पर व्यय हो रहा है । योजना में इस स्तर पर बहुत बड़ी कमी करना भी गलत होगा । मेरा मत यह है कि योजनाओं में एक सन्तुलन ला कर किसी ढंग से संशोधित किया जाना चाहिए । राजकीय व्यापार की बहुत चर्चा की गयी है । परन्तु मेरा निवेदन है कि यह काम इतना सरल नहीं है जितना कि मेरे कई एक माननीय मित्र समझते हैं । इसके लिए बहुत बड़े कुशल तंत्र की आवश्यकता है । और कीमतों के बढ़ने का भय निरन्तर रहेगा । थोक व्यापार को हाथ में लेने से पहिले, मध्य प्रदेश की कहानी को भूला नहीं देना चाहिए । कुछ वर्ष पूर्व राजकीय व्यापार से उस राज्य को 15 करोड़ रुपये की हानि हुई थी ।

यदि वर्ष 1962 के अन्त तक सभी राज्यों ने भू-राजस्व संबंधी विधान पारित कर भी दिये होते तो भी 3 वर्ष में उन्हें कार्यान्वित करना कठिन था और यदि मान लिया जाए कि वह कार्यान्वित हो सकते थे तो भी यह सुनिश्चित करना कि उसके बाद प्रत्येक वर्ष इतना उत्पादन हो सकता था कठिन था । इसलिये कृषि समस्या को हल करने के लिये एक विशेष कार्यक्रम बनाना पड़ेगा ।

कृषि को आयोजन का आधार मानना एक आशाजनक एवं उत्साहवर्द्धक परिवर्तन है परन्तु हमें देखना यह है कि राजनीति का किसानों के मामलों में कम से कम दखल हो । इस प्रयोजनार्थ सभी राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए । इस के साथ साथ सभा में कई बार बताया गया कि जनता द्वारा सिंचाई संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया गया । परन्तु इसके लिये लोगों को दोषी ठहराने की बजाए सरकार द्वारा अध्ययन कर के मालूम करना चाहिए कि सिंचाई संसाधनों का पूर्ण उपयोग क्यों नहीं किया गया ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन
MR. SPEAKER *in the Chair*]

मेरे केवल यही सुझाव हैं ।

श्री वाजी : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

Dr. Ram Manohar Lohia: I beg to move my Substitute Motion No. 6.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : According to our Food Minister we are today faced in the food problem and not food crisis. But the situation as it is in U. P. today belies this statement. Food problem now is in a very critical juncture. Such a situation in U. P. has arisen for the first time. The Food Minister of U. P. has failed to tackle the food situation.

Mr. Speaker : I will request the hon. Member not to refer to any individual Minister of the State in this way.

Shri S. M. Banerjee : My submission is that how can we fail to refer to our respective States while discussing the food situation.

Mr. Speaker : But if the hon. Members are allowed to refer to the individual Ministers of States in this derogatory manner, we won't be able to proceed with our business in the house in a well-ordered way. The hon. Member can, of course, refer to the Government as a whole.

Shri S. M. Banerjee : When people asked the U. P. Government whether it was not their responsibility to provide food to them, it was replied, It is not the responsibility of Government to feed people."

If we believe the figures supplied by Government we get the impression that there is no scarcity of anything in the country. But as a consequence of every statement issued by Government, that prices will not be allowed to increase further, prices go up by Rs. 5. This sort of thing has happened in U. P. and Bengal. Ultimately the Chief Minister of Bengal had to be requested not to give such statements.

The food situation in U. P. can be compared to oft-quoted food crisis of Bengal. Thousands of people are found standing in queues but they are not able to get their rations even for six or seven days. Therefore, people feel that Government have failed.

राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*: COMMUNIQUE OF COMMONWEALTH PRIME MINISTERS' CONFERENCE

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : 8 जुलाई को जब सम्मेलन आरम्भ हुआ तो स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू को भावपूर्ण ढंग से श्रद्धांजलियां अर्पित की गयीं । यह कहा गया कि वर्तमान राष्ट्रमण्डल सम्मेलन एक तरह से श्री जवाहरलाल नेहरू का स्मारक है चूंकि उन्हीं की नीति के कराण राष्ट्रमण्डलीय देशों के आपसी संबंधों में परिवर्तन आया और भिन्न-भिन्न मतों के अनुयायी देशों के लिये इस का सदस्य बनना सम्भव हुआ । जो चर्चायें उस सम्मेलन में हुई उनके परिणाम सम्मेलन

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति में दर्शाये गये हैं । इस विज्ञप्ति में विश्व स्थिति का पुनर्विलोकन, दक्षिण अफ्रीका की जाति-भेद की नीति, पुर्तगाल की उपनिवेशवादी नीति आदि बातों का उल्लेख पाया जाता है।

इस विज्ञप्ति में भारत-पाकिस्तान की समस्याओं की ओर भी निर्देश किया गया है । मैं माननीय सदस्यों की इस चिन्ता को समझता हूं कि राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन में सदस्य देशों के आपसी मतभेदों संबंधी समस्याओं पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। परन्तु मैं समझता हूं कि जो विशेष मामला विचाराधीन है उसके बारे में विज्ञप्ति में जो निर्देश मिलता है वह केवल सद्भावना की सामान्य अभिव्यक्ति है और इससे राष्ट्रमण्डल की प्रथा का भंग नहीं होता । सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने खुले तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रमण्डलीय देशों के आपसी मामलों पर सम्मेलन में चर्चा न करने वाली प्रथा को बनाये रखा गया है और कि आपसी मामलों का निबटारा सम्बद्ध देशों को स्वयं ही करना होगा । हम ने स्वयं खुले तौर पर कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ सभी मामलों का निबटारा शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं परन्तु ऐसा हम अपने राष्ट्रीय सम्मान एवं गरिमा के अनुकूल चलते हुए ही करेंगे । परन्तु हमारी सद्भावना की इस अभिव्यक्ति के अर्थ देश में और कहीं कहीं विदेशों में भी गलत लगाये गये और इसे गलत ढंग से पेश किया गया । परन्तु हम इस प्रकार के गलत निर्वचन या कुनिरुपण में निहित सुझाव का दृढ़तापूर्वक खंडन करते हैं और साथ ही साथ हम अपने इस संकल्प की पुनः पुष्टि करते हैं कि हम गरिमा एवं उत्तरदायित्व की भावना से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण उपायों द्वारा निबटाने का प्रयत्न करते रहगे और शांति स्थापना के लिये भी प्रयत्न करते रहेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या हमारे प्रतिनिधियों द्वारा भारत—चीन के बारे में अन्य राष्ट्रों का समर्थन एवं सहानुभूति प्राप्त करने के लिये प्रयास किये गये ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : सम्मेलन में इस सिलसिले में अधिक सफलता प्राप्त करने की सम्भावना नहीं थी इसलिये हमारे प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में एवं सम्मेलन से बाहर इस विवाद के बारे में अन्य राष्ट्रों से अनौपचारिक रूप से चर्चा की ।

श्री हरि विष्णु कामत : चूंकि आक्रमण चीन द्वारा किया गया जो राष्ट्रमण्डल का सदस्य नहीं है और यह आक्रमण राष्ट्रमण्डल के सदस्य एक देश पर किया गया इसलिये क्या कारण है कि इस पर सम्मेलन में चर्चा नहीं की जा सकती. . . **(अन्तर्बाधायें)**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : लोगों में यह धारणा फैल रही है कि विज्ञप्ति में भारत-पाकिस्तान की समस्याओं संबंधी उल्लेख भारत की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए किया गया चूंकि इस में चीन द्वारा आक्रमण के बारे में उल्लेख नहीं पाया जाता । तो ऐसा क्यों किया गया ? और क्या इस बारे में बाद में स्पष्टीकरण मांगा गया ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : सम्मेलन में हमारे प्रतिनिधि ने कहा था कि राष्ट्रमण्डलीय प्रथा को बनाये रखने की दृष्टि से किन्हीं दो राष्ट्रमण्डलीय देशों के आपसी मतभेदों की

चर्चा सम्मेलन में नहीं की जानी चाहिए और इसीलिये विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि उस प्रथा को तोड़ा नहीं गया है । दूसरे, जो इस बारे में निर्देश विज्ञप्ति में पाया जाता है वह उन वक्तव्यों पर आधारित है जो भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने सम्मेलन से बाहर दिये थे . . . (**अन्तर्बाधायें**)

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : क्या यह सही है कि जब विज्ञप्ति को आन्तिम रूप में जारी करना था तो हमारे देश प्रेस ऐटेची वहां उपस्थित नहीं थे जिस स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तानी पत्रकारों ने समूचे वक्तव्य को बिगाड़ कर पेश किया ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस बात में कुछ सचाई है । यह बात मेरे ध्यान में लाई गयी है कि उस स्थिति का लाभ उठाते हुए एक व्यक्ति बाहर गया और जो पत्रकार वहां उपस्थित थे उसने उनकी बात को गलत रूप दे कर पेश किया ।

Shri Ram Sevak Yadav : (Barabanki): Did our representatives object to the inclusion in the Communique of reference to Indo-Pak problems?

Shri Lal Bahadur Shastri : Yes, Sir. He made it clear that neither any opinion could begiven in the Conference regarding the said matter nor it was within the Jurisdiction of the Conference to take any dicision in that regard.

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व): इसका क्या कारण है कि भारत-पाकिस्तान समस्याओं का विज्ञाप्ति में निदश अब पहली बार ही किया गया है जब कि इस प्रकार के सम्मेलन पहले भी होते रहे हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इसके बारे में मुझे केवल यह कहना है कि समय बीतने पर ज्यों ज्यों राष्ट्रमण्डल में नये नये देश आये त्यों त्यों राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलनों में भी परिवर्तन हुए । राष्ट्र-मण्डल के नये सदस्य चाहते थे कि सम्मेलन द्वारा बहुत से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया जाय जिसका कि हमारे प्रतिनिधि ने घोर विरोध किया और इसीलिये विज्ञप्ति में उस वतव्य की ओर निदश किया गया जो सम्मेलन से बाहर दिया गया था ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : हमारे वित्त मंत्री ने आरम्भ में इस प्रकार की बातों का विज्ञप्ति में निर्देश किये जाने का विरोध किया परन्तु बाद में वह इस के लिये क्यों सहमत हुए विशेषत: जब कि सम्मेलन में निर्णय बहुमत द्वारा नहीं वरन सदैव एकमतता के सिद्धांत पर लिये जाते हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वित्त मंत्री ने देखा कि यह केवल सद्भावना की अभिव्यक्ति मात्र है । उन पर किसी सदस्य द्वारा दबाव नहीं डाला गया था । जब हमारे प्रतिनिधि ने देखा कि आम सदस्यों की यही इच्छा है कि इस निर्देश के सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए तो वह इस पर सहमत हो गये ।

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह कहा जा रहा है कि विज्ञप्ति में चीन के भारत पर आक्रमण संबंधी निर्देश इसलिये सम्मिलित नहीं किया गया चूंकि कुछ अफ्रीकी देश इस पर सहमत नहीं थे और यह भी कि काश्मीर विवाद संबंधी निदश पाकिस्तान के आग्रह करने पर सम्मिलित किया गया । यदि ऐसा ही है तो राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में भाग ले कर भारत को क्या लाभ हुआ ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक भारत-पाकिस्तान समस्याओं का प्रश्न है उस बारे में सम्मेलन में सारभूत चर्चा ही नहीं की गयी। चीन के आक्रमण की ओर हमारे मंत्री ने अपने पहले भाषण में निदश किया था परन्तु विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार करते समय जो चर्चा हुई उस समय सम्मेलन में चर्चाधीन सभी मामलों पर विचार नहीं किया गया। किसी अन्य देश द्वारा इस मामले पर चर्चा नहीं की गयी ।

खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव--जारी

MOTION *RE*: FOOD SITUATION

Shri S. M. Banerjee : The Government of U. P. said the crops had been destroyed by excessive cold and it was because of that reason that food crisis have arisen. But how is it then that prices of thier articles have also gone so high, as per example matches, Dalda and other things. I think this Government in its lust for power have lost all sense of proportion. Whatever is happening in Gujarat, Bombay and U. P. is a clear symptom of dissatisfaction found among the masses. In Ahmedabad City Congress had a hold but to day we see that people there have resorted to strike at the instance of Shri Yajnik.

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन**
Shri Thirumal Rao *in the Chair*]

The workers resorted to strike because they wanted to get food grains at fair prices, but this Government gave them instead firing and lathis.

Our Prime Minister has issued a warning to the hoarders, but I can tell that at Kalpi and other places wheat has been stored in large. quantities in Banks, which has been shown in their books as some other commodity. But the people of our central intelligence dare not investigate the matter by breaking their locks. Hoarders will not release their stocks only at the instance of Shri Shastri's Statements. Shrimati Indira Gandhi said that the opposition people are trying to create a scarcity psychosis. Her statement was really regrettable for the people were dying of starvation in U. P. and she gave such an irresponsible statement.

Now I will refer to Bengal situation. Mustard oil is not available there. Salt is selling at one rupee a seer. Superior rice is selling at rupees three a seer. But our Government are unable to tackle the situation in spite of her begging foodgrains from America, Australia and other countries.

Fair Price Shops are not found in adequate number and at certain places they have not yet been opened. People cannot believe that there is really a scarcity of food grains because it is selling at high prices in black market everywhere. Had there been really a scarcity in the country the situation should have been faced as we faced the Chinese aggression. If the present situation continues for a longer period people are bound to rise against Government. If this Government wish to gauge the public opinion it should try its might in Phulpur Constituency.

In order to improve the situation which is so grave the Government must not remain dubious. It should go ahead in the State Trading in foodgrains. It should punish the hoarders, black-marketeers and profiteers.

The situation will have to be tackled this way and not by Shri Nanda's moving about in disguise. D I R should be used against persons found guilty for such offences, otherwise the independence of our country will be in danger. Banks should be naatiolised. Bank advances to the hoarders and traders should be stopped forthwith the. Speculation should be banned. A Price Stabilisation Board should be established. Otherwise there is going to be a revolution which this Government will not be able to face.

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर): खाद्य स्थिति पर जो चर्चा हो रही है उसमें मुख्य प्रश्न उत्पादन का है जो कि राज्यों का विषय है और इस सिलसिले में उत्तरदायित्व भी राज्य सरकारों का ही है। उत्पादन तभी बढ़ सकता है यदि राज्य ठीक दिशा में काम करें और केन्द्र की ओर से आवश्यक सहायता उपलब्ध की जाये। जहां तक अनाज के वितरण का प्रश्न है इस बारे में मैं समझता हूं कि इस के वहन पर थोड़ा प्रतिबन्ध होना आवश्यक है। परन्तु इसके वहन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होने चाहिएं। उदाहरणार्थ, पूर्वी पंजाब से हरियाना में अनाज लानेले जाने के सिलसिले में ढील दी जानी चाहिए। इस प्रकार के कड़े प्रतिबंधों से कई क्षेत्रों में अनाज की स्थिति विकट हो जाती है। अनाज के वितरण के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को विश्वास में ले कर व्यवस्था कायम करनी चाहिए। अनाज के आयात के मामले में हमें अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

केन्द्रीय मंत्रालय अनाज के बारे में अधिक से अधिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहा है इसके लिये यह आवश्यक है कि माननीय मंत्री राज्यों की स्थिति के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें और प्रतिदिन उनसे सम्पर्क बनाये रखें। किसानों को पर्याप्त मात्रा म और उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध किये जाने चाहिएं।

जहां तक तकावी तथा अन्य ऋणों का सम्बंध है जहां पर लोगों में राजनीतिक जागृति पैदा हो गई है उन क्षेत्रों के लोगों को ये ऋण उपलब्ध किये जायें। मैं खाद्य मंत्री से पूर्णतया सहमत हूं कि थोक व्यापार को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इससे लोग स्टाक जमा नहीं कर सकेंगे। लोगों की खान पान की आदतें बदल रही हैं। सरकार को शिक्षा तथा उत्पादन के पहलू पर पूरा ध्यान देना चाहिये। खाद्य उत्पादन के बारे में सरकार की एक ठोस नीति होनी चाहिये और राज्य सरकारों को इस बारे में अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये।

जहां तक सिंचाई साधनों का सम्बंध है, हमने बहुत सी परियोजनाएं चालू की हैं परन्तु अधिकांश मामलों में लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये हैं। जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ा है। अन्य सम्बंधित मंत्रालयों को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से मिल कर कार्य करना चाहिये। तभी हमारे प्रयत्न फलीभूत हो सकते हैं। हमें खाद्य समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझकर हल करना चाहिये और प्रत्येक व्यक्ति को इस दिशा में अपना सहयोग देना चाहिये। बाढ़ों को रोकने के लिये ठोस प्रयत्न नहीं किये गये हैं। पंजाब जो उत्तर भारत में अनाज का भंडार है बाढ़ों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। छोटी छोटी नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों को जंगलों से साफ कर दिया गया है और इसका यह परिणाम हुआ है कि उन में भी बाढ़ आ जाती है। यह प्रसन्नता का विषय है कि वनीकरण तथा बन संबंधी विषय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। अतः वनीकरण की दिशा म मिल कर प्रयत्न किये जाने चाहियें। अनाज का भण्डार बनाने के लिये खाद्यान्नों का आयात किया जाना जरूरी है। यदि हम आधिक्य वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को फालतू अनाज भेज दें तो उन राज्यों में अनाज के दाम बढ़ जाने की पूरी संभावना है। अतः ऐसी स्थिति को उत्पन्न न होते देने के लिये अनाज का भंडार बनाना जरूरी है।

[श्री श्याम लाल सर्राफ]

मुझे आशा है कि वर्तमान खाद्य तथा कृषि मंत्री इस समस्या को हल करने में सफल होंगे और उन्हें इस कार्य में प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग मिल सकेगा ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : माननीय मंत्री ने पर्याप्त कारण बताये बिना ही इस प्रस्ताव को सभा में विचार के लिए उपस्थित किया है । यह उचित नहीं है । श्री मेहताब ने कांग्रेस की ओर से बोलते हुए कहा है कि हमारे सामने जो प्रश्न है वह केवल वर्तमान समस्या का समाधान करना है । इसके विपरीत कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने इस समस्या के दीर्घकालीन हल के लिये अपने सुझाव दिये हैं । अतः यह स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 8 सितम्बर, 1964 / 17 भाद्र, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, September 8,1964/ Bhadra 17, 1886 (Saka)

GMGIPND—LS III—1045 LSD—1-10-64 600